वार्षिक रिपोर्ट
2023 - 2024

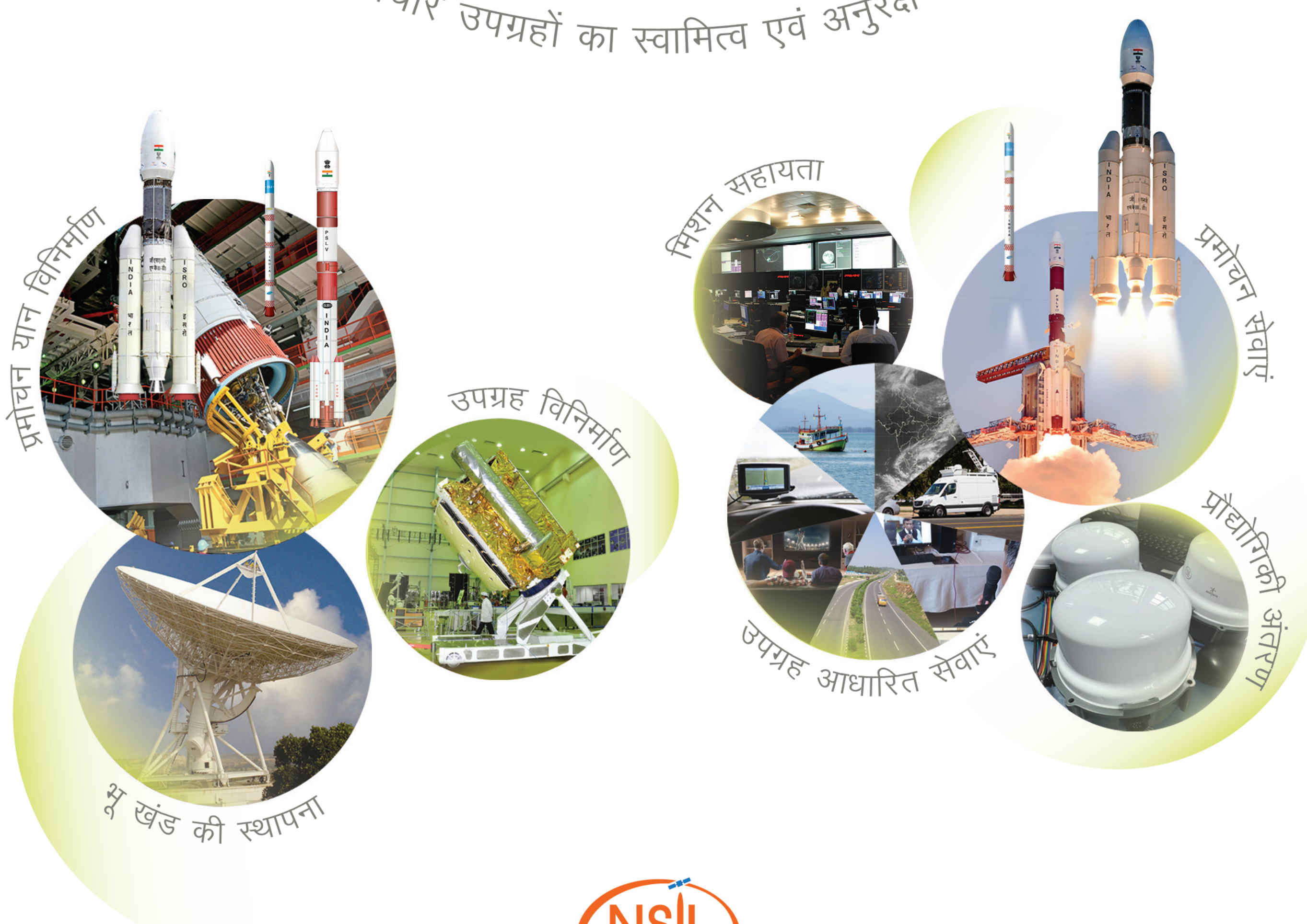

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल)

अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई)

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल)

अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के तहत केन्द्रीय सार्वजनिकक्षेत्र उद्यम (सी.पी.एस.ई.)

पांचवी वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
निदेशक मंडल	4
अध्यक्ष महोदय का संबोधन	5
मूल्यों, दूरदर्शिता एवं ध्येय की आपूर्ति	6
कॉर्पोरेट सूचना	7
निदेशक मंडल का रिपोर्ट	9
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	20
कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट	22
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तथा मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) द्वारा प्रमाणन	29
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा	30
निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट	31
कॉर्पोरेट शासन अनुपालन प्रमाणपत्र	35
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (संशोधित)	36
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	48
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	50
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि का विवरण	52
इक्विटी परिवर्तन विवरण	53
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण	55
वित्तीय विवरणों के नोट	57

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल के सदस्य कंपनी के व्यवसाय एवं प्रचालनों का प्रबंधन करते हैं। निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित तीन प्रकार्यात्मक निदेशक तथा सरकार द्वारा नामित तीन निदेशक शामिल हैं।

प्रकार्यात्मक निदेशक

श्री राधाकृष्णन दुरैराज
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री ए. अरूणाचलम
निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)

श्री ए राधा कृष्णा
निदेशक (वित्त)

सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. एम. सुब्रमण्यम

श्रीमती उमा शेखर

श्री सुरेन्द्र मेहरा

अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य

मुझे आपके सम्मुख 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के लिए अध्यक्ष वक्तव्य की प्रस्तुति करने का गौरव प्राप्त हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से हमारी कंपनी एक त्वरित विकासशील अंतरिक्ष व्यवसाय संगठन के रूप में उभर कर आई है।

कंपनी के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 विभिन्न व्यावसायिक दृष्टिकोणों से एक सफल वर्ष रहा है जिनमें (i) अपने प्रथम मांग प्रेरित उपग्रह मिशन जीसैट-एन1 (जीसैट-24) से डीटीएच सेवाओं की शुरुआत; (ii) भारतीय मेनलैंड एवं द्वीपों की आवश्यकता के अनुरूप ब्रॉडबैंड क्नेक्विटी के दूसरे मांग प्रेरित मिशन जीएसैट-एन2 (जीसैट-20) का शुभारंभ; (iii) एस-बैंड संचार उपग्रह मिशन जीसैट-एन3 मिशन की संकल्पना; (iv) सिंगापुर के ग्राहकों के लिए दो समर्पित पीएसएलवी प्रक्षेपण सेवा मिशनों का सफल निष्पादन; (v) एचएएल तथा एलएंडटी कंसोर्टियम के लिए प्रथम उद्योग निर्मित पीएसएलवी-एक्सएल को आद्योपांत सक्षम बनाना; (vi) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत मत्स्य विभाग की नेशनल रोलआउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एवं सपोर्ट सिस्टम परियोजना का निष्पादन जिसके अंतर्गत मेरीन फिशिंग वैसल्स में 1 लाख मोबाइल उपग्रह सर्विस (एमएसएस) टर्मिनल स्थापित करने की संकल्पना की गई है; (vii) वैश्विक चंद्र मिशनों को मिशन सहायता प्रदान करने के लिए इसरो के गहन अंतरिक्ष नेटवर्क एंटीना का व्यावसायीकरण; (viii) 20 प्रौद्योगिकी अंतरण अनुबंधों पर हस्ताक्षर; तथा (ix) एनसिल की इन-ऑर्बिट संचार उपग्रह परिसंपत्तियों के माध्यम से 150 से अधिक अनुबंधों के अंतर्गत उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करना जैसी व्यवसाय सफलताएं उल्लेखनीय हैं।

हमारा यह दृढ़ मत है कि स्टेकधारकों के विश्वास को बनाए रखने एवं उसके पोषण के लिए सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अत्यंत महत्वपूर्ण है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए आपकी कंपनी ने अनवरत रूप से 'उत्कृष्ट' रेटिंग हासिल किया है।

एनसिल को आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त है तथा सर्विलेंस ऑडिट का निर्वाह सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया है।

एक उत्तरदायी कॉर्पोरेट इकाई के रूप में एनसिल द्वारा समाज विकास के कार्यो, विशेषत: स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कौशल विकास एवं महिला सशक्तीकरण जैसे राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण कुलदान दिया जा रहा है। विचाराधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने मुख्यत: स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र के अंतर्गत कुल 24 परियोजनाओं का निष्पादन किया है।

आगामी वर्ष एवं उसके आगे आने वाले वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये वे वर्ष हैं जिनमें कंपनी अपने प्रारम्भिक वर्षों में निष्पादन के लिए किए गए अपने प्रयासों के प्रतिफल समेटेगी और इनसे कंपनी को आगे और अधिक सफलता हासिल होगी। कंपनी का आउटलुक प्रत्याशाओं से परिपूर्ण एवं चुनौतिपूर्ण है। प्रशासनिक मंत्रालय के सहकुल से हम किसी भी व्यावसायिक चुनौती एवं बाजार प्रतिस्पर्धाओं का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

धन्यवाद,

शुभकामनाओं सहित,

राधाकृष्णन डी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरू

नोट : यह पांचवी वार्षिक आम सभा की प्रक्रिया को रिकार्डबद्ध करने के उद्देश्य से नहीं है।

दूरदर्शिता

"वैश्विक ग्राहकों के लिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से उत्पन्न अंतरिक्ष संबंधी उत्पादों एवं सेवाओं को मुहैय्या कराने में उत्कृष्ट बनना तथा प्रौद्योगिकी रूप से चुनौतीपूर्ण अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों का उत्तरदायित्व संभालने में भारतीय उद्योग की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करना"

मिशन

"प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उच्च-प्रौद्योगिकी निर्माण आधार को बढ़ाने हेतु भारतीय उद्योगों को सक्षम बनाना, विभिन्न स्वदेशी एवं अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं हेतु उदीयमान वैश्विक वाणिज्यिक लघु उपग्रह प्रमोचन सेवा बाजार, उपग्रह सेवाओं की पूर्ति करना तथा अंतरिक्ष अंतरापृष्ठ के माध्यम से मानव जाति की भलाई हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उप-उत्पादों को सक्षम बनाना"

कॉर्पोरेट सूचना

सीआईएन: U74999KA2019GOI122175

निदेशक मंडल

श्री राधाकृष्णन डी., अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.08.2021 से)

श्री अरूणाचलम ए., निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति) (01.08.2021 से)

श्री राधा कृष्णा ए, निदेशक (वित्त) (06.05.2024 से)

श्रीमती उमा शेखर, अपर सचिव (विधि एवं संधि), विदेश मंत्रालय (16.12.2021 से)

डॉ. सुब्रमण्यम एम., संयुक्त सचिव (उद्यम, नीति एवं विधि), अंतरिक्ष विभाग (17.03.2022 से)

श्री सुरेन्द्र मेहरा, परामर्शदाता, नीति आयोग (28.02.2024 से)

डॉ. नीरज सिन्हा, वरिष्ठ परामर्शदाता एवं प्रधान, नीति आयोग (28.02.2024 तक)

प्रबंधन टीम

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	- श्री राधाकृष्णन डी., (01.08.2021 से)
निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)	- श्री अरूणाचलम ए., (01.08.2021 से)
निदेशक (वित्त)	- श्री राधा कृष्णा ए., (06.05.2024 से)
कंपनी सचिव	- श्रीमती एस. शनमुगा प्रिया (10.03.2023 से)

निदेशक मंडल की समितियां

लेखापरीक्षा समिति

श्रीमती उमा शेखर	- अध्यक्ष
डॉ. सुब्रमण्यम एम	- सदस्य
श्री सुरेन्द्र मेहरा	- सदस्य
श्री अरूणाचलम ए	- सदस्य

पारिश्रमिक समिति

श्री सुरेन्द्र मेहरा	- अध्यक्ष
श्रीमती उमा शेखर	- सदस्य
डॉ. सुब्रमण्यम एम.	- सदस्य

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संवहनीय विकास समिति

डॉ. सुब्रमण्यम एम.	- अध्यक्ष
श्रीमती उमा शेखर	- सदस्य
श्री सुरेन्द्र मेहरा	- सदस्य
श्री अरूणाचलम ए	- सदस्य

बैंकर

भारतीय स्टेट बैंक
डालर कालोनी शाखा
न्यू बी.ई.एल. रोड
बेंगलुरू-560 054

आईसीआईसीआई बैंक
8वां मेन, मल्लेश्वरम,
बेंगलूरू-560 055

लेखापरीक्षक

मैसर्स शांत कुमार एंड वेंकटेश,
सनदी लेखाकार
430, साई पुष्पांजली,
6th मेन, अमरज्योति लेआउट,
वेस्ट विंग, दोमलूर बेंगलूरू-560 071

पंजीकृत कार्यालय

इसरो मुख्यालय कैंपस,
न्यू बीईएल रोड,
बेंगलूरू-560 094

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

निदेशक मंडल आपके सम्मुख कंपनी के "व्यवसाय एवं प्रचालनों" से संबंधित निदेशक मंडल की 5वीं रिपोर्ट सहित 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण एवं उनसे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियों को सहर्ष प्रस्तुत कर रहा है।

प्रमुख विशिष्टताएं

कंपनी के लिए व्यवसाय एवं राजस्व के दृष्टिकोण से वित्तीय वर्ष 2023-24 एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वर्ष था है। वर्ष 2023-24 के दौरान एनसिल की व्यावसायिक उपलब्धियों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- **जीसैट - एन1 प्रथम मांग प्रेरित मिशन**: जीसैट-24 से ट्रांसपोंडर कैपेसिटी सेवाएं प्रारम्भ की गई, यह एनसिल का प्रथम मांग प्रेरित संचार उपग्रह मिशन है।
- **जीसैट - एन2 द्वितीय मांग प्रेरित मिशन**: जीसैट-एन2 मिशन का सफल निर्वाह, भारत भूमि एवं पड़ोसी द्वीपों की आवश्यकता के अनुरूप 48 जीबीपीएस क्षमता युक्त ब्रॉडबैंड क्नेक्टिविटी की पूर्ति के लिए केए-केए बैंड हाई थ्रूपुट उपग्रह का प्रक्षेपण वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में किया जाना है।
- **जीसैट - एन3 तृतीय मांग प्रेरित मिशन**: जीसैट-एन3 मिशल का सफल संपादन, एस बैंड संचार उपग्रह, प्रक्षेपण वर्ष 2026 की प्रथम तिमाही में किया जाना है।
- **पीएसएलवी प्रक्षेपण सेवाएं**: सिंगापुर सेटेलाइट ग्राहक के लिए दो समर्पित पीएसएलवी प्रक्षेपण मिशन पूरे किए गए हैं।
- **एलवीएम-3 पर ऑनबोर्ड प्रक्षेपण सेवाएं**: अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक के उपग्रह पर एलवीएम-3 की ऑनबोर्ड प्रक्षेपण सेवा अनुबंध पर हस्ताक्षर। प्रक्षेपण वर्ष 2025 के दौरान किया जाना प्रस्तावित है।
- **लघु उपग्रह प्रमोचन यान (एसएसएलवी)**: छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण की मांग की पूर्ति के लिए 15 स्मॉल सेटेलाइट लौंन्च व्हीकल से कार्यों की शुरूआत।
- **मत्स्य उद्योग के लिए परियोजना**: मत्स्य विभाग के साथ 1,00,000 वैसल्स कम्युनिकेशन के संस्थापन एवं सामुद्रिक मत्स्य जहाजों की सहायता के लिए अनुबंध - प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय रोलआउट योजना।
- एनसिल के इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों के माध्यम से सेवा प्रदान करने के लिए लगभग **150 से अधिक अनुबंधों** के माध्यम से उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
- एक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक के **चन्द्र मिशन के लिए मिशन सहायता** के अंतर्गत इसरो के गहन अंतरिक्ष नेटवर्क एंटीना का वाणिज्यिकरण।
- इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का भारतीय उद्योग को अंतरण करने के लिए **20 प्रौद्योगिकी अंतरण अनुबंध** पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

व्यवसाय समीक्षा

भारत सरकार की 'अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्षमताओं का दोहन' पहल से अंतरिक्ष क्षेत्र में की गई सुधार प्रक्रियाओं के पश्चात जून 2020 के दौरान कंपनी के जनादेश में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई है। कंपनी को "मांग प्रेरित" के आधार माडल के अनुरूप अंतरिक्ष-आधारित मिशन प्रारंभ करने आद्योपांत अंतरिक्ष व्यवसाय सेवाएं प्रदान करने के उत्तरदायित्व दिए गए हैं।

अंतरिक्ष सुधारों के पश्चात, अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों के वहन में एनसिल की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों का विवरण निम्नलिखित है:

गतिविधि	विवरण
उपग्रहों का स्वामित्व	• पृथ्वी प्रेक्षण तथा संचार उपयोगिताओं के उद्देश्य एवं अंतरिक्ष आधारित सेवाओं के लिए उपग्रहों का स्वामित्व
उपग्रहों का निर्माण तथा उन्हें प्रक्षेपण करना	• ग्राहक मांग के आधार पर उपग्रहों का निर्माण करना एवं प्रक्षेपण करना
प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करना	• ग्राहकों से संबंधित उपग्रहों के लिए प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करना
प्रक्षेपण यानों का निर्माण	• भारतीय उद्योग के माध्यम से प्रक्षेपण यानों का निर्माण
अंतरिक्ष आधारित सेवाएं	• वाणिज्यिक आधार पर पृथ्वी प्रेक्षण एवं संचार उपग्रहों से संबंधित अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करना
प्रौद्योगिकी अंतरण	• इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का अंतरण भारतीय उद्योग भागीदारों को करना

व्यवसाय वर्टिकल्स

मंत्रिमंडल द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार व्यवसाय आधारित आवश्यकताओं तथा एनसिल के संवर्धित जनादेश की पूर्ति के लिए कंपनी द्वारा निम्नानुसार छः व्यवसाय वर्टिकल्स का निर्माण किया गया है:

मांग चालित मॉडल पर उपग्रहों का स्वामित्व तथा परिचालन

- **जीसैट-एन1 : प्रथम मांग प्रेरित मिशन** : एनसिल द्वारा मैसर्स टाटा प्ले की डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीसैट-एन1 नामक अपना प्रथम मांग प्रेरित संचार उपग्रह मिशन प्रारंभ किया गया है। इस मिशन के लिए संपूर्ण निधि पोषण एनसिल द्वारा किया गया है। सफल परीक्षण एवं कक्षा में उपग्रह की कमीशनिंग के पश्चात मैसर्स टाटा प्ले के लिए सीसैट-24 सेवाएं परिचालनात्मक हो गई है।

- **जीसैट-एन2 : द्वितीय मांग प्रेरित मिशन** : एनसिल अपने द्वितीय मांग प्रेरित उपग्रह मिशन, जीसैट-एन2, जो भारत भूमि एवं पड़ौसी द्वीपों की ब्रॉडबैंड क्नेक्टिविटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 48 जीबीपीएस क्षमता से युक्त एक केए - केए बैंड हाई थ्रूपुट उपग्रह है, से प्रतिफल प्राप्ति के अग्रिम चरण में है। एनसिल द्वारा भारतीय ग्राहकों के साथ एचटीएस क्षमता उपयोग प्रतिबद्धता अनुबंध हस्ताक्षर कर लिया गया है। एनसिल द्वारा जीसैट-एन2 के प्रक्षेपण के लिए मैसर्स स्पेसएक्स के साथ प्रक्षेपण सेवा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मिशन के लिए पूर्ण निधि पोषण एनसिल द्वारा किया जा रहा है। प्रक्षेपण अगस्त, 2024 में किया जाना प्रस्तावित है।

भारतीय उद्योग के माध्यम से प्रक्षेपण यान का निर्माण

- **पोलर सेटेलाइट लौंच व्हीकल (पीएसएलवी)** : अपने जनादेश के अंतर्गत एनसिल द्वारा मैसर्स एचएएल [मैसर्स एचएएल तथा एल एंड टी कंसोर्टियम का प्रमुख साझेदार] के साथ 5 पीएसएलवी के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय उद्योग द्वारा पूर्णत निर्मित प्रथम पीएसएलवी का निर्माण करके इसका वर्ष 2024 के अंत तक प्रक्षेपण किया जाएगा। शेष यान प्रत्येक छह माह के अंतराल पर सौंपे जाएंगे।

- **स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल (एसएसएलवी)**: लघु उपग्रहों से संबंधित मांग प्रेरित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एनसिल द्वारा 15 एसएसएलवी का निर्माण आगामी 2-3 वर्ष की समयावधि में किया जाएगा।

- **लॉच व्हीकल एमके-III**: एनसिल द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के दायरे में भारतीय उद्योग के माध्यम से एलवीएम-3 के आद्योपांत उत्पादन के अर्हता अनुरोध (आरएफक्यू) जारी किया गया है। अर्हता अनुरोध की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात शार्टलिस्ट किए गए भागीदारों को एनसिल द्वारा प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) जारी किया जाएगा। उदयीमान वैश्विक प्रक्षेपण सेवा बाजार मांग की पूर्ति के लिए एनसिल का लक्ष्य अगले 12-14 वर्षों की समयावधि में 60 से अधिक एलवीएम3 प्रक्षेपण यान का निर्माण करने का है।

इसरो के प्रमोचन यान पर ग्राहक उपग्रहों के लिए आनबोर्ड प्रेक्षपण सेवाएं

- अब तक एनसिल द्वारा पीएसएलवी पर 62 अंतर्राष्ट्रीय और 2 भारतीय ग्राहक उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। इसमें आनबोर्ड पीएसएलवी 4 समर्पित ग्राहक उपग्रह मिशन का सफल संपादन शामिल है।

- वर्ष 2023 के दौरान, एनसिल सिंगापुर के उपग्रह ग्राहक के लिए निम्नलिखित 2 समर्पित पीएसएलवी प्रक्षेपण किए गए हैं :
  (i) एसटी इंजीनियर्स के साथ किए गए वाणिज्यिक अनुबंध के अंतर्गत सिंगापुर से अप्रैल 2023 के दौरान टीईएलईओएस-2 तथा अन्य सह-यात्री उपग्रहों का प्रक्षेपण तथा
  (ii) एसटी इंजीनियर्स के साथ किए गए वाणिज्यिक अनुबंध के अंतर्गत सिंगापुर से जुलाई, 2023 के दौरान डीएस-एसएआर एवं अन्य सहयात्री उपग्रहों का प्रक्षेपण।
- इसके अलावा, एनसिल के पास वर्ष 2024 तथा 2025 के दौरान ग्राहक उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए 3 समर्पित पीएसएलवी प्रक्षेपण सेवा अनुबंध हैं।
- एनसिल द्वारा मेसर्स नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड (मैसर्स वनवेब), यूनाइटेड किंगडम के लिए एलवीएम3 के ऑनबोर्ड दो मिशनों के लिए अक्तूबर, 2022 तथा मार्च, 2023 के दौरान 72 वनवेब लियो ब्रॉडबैंड संचार उपग्रह के प्रक्षेपण किए गए हैं।
- एनसिल ने वर्ष 2025 के दौरान प्रक्षेपण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह ग्राहक के साथ एलवीएम-3 के समर्पित प्रक्षेपण के लिए सेवा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

उपग्रह निर्माण

- एनसिल द्वारा एक भारतीय ग्राहक के साथ इसरो के माध्यम से स्पेसक्राफ्ट बस के निर्माण तथा पीएसएलवी पर ऑनबोर्ड उपग्रह प्रक्षेपण के लिए एक अनुबंध हासिल किया गया है। स्पेसक्राफ्ट बस का निर्माण इसरो में किया जाएगा तथा ग्राहक द्वारा आपूर्ति किए गए पेलोड के एकीकरण के पश्चात वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में उपग्रह प्रक्षेपण के लिए तैयार हो सकेगा।
- एनसिल को एक भारतीय ग्राहक से इसरो के माध्यम से 4 स्पेसक्राफ्ट बस के निर्माण तथा ऑनबोर्ड पीएसएलवी पर प्रेक्षण के लिए एक अनुबंध प्राप्त हुआ है।
- एनसिल को भारतीय थलसेना के लिए जीसैट-7बी के निर्माण एवं प्रक्षेपण का भी एक अनुबंध प्राप्त हुआ है।
- एनसिल द्वारा अनेक घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को (क) संचार उपग्रहों के निर्माण; (ख) भू प्रेक्षण उपग्रहों का निर्माण; (ग) उपग्रह बस प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना; तथा (घ) भू घटकों की स्थापना के लिए तकनीकी - वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं।

सैटकॉम सेवाएं

- एनसिल द्वारा डीटीएच, वीएसएटी, टीवी, डीएसएनजी, आईएफएमसी आदि जैसी विभिन्न उपयोगिताओं के लिए विभिन्न बैंड्स की अंतरिक्ष क्षमता बैंट पाइप तथा एचटीएस उपग्रहों को पट्टे पर दी जा रही हैं। इसके अलावा, एनसिल विदेशी उपग्रहों को क्षमता का पट्टा बैक-टू-बैक आधार पर भारतीय प्रयोक्ताओं की डीटीएच एवं वीएसएटी उपयोगिताओं की मांग की पूर्ति के लिए दिया जा रहा है।
- वर्तमान में एनसिल के स्वामित्व में प्रचालन कर रहे 11 संचार उपग्रह हैं तथा 150+ अनुबंधों (विदेशी ट्रांसपोंडरों सहित) के माध्यम 300 ट्रांसपोंडर पट्टे पर दिए गए हैं।
- प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत मत्स्य विभाग की "नेशनल रोलआउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एवं सपोर्ट सिस्टम परियोजना में वैस्सल संचार का संस्थापन करने तथा मेरिन मत्स्य वैस्सल्स का मानीटरन, नियंत्रण एवं निगरानी" के लिए एनसिल को मत्स्य विभाग की कार्यान्वयन एजेंसी का दायित्व सौंपा गया है। इसके अंतर्गत, एनसिल ने 3 भारतीय उद्योग साझेदारों को स्थल अवसंरचना के निर्माण / विकास सहित मत्स्य वैस्सल्स पर ऑनबोर्ड 100,000 स्वदेशी एमएसएस टर्मिनलों (एक्पोडंर्स) की आपूर्ति, संस्थापन, प्रचालन एवं प्रबंधन के कार्य सौंपे हैं। लगभग 10,000 एमएसएस टर्मिनलों का संस्थापन अगस्त, 2024 में किए जाने की योजना है।

मिशन सहायता

- अब तक, एनसिल द्वारा मिशन समर्थन सेवाओं के अंतर्गत भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को तेरह (13) प्रक्षेपण यान ट्रैकिंग सहायता तथा पांच (5) प्रक्षेपण एवं अर्ली ओबिट फेस (एलईओपी) सहायता प्रदान की गई है।
- एनसिल ने वर्ष 2023 के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक के चन्द्र अभियान के लिए गहन अंतरिक्ष मिशन सहायता प्रदान की है।

वित्तीय सारांश/प्रमुख विशिष्टताएं

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने 2,11,612.94 लाख रुपए तथा कर पश्चात लाभ 59,912.90 लाख रुपए का टर्नओवर हासिल किया है। पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान यह टर्नओवर 2,84,226.43 लाख रुपए तथा कर देने के पश्चात लाभ 45,998.04 लाख रुपए था। प्रमुख अंश नीचे दिए गए हैं:

(रुपए लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
घरेलू टर्नओवर	1,89,673.26	1,67,698.96
निर्यात टर्नओवर	21,939.69	1,16,527.47
कुल टर्नओवर	**2,11,612.95**	**2,84,226.43**
अन्य आय	27,908.26	9,816.04
कुल राजस्व	**2,39,521.21**	**2,94,042.47**
उत्पादन लागत	96,808.17	1,70,936.14
कर्मचारी हितलाभ व्यय	617.64	280.00
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	59,862.87	59,584.13
अन्य व्यय जो उपर्युक्त में शामिल नहीं हैं	1,872.83	1,607.38
कुल व्यय	**1,59,161.51**	**2,32,407.65**
कर पूर्व लाभ / (हानि)	80,359.70	61,634.82
आय कर	20,446.80	15,636.78
कर पश्चात लाभ / (हानि)	59,912.90	45,998.04
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश	शून्य*	
सामान्य रिजर्व में अंतरण	शून्य	शून्य

* छूट प्राप्ति के लिए प्रस्तावित

लाभांश

आगामी वर्षों में प्रारंभ की जाने वाली परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश के भुगतान से छूट प्राप्ति की प्रस्तावना की गई है।

आरक्षित निधियां

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, सामान्य रिजर्व निधि में कोई राशि अंतरित की जानी प्रस्तावित नहीं है।

राजकोष में अंशदान

कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान शुल्क और कर के रूप में 17,196.01 लाख रुपए (वित्तीय वर्ष 2022-23 में 23,405 लाख रुपए) का अंशदान किया है।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति तथा रिपोर्ट की तिथि के मध्य वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति तथा इस रिपोर्ट की तिथि के मध्य की अवधि में कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुए हैं।

सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम अथवा सम्बद्ध कंपनी नहीं है।

जमा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा जनता से कोई जमा आमंत्रित नहीं किए गए हैं।

ऋण, गारंटी तथा निवेश

वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई ऋण, गारंटी अथवा निवेश नहीं किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित है तथा आईसीएआई द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर लेखापरीक्षा के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में जारी मार्गदर्शी नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को विचार में रखकर कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के स्थापित मापदंडों के आधार पर 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे।

कंपनी द्वारा वर्तमान प्रणालियों एवं प्रयुक्त नियंत्रणों की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मैसर्स राव एंड एम्मार, सनदी लेखाकार की सेवाएं प्राप्त की गई हैं।

शेयर पूंजी

कंपनी की अधिकृत 10/- रुपए मूल्य प्रत्येक के 750,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित इक्विटी शेयर पूंजी 7500,00,00,000/- रुपए (सात हजार पांच सौ करोड़ रुपए केवल) है।

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कुल जारी एवं प्रदत्त पूंजी 5607,60,00,000/- रुपए (पांच हजार छह सौ सात करोड़ साठ लाख रुपए केवल) थी, जो 10/- रुपए मूल्य प्रत्येक के 560,76,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

भारत सरकार की शेयर पूंजी धारिता 100% है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

कंपनी द्वारा अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के माध्यम से लोक उद्यम विभाग के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के मापदंडों की प्राप्ति एवं स्व मूल्यांकन के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। वर्ष 2022-23 के मूल्यांकन संपन्न कर लिया गया था तथा कंपनी को अंतर मंत्रालयीन समिति (आईएमसी) द्वारा स्थापित बेंचमार्क लक्ष्यों के आधार पर 78% समझौता ज्ञापन अंकों के साथ "बहुत अच्छा" रेटिंग प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा मूल्यांकन शीघ्र ही पूरा किया जाएगा।

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

इस रिपोर्ट की प्रकाशित तिथि के अनुसार, एनसिल को आईएसओ 9001:2015 के लिए प्रमाणित किया गया है।

आउटसोर्सिंग

कंपनी द्वारा अपनी आवश्यकताओं तथा गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर भारतीय उद्योग में बाह्यस्रोतण किया जाता है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसईएस) से प्रापण

कंपनी मुख्यत: अंतरिक्ष उद्योग से संबंधित उत्पादों एवं सेवाओं के व्यवसाय तथा अपनी परियोजनाओं के प्रबंधन के कार्य करती है। इसका सीमित कार्यक्षेत्र के दायरे में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (एमएसएमई) से माल एवं सेवाओं का प्रापण करने के प्रयास किए जाते हैं।

कंपनी ने निविदा में भाग लेने के लिए एमएसई की पात्रता का उल्लेख करके निविदाओं में आवश्यक प्रावधान किए हैं। कंपनी ने सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म, एमएसएमई संबंध, एमएसएमई समाधान तथा सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर पंजीकरण किया है। वर्ष 2023-24 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उत्पादों और सेवाओं का 44.10% प्रापण किया गया है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं का विवरण

कंपनी, अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। कंपनी के कार्यबल में इसरो से कार्य व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिनके वेतन व्यय का कंपनी द्वारा वास्तविकता के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है। इसरो के कुछ अधिकारियों / कर्मचारियों का कंपनी द्वारा तत्काल समावेशन किया गया है तथा इन्हें लागू दिशानिर्देशों के अनुसरण पर भुगतान किए जाते हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान सभी संबंधित पक्ष संव्यवहार व्यवसाय के सामान्य क्रम में तथा आर्म्स लैंथ आधार पर किए गए थे।

इसके लिए सदस्यगण, इंड एएस-24 के अनुसरण में किए सम्बद्ध पक्षों के प्रकटीकरण से संबंधित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 41 तथा 46.1 से संदर्भ प्राप्त कर सकते हैं।

मानव संसाधन विकास

कंपनी की मानव संसाधन नीति में रोजगार के नियंत्रकारी विभिन्न पहलुओं को अंगीकार करने के लिए विवेकी अभिमुखता को विचार में लिया जाता है। कंपनी प्रबंधन द्वारा पर्याप्त विषय विशेषज्ञता वाले सक्षम एवं उच्चतर प्रतिक्रियाशील मानव संसाधनों के ज्ञान एवं कौशल का निरंतर उन्नयन किया जाता है। कंपनी द्वारा विकसित संसाधन अंतग्रहण की कार्यनीति चुनौतिपूर्ण कार्य परिवेश, उच्च जोखिम युक्त कार्यों, प्रापण की विशाल लागतों, प्रौद्योगिकी एवं वृद्धिशील प्रतिस्पर्धा के तीव्र परिवर्तनशील स्तर का सामना करने के लिए विशेषता एवं प्रतिभा के प्रवाह के अनुरक्षण की आवश्यकता की पूर्ति करती है। कंपनी का ध्यान कर्मचारियों में विश्वास का निर्माण करने, बेहतर निष्पादन के लिए अग्रणी होने तथा उत्पादकता बढ़ाने एवं बेहतर टीम नेतृत्व करने के भाव के निर्माण की ओर केन्द्रित है।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की वेतन सूची में 5 महिला कर्मचारियों सहित 42 कर्मचारी कार्यरत थे। कंपनी द्वारा आरक्षण से संबंधित भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है।

कर्मचारियों का विवरण तथा संबंधित प्रकटीकरण

सरकारी कम्पनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है। तदनुसार, संबंधित विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम 2013 का अनुपालन

कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न (प्रतिषेध, प्रतितोष तथा निवारण) अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार कंपनी में महिला कर्मचारियों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न की शिकायतों की देखरेख के लिए एक अलग आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई तथा कोई भी मामला लंबित नहीं है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयन

सभी दिव्यांगजन कर्मचारियों को समय-समय पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। भर्ती के दौरान दिव्यांगजनों को लागू अन्य भत्ते और छूट प्रदान की जाती हैं।

सूचना अधिकार अधिनियम

कंपनी में सूचना अधिकारी अधिनियम, 2005 ("आरटीआई अधिनियम") के अंतर्गत अनुपालन आवश्यकताओं के अनुसार पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक उचित तंत्रव्यवस्था स्थापित है। कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को नामित किया है। अधिनियम की धारा 4(1)(बी) की आवश्यकताओं के अनुरूप, कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी प्रस्तुत की है। सरकार के निर्देशों के अनुरूप, कंपनी आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन आवेदनों पर प्रक्रियाएं कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी को 23 आरटीआई अनुरोध प्राप्त हुए थे। उक्त 23 अनुरोधों के प्रत्युत्तर में सूचना उपलब्ध कराई गई थी। पिछले वर्ष प्रस्तुत किसी भी अनुरोध को अग्रेषित अथवा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को अंतरित नहीं किया गया है। 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार निपटान कार्रवाई के लिए कोई भी अनुरोध लंबित नहीं है।

कंपनी द्वारा स्व प्रेरित प्रकटीकरण के संबंध में तृतीय पक्ष पारदर्शिता ऑडिट करवाया गया है तथा केन्द्रीय सूचना आकुल (सीआईसी) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की अपेक्षा के अनुसार 62% अंक प्राप्त किए गए हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा 'हिंदी' को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अंतरिक्ष विभाग/इसरो के साथ मिलकर अपने आधिकारिक कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं। एनसिल में हिन्दी भाषा के प्रकुल के प्रोत्साहन के लिए दिनांक 11.03.2024 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया है।

सतर्क तंत्रव्यवस्था

कंपनी द्वारा कर्मचारियों के लिए उनके प्रति अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध जालसाजी, अथवा संहिता के उल्लंघन से संबंधित अपने सरोकार की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्रव्यवस्था स्थापित की गई है। इस तंत्रव्यवस्था में इसका उपयोग करने वाले कर्मचारियों को उत्पीड़न से बचाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी है, तथा इसमें लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच की व्यवस्था भी है। वर्ष के दौरान, किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है। सतर्क तंत्रव्यवस्था नीति हमारी वेबसाइट www.nsilindia.co.in पर उपलब्ध है। कंपनी में सतर्कता तंत्रव्यवस्था भी है, जिसका नेतृत्व अंतरिक्ष विभाग द्वारा नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी कर रहे है।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी में उचित और निरंतर जोखिम पहचान एवं प्रबंधन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति की व्यवस्था की गई है।

दिवालिया एवं ऋणशोधन संहिता

वर्ष के दौरान, दिवालिया एवं ऋणशोधन संहिता, 2016 के अंतर्गत कोई प्रक्रिया नहीं की गई है तथा कोई प्रक्रिया लंबित नहीं है।

न्यायिक निकायों/विनियामकों द्वारा जारी भौतिक आदेश

विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा कंपनी की गोइंग कंसर्न स्थिति तथा इसके भावी प्रचालनों को प्रभावित करने से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण अथवा भौतिक आदेश पारित नहीं किए गए हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीय विकास (सीएसआर एवं एसडी)

कंपनी द्वारा अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग ध्यान दिया गया है तथा इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 877.81 लाख रुपए की राशि का व्यय किया गया है। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के गठन सहित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

सीएसआर नीति, परियोजनाओं और कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.nsilindia.co.in/csr में दिया गया है।

लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मैसर्स शांत कुमार एंड वेंकटेश, सनदी लेखाकार, बेंगलूरू की नियुक्ति वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में की गई है। कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के लिए लागू कर सहित 2.50 लाख रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है।

लेखा पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरण से संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में संलग्न है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई अर्हता नहीं दी गई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी इस अनुलग्नक का भाग है।

लेखापरीक्षक द्वारा सूचित जालसाजी

विचाराधीन वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनी के प्रति इसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा लेखापरीक्षा समिति को सूचित किसी जालसाजी की सूचना नहीं दी गई है।

कॉर्पोरेट शासन

लोक उद्यम विभाग के ई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट, मैसर्स बीआरकेएस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, बेंगलूरू द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन की शर्तों की अनुपालन रिपार्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

मैसर्स बीआरकेएस एंड एसोसिएट्स द्वारा किए गए प्रक्षेण तथा इस संबंध में प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

प्रेक्षण	टिप्पणियां / स्पष्टीकरण
स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई है।	यह कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र का केन्द्रीय उपक्रम है, निदेशकों (प्रप्रकार्यात्मक निदेशकों सहित) के कार्यकाल तथा उनके पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के माध्यम से किया जाता है। अंतरिक्ष विभाग कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक 'क' में संलग्न है।

निदेशक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी की नीति

यह कंपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है जिसके कारण, निदेशकों की नियुक्ति सहित चयन, नियुक्त एवं नियम तथा शर्तों तथा पारिश्रमिक के मानदंड, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कंपनी में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक नीति दिनांक 28.05.2024 से प्रभावी है।

निदेशक मंडल की बैठकें

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की पांच बैठकें आयोजित की गईं थी, जिनका विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में 4 (चार) सदस्य थे, जिनमें से 3 (तीन) सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा 1(एक) प्रकार्यात्मक निदेशक थे।

वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की 04 (चार) बैठकें आयोजित की गईं, जिनका विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है।

वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की अनुशंसा को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार न किए जाने की कोई स्थिति नहीं है।

निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों में परिवर्तन

इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार निदेशक मंडल में 6 निदेशक हैं जिनमें से 3 [अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित] पूर्णकालिक निदेशक हैं तथा 3 सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। कंपनी के निदेशक मंडल में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं है। कंपनी ने प्रशासनिक मंत्रालय अंतरिक्ष विभाग से आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किए जाने का अनुरोध किया है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति), निदेशक (वित्त) तथा कंपनी सचिव को कंपनी का प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) घोषित किया गया है।

निदेशक मंडल में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं :

अंतरिक्ष विभाग के दिनांक 28 फरवरी, 2024 के पत्र के माध्यम से श्री ए. अरूणाचलम का नियमन निदेशक - तकनीकी एवं कार्यनीति के पद पर हुआ है।

अपने मूल संगठन में वापस लौट जाने के परिणामस्वरूप नीति आकुल का प्रतिनिधित्व कर रहे डॉ. नीरज सिन्हा द्वारा सरकार द्वारा नामित निदेशक की पदधारिता त्याग दी गई है। श्री सुरेन्द्र मेहरा को दिनांक 28 फरवरी, 2024 से डॉ. नीरज सिन्हा के स्थान पर नामित किया गया है।

श्री ए. राधा कृष्णा द्वारा दिनांक 6 मई, 2024 से निदेशक (वित्त) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी राधाकृणन का कार्यकाल, दिनांक 29.06.2024 से 30.06.2025 तक की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए अनुबंध आधार पर पुनर्नियुक्ति, सरकारी अधिकारियों के संबंध में लागू पुनर्नियुक्ति के सामान्य नियमों एवं उपबंधों के अनुसार, करके विस्तारित किया गया है।

निदेशक मंडल डॉ. नीरज सिन्हा, जिनका कार्यकाल इस वर्ष के दौरान समाप्त हुआ है, के द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन के लिए हृदय से अपना आभार रिकार्डबद्ध करने के आकांक्षी हैं।

निदेशक मंडल / निदेशकों का मूल्यांकन

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशक मंडल /निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों के प्रति कानून के अंतर्गत छूट दी गई है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

क) **ऊर्जा संरक्षण**: कंपनी द्वारा ऊर्जा गहन प्रचालन नहीं किए जाते हैं।

ख) **प्रौद्योगिकी समावेशन** : कंपनी के प्रचालन मुख्यत: कंपनी के मूल संगठन इसरो / कंपनी के प्रशासनिक विभाग, अंतरिक्ष विभाग द्वारा विकसित उत्पादों एवं सेवाओं के वाणिज्यिकरण से संबंधित हैं।

ग) **विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय**

(रुपए लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
विदेशी मुद्रा आय	22,564.48	1,19,829
विदेशी मुद्रा व्यय	1,03,359.78	77,427

निदेशक उत्तरदायिता विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अनुसरण में, निदेशकों द्वारा यह पुष्टि की गई है कि :-

क) वार्षिक लेखों के निर्माण के दौरान लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण, सामग्री विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ, किया गया था;

ख) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था तथा उनका निरंतर उपयोग किया गया था तथा ऐसे औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय एवं अनुमान लगाए थे जिनसे 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों तथा उक्त अवधि में कंपनी के लाभ की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति होती हो;

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसम्पतियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण करके पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण करने तथा उन्हें जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाने एवं उनका पता लगाने के लिए यथोचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की है;

घ) निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखों का निर्माण गोइंग कंसर्न के आधार पर किया गया है;

ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए आंतरिक लेखांकन नियंत्रणों का निर्धारण किया है तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा वे प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं; तथा

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों का निर्माण किया है जो पर्याप्त थी तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी।

वार्षिक विवरण का वेबलिंक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के अनुसरण में कंपनी के वार्षिक विवरणों की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट https://www.nsilindia.co.in/annual-report पर उपलब्ध है।

लागत रिकार्ड

लागत लेखापरीक्षा की अपेक्षाएं कंपनी के संबंध में लागू नहीं हैं तथा तदनुसार ऐसे लेखों एवं रिकार्डों का अनुरक्षण नहीं किया गया है।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित कंपनी के व्यवसाय प्रचालनों एवं भविष्य की अभिमुखता की प्रस्तुति से युक्त प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है तथा यह इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि तथा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के मध्य अंतर के विवरणों सहित कारण

कंपनी द्वारा बैंकों / वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया गया है तथा तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एकमुश्त निपटान का कोई मामला नहीं हैं।

विदेश यात्रा व्यय

पिछले वर्ष किए गए 19.10 लाख रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के अधिकारियों द्वारा आधिकारिक विदेश यात्रा पर 38.09 लाख रुपए का व्यय हुआ है।

सचिवीय मानकों का अनुपालन

कंपनी द्वारा भारतीय कंपनी संस्थान द्वारा जारी लागू अनिवार्य सचिवीय मानकों का अनुपालन किया जा रहा है।

आभारोक्ति

निदेशक मंडल भारत सरकार, विशेषत: अंतरिक्ष विभाग, विभिन्न राज्य सरकारों, विनियामक एवं सांविधिक प्राधिकरणों से प्राप्त समर्थन एवं प्रोत्साहन के लिए आभारी है। निदेशक मंडल, कंपनी के निष्पादन के प्रति प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त कुलदान को मूल्यवान मानता है एवं आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल अपने व्यवसाय सहयोगियों, ग्राहकों, बैंकरों, लेखापरीक्षकों एवं अन्य स्टेकधारकों से कंपनी को प्राप्त अनवरत सहकुल एवं उनमें निर्मित विश्वास के प्रति अपना धन्यवाद प्रस्तुत करता है। निदेशक मंडल, भविष्य में इसी प्रकार से समर्थनकारी संबंधों एवं सहकुल के भाव को बनाए रखते की प्रत्याशा करता है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

डी राधाकृष्णन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08382973

दिनांक : 16.07.2024
स्थान : बेंगलूरू

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग परिदृश्य

भारत सरकार द्वारा जून, 2020 में घोषित अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से देश के पारिस्थितिकीतंत्र में जीवंत विस्तार की उत्पत्ति हुई है। इन सुधारों से भारत में अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम गतिविधियों में हुए परिवर्तन प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 भी जारी की गई है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकीतंत्र के विभिन्न स्टेकधारकों की भूमिकाओं एवं उनके उत्तरदायित्वों को परिभाषित किया गया है। वैश्विक पूर्वानुमानों में कक्षीय प्रक्षेपणों, उपग्रह क्नेक्टिविटी, विशालकाय आयतन के भूखंड में बढ़ोत्तरी आंकी गई है जिसकी आवश्यकता प्रत्येक वेधशाला उपयोगिता आदि के लिए है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग का उद्‌भव होने से डाउनस्ट्रीम गतिविधियों में काफी अधिक बढ़ोत्तरी होगी।

संगठन संरचना

मार्च, 2019 में निगमित न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल), अंतरिक्ष विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम तथा इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। जून 2020 के दौरान, भारत सरकार द्वारा घोषित अंतरिक्ष सुधारों के अंतर्गत एनसिल का व्यवसाय जनादेश में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई थी। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार एनसिल ने अपने वाणिज्यिक अंतरिक्ष व्यवसाय प्रचालनों के पांच वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं।

इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति); निदेशक (वित्त) तथा सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। प्रशासनिक मंत्रालय अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) द्वारा कंपनी के अनुमोदित असोसिएशन अनुच्छेद के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। कंपनी ने अपनी वेतन सूची में कुल कार्मिकों की नियुक्ति की है। कंपनी के संवर्धित जनादेश को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा अपनी वेतनसूची में कुछ और कार्मिकों की नियुक्ति किए जाने तथा इसरो / अंतरिक्ष विभाग से प्रतिनियुक्ति / त्वरित समावेशन पर कार्यकारियों का समावेश किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है।

व्यवसाय प्रचालन

निदेशक मंडल की रिपोर्ट में व्यवसाय समीक्षा के अंतर्गत विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों में कंपनी के व्यवसाय प्रचालन से संबंधित विवरण दिया गया है।

शक्तियां, अशक्तियां, अवसर एवं जोखिम (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण

कंपनी के लिए ऐसे आंतरिक (शक्तियां एवं अशक्तियां) तथा बाह्य (अवसर एवं जोखिम) कारकों का मूल्यांकन किया जाना अत्यावश्यक है जिनकी व्यावसायिक कार्यनीतियों की संरचना व्यवसाय को प्रभावित कर सकती है। प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने और अपने उत्पादों तथा सेवाओं के लिए वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए यह अत्यावश्यक है। तदनुसार, एनसिल द्वारा शक्तियां, अशक्तियां, अवसर एवं जोखिम (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण किए गए हैं तथा विश्लेषण से प्राप्त परिणामों का उपयोग व्यवसाय प्रचालनों की योजना एवं कार्यनीति के निर्माण के लिए किया गया है।

उत्पाद - वार निष्पादन

गोपनीयता के विचार से उत्पाद-वार निष्पादन प्रस्तुत नहीं किया गया है

(रुपए लाख में)

<table>
<tr><th>व्यवसाय सेगमेंट</th><th>निर्यात</th><th>घरेलू</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>प्रक्षेपण सेवाएं</td><td rowspan="5">21,939.69</td><td rowspan="5">1,89,673.26</td><td rowspan="5">2,11,612.95</td></tr>
<tr><td>मिशन समर्थन सेवाएं</td></tr>
<tr><td>अंतरिक्ष सेगमेंट संचार (ट्रांसपोंडर पट्टा)</td></tr>
<tr><td>उत्पादों की बिक्री</td></tr>
<tr><td>प्रौद्योगिकी अंतरण</td></tr>
</table>

भविष्य के प्रति अभिमुखता

कंपनी अपने संवर्धित जनादेश एवं संवर्धित स्वायत्तता के साथ उपग्रहों के निर्माण, प्रक्षेपण, स्वामित्व तथा प्रचालन और साथ ही ग्राहकों को वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्पर्धी दरों पर आद्योपांत सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। कंपनी भारतीय उद्योग के माध्यम से इसरो के

प्रचालन प्रक्षेपण यानों का भी निर्माण कर रही है जिसका अंततः स्वामित्व उन्हें प्राप्त होगा। कंपनी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम गतिविधियों के लिए भारतीय उद्योग की संभावनाओं का दोहन करने की भी योजना बना रही है। कंपनी अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं का उपयोग करके अंतिम छोर क्नेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अपने फुटप्रिंट्स का विस्तार करने के लिए तैयार है।

चुनौतियों से जुझने के उपाय

अंतरिक्ष व्यवसाय एक चुनौतिपूर्ण व्यवसाय है जिसके प्रत्येक चरण में जोखिम व्याप्त है। कंपनी सम्मुख उत्पन्न होने व्यवसाय क्षेत्र के जोखिमों को समझती तथा इसके द्वारा जोखिमों को समाप्त करने के लिए उचित उपाय किए गए हैं। कंपनी प्रशासनिक मंत्रालय तथा अंतरिक्ष क्षेत्र के व्यावसायिक सलाहकारों/तकनीकी सलाहकारों के परामर्श से भी जोखिमों और चुनौतियों से जुझने के लिए उपाय कर रही है।

प्रचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

प्रचालन निष्पादन से संबंधित वित्तीय निष्पादन की प्रस्तुति निदेशक रिपोर्ट में की गई है।

प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23	भिन्नता के कारण
i.	ऋण टर्नओवर (व्यवसाय प्राप्य टर्नओवर अनुपात)	2.89	3.58	अनुपात में आई कमी का कारण पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में कमी होना है।
ii.	मालसूची टर्नओवर	लागू नहीं	लागू नहीं	
iii.	ब्याज कवरेज अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	
iv.	चालू अनुपात	4.46	3.77	अनुपात में सुधार चालू देयताओं में कमी होने के कारण से हुआ है।
v.	ऋण इक्विटी अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	
vi.	प्रचालन लाभ प्रतिफल (%)	24%	22%	अनुपात में सुधार सेंगमेंट मिक्स में परिवर्तन से उत्पादन लागत में कमी होने के कारण से है
vii.	निवल लाभ प्रतिफल (%)	28%	16%	अनुपात में सुधार सेंगमेंट मिक्स में परिवर्तन से उत्पादन लागत में कमी होने के कारण से है

निकटतम पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में निवल सम्पति के प्रतिफल में किसी प्रकार के परिवर्तन का विवरण तथा उससे संबंधित विस्तृत स्पष्टीकरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवल सम्पति पर प्रतिफल 11% (पिछले वित्तीय वर्ष 9%) है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुपात में यह घटाव वित्तीय वर्ष 2022-23 में इक्विटी शेयर पूंजी जारी किए जाने के कारण से है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में औसत निवल सम्पति 6901.25 करोड़ रुपए है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 4024.08 करोड़ रुपए थी।

मानव संसाधन विकास

कंपनी के मानव संसाधन विकास से संबंधित जानकारी निदेशक मंडल की रिपोर्ट में दी गई है।

पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण

कंपनी की अपनी कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है तथा कंपनी द्वारा न तो विनिर्माण कार्य किए जाते हैं तथा न ही पर्यावरण को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं, जिससे कंपनी के कार्यों से किसी प्रकार का पर्यावरणीय / संरक्षण मामला कारक नहीं है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

डी राधाकृष्णन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08382973

दिनांक : 16.07.2024
स्थान : बेंगलूरू

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

लोक उद्यम विभाग द्वारा कॉर्पोरेट शासन के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट शासन के मापदंडा पर किए गए अनुपालन का विवरण निम्नलिखित है:- -

दर्शन

कॉर्पोरेट शासन की रूपरेखा तथा विचारमत की झलक कंपनी की कॉर्पोरेट संस्कृति, नीतियों, मूल्यों और हितधारकों के साथ संबंधों में स्पष्ट देखी जा सकती है, जो किसी अवरोध के बिना पूरे संगठन में निरंतर स्पष्ट देखी जा सकती है।

कंपनी का ऐसा मानना है कि दीर्घकालिक कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा स्टेकधारक मूल्यों में बढ़ोत्तरी के लिए उत्तम कॉर्पोरेट शासन नितांत आवश्यक है। एक अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में कंपनी की ओर से अपने व्यवसाय के कुशल एवं आचारपूर्ण संव्यवहारों के लिए सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं उत्तरदायिता पर अधिक बल दिया जाता है।

हमारा कॉर्पोरेट शासन को कंपनी आचार एवं आचरण संहिता, कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देशों, नीतियों एवं समिति चार्टरों के माध्यम से बल प्राप्त हुआ है। निदेशक मंडल एवं प्रबंधन प्रक्रियाओं, लेखापरीक्षाओं एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों से कॉर्पोरेट शासन की रूपरेखा के सिद्धांतों को स्पष्ट देखा जा सकता है।

निदेशक मंडल

क. संरचना

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार एनसिल के निदेशक मंडल में 5 निदेशक शामिल थे, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो प्रकार्यात्मक निदेशक तथा तीन गैर-सरकारी नामित निदेशक थे।

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। तदनुसार, कंपनी ने सांविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के सम्मुख यह मामला प्रस्तुत किया है।

ख. निदेशकों की श्रेणी तथा उनकी उपस्थिति

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना तथा अन्य निदेशक मंडलों में उनकी निदेशक पदधारिता एवं निदेशक मंडल की समितियों में सदस्यता / अध्यक्षता, वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों, पिछली वार्षिक आम सभा में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे प्रस्तुत है:-

निदेशक का नाम निदेशक पहचान संख्या	पदनाम	निदेशक मंडल की कुल बैठकें		पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कम्पनियों में निदेशक पदधारिता	अन्य समितियों में सदस्यता	
		निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	निदेशक के कार्यकाल के दौरान उपस्थिति			सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के पद पर
प्रकार्यात्मक निदेशक							
श्री डी. राधाकृष्णन डीआईएन:(08382973)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	5	5	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री ए अरूणाचलम डीआईएन:(09262267)	निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)	5	5	हां	शून्य	1	शून्य

निदेशक का नाम निदेशक पहचान संख्या	पदनाम	निदेशक मंडल की कुल बैठकें		पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कम्पनियों में निदेशक पदधारिता	अन्य समितियों में सदस्यता	
		निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	निदेशक के कार्यकाल के दौरान उपस्थिति			सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के पद पर
सरकार द्वारा नामित निदेशक							
श्रीमती उमा शेखर (डीआईएन: 09438145)	अपर सचिव (एल एवं टी), विदेश	5	4	नहीं	शून्य	1	1
डॉ. नीरज सिन्हा (डीआईएन: 09415304)	वरिष्ठ परामर्शदाता एवं प्रमुख, नीति आयोग	3	3	हां	शून्य	1	0
डॉ. एम सुब्रमण्यम (डीआईएन: 09539830)	संयुक्त सचिव (उद्यम, नीति एवं विधि)	5	5	हां	1	1	0
श्री सुरेन्द्र मेहरा (डीआईएन: 10528404)	परामर्शदाता, नीति आयोग	2	2	लागू नहीं	शून्य	1	0

नोट:

1. ऊपर उल्लिखित निदेशक पदों की संख्या निदेशकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार है।
2. प्राप्त सूचना के अनुसार कंपनी का कोई भी निदेशक अपनी निदेशक पदधारिता वाली कम्पनियों में दस से अधिक समितियों का सदस्य अथवा उनमें पांच से अधिक समितियों के अध्यक्ष के पद पर कार्य नहीं कर रहा है।
3. कॉर्पोरेट शासन के संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, सदस्यता की सीमा की गणना के उद्देश्य से, केवल लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर विचार किया गया है।
4. कंपनी ने कंपनी के संबंध में लागू कानूनों की अनुपालन रिपोर्टों की समय-समय पर समीक्षा करने और गैर-अनुपालन की घटनाओं में सुधार के लिए कंपनी में सुधार उपायों की व्यवस्था की है। निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत होने वाले त्रैमासिक अनुपालन प्रमाणपत्रों की समीक्षा की जाती है।

निदेशक मंडल की बैठकों की तिथियां

विचाराधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की पांच बैठकें दिनांक 25.06.2023, 18.09.2023, 08.11.2023, 29.02.2024* तथा 01.03.2024 को आयोजित की गईं थी।

*नोट : दिनांक 29.02.2024 को आयोजित बैठक स्थगित होने के पश्चात दिनांक 01.03.2024 को आयोजित की गई थी।

निदेशक मंडल की सांविधिक समितियां

निदेशक मंडल स्तरीय उप-समिति के रूप में गठित समितियां निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	समिति का नाम
1	लेखापरीक्षा समिति
2	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीय विकास समिति
3	पारिश्रमिक समिति

1. लेखापरीक्षा समिति

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में तीन सरकार द्वारा नामित निदेशक (समिति के अध्यक्ष सहित) तथा एक प्रकार्यात्मक निदेशक समिति के सदस्य के रूप में शामिल थे। कंपनी सचिव समिति के सचिव के कार्य देखते हैं।

संबंधित नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसरण में संदर्भ शर्तों तथा समय-समय पर संशोधित लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की चार बार बैठकें दिनांक 24.06.2023, 18.09.2023, 08.11.2023 तथा 29.02.2024 को आयोजित की गई थी।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संरचना तथा सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	निदेशक के कार्यकाल के दौरान बैठक में उपस्थिति
1	श्रीमती उमा शेखर[1]	अध्यक्ष	4	3
2	डॉ. एम. सुब्रमण्यम[2]	सदस्य	4	4
3	डॉ. नीरज सिन्हा[3]	सदस्य	3	3
4	श्री ए. अरूणाचलम	सदस्य	4	4
5	श्री सुरेन्द्र मेहरा[4]	सदस्य	1	1

नोट :

1. श्रीमती उमा शेखर दिनांक 29.02.2024 से समिति की अध्यक्ष हैं।
2. डॉ. एम. सुब्रमण्यम दिनांक 08.11.2023 तक लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष थे।
3. डॉ. नीरज सिन्हा दिनांक 28.02.2024 से लेखापरीक्षा समिति के सदस्य नहीं हैं।
4. श्री सुरेन्द्र मेहरा को लेखापरीक्षा समिति में दिनांक 29.02.2024 को शामिल किया गया है।

निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक न होने के कारण लेखापरीक्षा समिति का गठन सरकार द्वारा नामित निदेशकों के साथ किया किया गया है।

2. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीय विकास समिति

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीय विकास समिति में तीन सरकार द्वारा नामित निदेशक (समिति के अध्यक्ष सहित) तथा एक प्रकार्यात्मक निदेशक समिति के सदस्य के रूप में शामिल हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के कार्य देखते हैं।

संबंधित नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में संदर्भ शर्तों तथा समय-समय पर संशोधित लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें दिनांक 24.06.2023, 08.11.2023 तथा 29.02.2024 को आयोजित की गई थी।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीय विकास समिति की संरचना तथा सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे प्रस्तुत है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	निदेशक के कार्यकाल के दौरान बैठक में उपस्थिति
1	डॉ. नीरज सिन्हा[1]	अध्यक्ष	2	2
2	डॉ. एम. सुब्रमण्यम[2]	सदस्य	3	3
3	श्रीमती उमा शेखर	सदस्य	3	3
4	श्री ए. अरूणाचलम	सदस्य	3	3
5	श्री सुरेन्द्र मेहरा[3]	सदस्य	1	1

नोट :

1. डॉ. नीरज सिन्हा दिनांक 28.02.2024 से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीय विकास समिति के सदस्य नहीं हैं।
2. श्री एम सुब्रमण्यम का चयन दिनांक 29.02.2024 से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीय विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में किया गया है।
3. श्री सुरेन्द्र मेहरा दिनांक 29.02.2024 से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीय विकास समिति में सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं।

निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक न होने के कारण कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीय विकास समिति में सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा एक प्रकार्यात्मक निदेशक को शामिल किया गया है।

3. पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 के प्रावधानों और कॉर्पोरेट शासन के संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल एवं अधिकारियों तथा गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण की नीति के निर्धारण के लिए एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, पारिश्रमिक समिति में सरकार द्वारा नामित तीन निदेशक शामिल थे। निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक न होने के कारण, सरकार द्वारा नामित निदेशक को समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के कार्य देखते हैं।

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार थी:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1	श्री सुरेन्द्र मेहरा[1]	अध्यक्ष
2	श्रीमती उमा शेखर[2]	सदस्य
3	डॉ. एम. सुब्रमण्यम	सदस्य
4	डॉ. नीरज सिन्हा[3]	सदस्य

नोट :

1. श्री सुरेन्द्र मेहरा को दिनांक 29.02.2024 से पारिश्रमिक समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है।
2. श्रीमती उमा शेखर दिनांक 29.02.2024 से पारिश्रमिक समिति की अध्यक्ष नहीं हैं।
3. डॉ. नीरज सिन्हा दिनांक 28.02.2024 से पारिश्रमिक समिति के सदस्य नहीं हैं।

संबंधित नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसरण में संदर्भ शर्तों तथा समय-समय पर संशोधित लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई है।

निदेशकों का पारिश्रमिक

(i) पूर्णकालिक निदेशकों को पारिश्रमिक:

वर्ष 2023-24 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण वार्षिक विवरण में दिया गया है।

(ii) सरकार द्वारा नामित निदेशकों को प्रतिपूर्ति:

सरकारी निदेशकों को निदेशक मंडल / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए कोई पारिश्रमिक, बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

आचार संहिता

कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए कंपनी द्वारा आचार संहिता को अंगीकार किया गया है, तथा इसका वितरण सभी संबंधितों को किया गया है। कंपनी की वेबसाइट https://www.nsilindia.co.in/ पर भी इसे अपलोड किया गया है। कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि की है। इस आशय की एक घोषणा इस रिपोर्ट में संलग्न है।

शेयरधारिता पैटर्न

कंपनी भारत या विदेश में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति तथा उनके नामिति द्वारा धारित है।

आम सभा बैठकें

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	तिथि	समय	स्थल	विशेष संकल्प
2020-21	24.12.2021	प्रात: 11.00 बजे	अध्यक्ष बोर्ड कक्ष, इसरो मुख्यालय, न्यू बीईएल रोड, बेंगलूरू	हां
2021-22	29.09.2022	प्रात: 10.00 बजे	अध्यक्ष बोर्ड कक्ष, इसरो मुख्यालय, न्यू बीईएल रोड, बेंगलूरू	हां
2022-23	25.09.2023	प्रात: 11.00 बजे	अध्यक्ष बोर्ड कक्ष, इसरो मुख्यालय, न्यू बीईएल रोड, बेंगलूरू	नहीं

वार्षिक आम सभा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पांचवी वार्षिक आम बैठक का आयोजन दिनांक 26 सितंबर, 2024 को अपराह्न 02.00 बजे अध्यक्ष कार्यालय के बोर्ड रूम, इसरो मुख्यालय, न्यू बीईएल रोड, बेंगलूरु - 560 094 में किया गया था।

प्रकटीकरण

i. संबंधित पार्टी संव्यवहार

वर्ष के दौरान, निदेशकों अथवा उनके संबंधियों अथवा प्रबंधन के साथ किसी प्रकार के ऐसे भौतिक संव्यवहार नहीं हुए है जिनसे कंपनी के हितों के साथ संभावित हित संघर्ष की संभावना हो सके। संबंधित पक्ष संव्यवहार से संबंधित प्रकटीकरण लेखांकन नोट संख्या 41 तथा 46 में किया गया है।

ii. पिछले तीन वर्षों के दौरान उल्लंघन / गुण दोष व्याख्या / अर्थदंड

पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर कंपनी द्वारा उल्लंघन किए जाने की कोई स्थिति नहीं है तथा किसी भी मामले पर किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है / गुण दोष व्याख्या नहीं की गई है।

iii. सतर्कता तंत्रव्यवस्था / व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी द्वारा कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध जालसाजी, अथवा संहिता के उल्लंघन से संबंधित अपने सरोकार की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्रव्यवस्था स्थापित की गई है। इस तंत्रव्यवस्था में इसका उपयोग करने वाले कर्मचारियों को उत्पीड़न से बचाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी है, तथा इसमें लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच की व्यवस्था भी है। वर्ष के दौरान, किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

iv. अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन

प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा कॉर्पोरेट शासन प्रमाणपत्र में सूचित गैर-अनुपालनों के अलावा, कंपनी ने कॉरपोरेट शासन के संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। गैर-अनुपालन के कारण प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की टिप्पणियों के उत्तर के रूप में अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।

v. राष्ट्रपति के निर्देश

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजनों तथा भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रपति के निर्देशों तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

vi. लेखा बहियों में ऋण की गई व्यय की वे मदें जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं हैं

लेखा बहियों में ऋण की गई कर्मचारियों / भूतपूर्व कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय के अलावा, अन्य किसी ऐसी मद पर कोई व्यय नहीं किया गया है जो व्यवसाय अथवा आनुषंगिक रूप से सम्बद्ध न हो।

vii. व्ययित व्यय, जो वैयक्तिक प्रकार के हैं तथा जिनका व्यय निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंधन के लिए किया गया है।

निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंधन के लिए किए गए व्यय कंपनी के नियमों के अंतर्गत अनुमत वेतन, भत्ते, अनुलाभ, लाभ की प्रकृति के हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत प्रकृति का कोई अन्य व्यय नहीं किया गया है।

viii. प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रशासनिक तथा कार्यालय व्यय कुल व्यय पिछले वर्ष के 0.66% की तुलना में 1.16% है।

संचार के माध्यम

- कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट www.nsilindia.co.in पर कंपनी तथा अन्य से संबंधित जानकारी की प्रस्तुति की जाती है जिनमें सूचना अधिकार अधिनियम एवं सांविधिक व्यवस्था के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी भी शामिल है।
- कर्मचारियों के हित से संबंधित मामलों को नोटिस, कार्यालय आदेश एवं अनुदेशों के स्वरूप में प्रसारित किया जाता है।

निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसरण में, कंपनी में निदेशकों के प्रशिक्षण के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है। निदेशकों को कंपनी के कार्य, व्यवसाय तथा कॉर्पोरेट शासन से संबंधित विषयों पर विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों, सरकार एवं लोक उद्यम विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी नामांकित किया गया था।

कंपनी प्रबंधन द्वारा निदेशक का अनुकूलन कंपनी के प्रचालन क्षेत्र से संबंधित उत्पादों, व्यावसायिक प्रक्रियाओं, प्रशासन, आंतरिक नियंत्रण, विनियमों और कंपनी के कामकाज से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के प्रति किया जाता है।

कंपनी के निदेशक मंडल में प्रकार्यात्मक निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित) तथा विदेश मंत्रालय, नीति आकुल एवं अंतरिक्ष विभाग से सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। निदेशकों को कंपनी के कार्यों से संबंधित मामलों के बारे में अपेक्षित ज्ञान प्राप्त है।

अनुपालन

कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट शासन की तिमाही रिपोर्टों की प्रस्तुति निर्धारित प्रारूप में तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाती है।

लोक उद्यम विभाग द्वारा ग्रेडिंग

कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट शासन से संबंधित ग्रेडिंग रिपोर्ट की प्रस्तुति तिमाही एवं वार्षिक आधार पर अंतरिक्ष विभाग को की जाती है। ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की मिश्रित स्कोर रेटिंग 100% अंकों के साथ - 'उत्कृष्ट' आंकी गई है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

डी राधाकृष्णन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08382973

दिनांक : 16.07.2024
स्थान : बेंगलूरू

अनुलग्नक क

कॉर्पोरेट लोक उद्यम विभाग के कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देश के खंड 4.5 के अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणन

सेवा में,

निदेशक मंडल

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड

1. हमनें, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :-
   i. इन विवरणों में किसी प्रकार का भौतिक असत्य विवरण नहीं है अथवा इनमें किसी भौतिक तथ्य का लोप नहीं किया गया है अथवा भ्रामक प्रस्तुति नहीं की गई है
   ii. ये विवरण कंपनी के कार्यों की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं तथा ये लागू विधि एवं विनियमों के अनुसरण में विद्यमान लेखांकन मानकों के अनुपालन में हैं
2. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए हैं जो जालसाजी पूर्ण, गैर-कानूनी हों अथवा जिनसे कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन में हो;
3. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं उसका अनुरक्षण करने के दायित्व की स्वीकृति करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है। हमारी जानकारी ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन अथवा प्रचालन में किसी प्रकार सूचित किए जाने योग्य विसंगति नहीं आई है।
4. हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में जानकारी दी है:
   i. यह कि वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं;
   ii. लेखांकन मानकों (एएस) के अनुपालन के लिए लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं;
   iii. हमारी जानकारी में कोई महत्वपूर्ण जालसाजी की घटना नहीं आई है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

	ए राधा कृष्णा	**डी राधाकृष्णन**
दिनांक : 16.07.2024	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
स्थान : बेंगलूरू	डीआईएन : 10604322	डीआईएन : 08382973

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं यह पुष्टि करता हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में कंपनी की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है।

डी राधाकृष्णन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08382973

दिनांक : 16.07.2024
स्थान : बेंगलूरू

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों की वार्षिक रिपोर्ट

1. **कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की रूपरेखा**

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, समाज के प्रति एक उत्तरदायी निगम के रूप में अपनी व्यावसायिक नीतियों तथा समग्र सामाजिक प्रगति, मानव विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए कुलदान को सुनिश्चित करते हुए कार्य कर रहा है। हमारी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का निर्माण कंपनी अधिनियम, 2013 तथा अधीन निर्मित नियमों तथा लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में किया गया है।

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, का यह मानना है कि प्रत्येक व्यवसाय के पास अपने उस समाज के कल्याण के लिए भी एक तंत्रव्यवस्था होनी चाहिए जिस समाज में वे व्यवसाय कर रहे हैं। कंपनी के व्यावसायिक सिद्धांत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायी के लिए की गई पहलों के अनुरूप हैं, जो अपने आसपास के समाज का विकास कंपनी के साथ किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए संज्ञान में ली गई आवश्यकताओं तथा उपलब्ध निधियों के आधार पर परियोजनाएं प्रारंभ की जाती है। ध्यान केन्द्रण के अन्य क्षेत्रों में आंकाक्षी जिले, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण तथा कौशल विकास, संवहनीय विकास, स्वच्छता तथा अन्य अनेक हैं।

ऐसे कार्यक्रम कंपनी अधिनियम 2013 के कानूनी रूपरेखा के दायरे में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में आयोजित किए जाते हैं। अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध कॉर्पोरेट सामाजिक नीति एवं संवहनीय विकास देख सकते हैं:
https://www.nsilindia.co.in/sites/default/files/NSIL-%20Corporate%20Social%20Responsibility%20%26%20Sustainability%20Policy.pdf

2. 31.03.2024 **की स्थिति के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना** :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में भाग लेने की संख्या
1	डॉ. एम. सुब्रमण्यम	अध्यक्ष / सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	3
2	श्रीमती उमा शेखर	सदस्य / सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	3
3	श्री सुरेन्द्र मेहरा	सदस्य / सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	1
4	श्री ए. अरूणाचलम	सदस्य / निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)	3	3

3. वह वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का कंपनी की वेबसाइट पर प्रकटीकरण किया गया है:

वेबलिंक: https://www.nsilindia.co.in/csr

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें। **लागू नहीं**

(रुपए में)

5	(क) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ	4,38,90,44,957
	(ख) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	8,77,81,000
	(ग) पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान सीएसआर परियोजनाओं अथवा परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों से उत्पन्न अधिशेष	**शून्य**
	(घ) वित्तीय वर्ष के दौरान सेट-ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो	**शून्य**
	(ङ) वित्तीय वर्ष के कुल सीएसआर दायित्स [(ख)+(ग)+(घ)]	8,77,81,000

* वित्तीय वर्ष 2022-23 तक सीएसआर के अव्ययित खाते ब्याज का उपार्जन

(रुपए में)

6.	(क) सीएसआर परियोजनाओं (जारी एवं जारी के अलावा अन्य परियोजनाएं) पर व्यय की गई राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 1.4.24 से 25.4.24 तक अर्थात अव्ययित सीएसआर खाते से अंतरण की तिथि को व्यय 1,44,84,971 रुपए तथा जारी परियोजनाओं पर व्यय 39,25,296 रुपए	1,84,10,267
	(ख) प्रशासनिक ऊपरी व्यय पर व्यय की गई राशि	10,06,326
	(ग) प्रभाव मूल्यांकन के लिए व्यय की गई राशि, यदि कोई हो	**शून्य**
	(घ) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि [(क)+(ख)+(ग)]	1,94,16,593
	(ङ) वित्तीय वर्ष में सीएसआर की अव्ययित राशि	

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (लाख रुपए में)	अव्ययित राशि (रुपए में)				
	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
1,94,16,593	6,83,64,407	25/04/2024	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

(च) सेट-आफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र.सं.	**विवरण**	**राशि (रुपए में)**
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	8,77,81,000
(ii)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि	1,94,16,593
(iii)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई अधिक राशि [(ii)-(i)]	**शून्य**
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान सीएसआर परियोजनाओं अथवा परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	**शून्य**
(v)	आगामी वर्षों में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	**शून्य**

सिरोही, राजस्थान में मोबाइल क्लीनिक के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा परामर्श प्रदान किया जाना

कर्नाटक के रायचूर जिले के रायचूर, लिंगासुगुर तथा मानवी तालुकों में राजकीय विद्यालयों के बच्चों को प्रातः आहार प्रदान करना।

कंधामल जिला, ओडिशा में मोतियाबिंद सर्जरी कार्यक्रम तथा नेत्र स्क्रीनिंग एवं चश्मा वितरण कार्यक्रम

एचआईएचटी द्वारा कल्सी ब्लॉक, देहरादून के जनजातीय क्षेत्र के लिए प्राथमिक व्यापक स्वास्थ्य सेवा

7. (क) पिछले तीन वर्षों से संबंधित सीएसआर की अव्ययित राशि का विवरण:

क्र. सं.	निकटवर्ती पूर्व वित्तीय वर्ष	धारा 135 उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि (रुपए में)	धारा 135 उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में कुल शेष राशि (रुपए में)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि (रुपए में)	धारा 135 उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो		वित्तीय वर्षों के दौरान व्यय के लिए शेष राशि (रुपए में)	विसंगति, यदि कोई हो
					राशि (रुपए में)	अंतरण की तिथि		
1	**वित्तीय वर्ष** 2022-23	2,48,19,390	76,61,542	1,71,57,848	1,23,57,085	27/09/2023	76,61,542	**लागू नहीं**
2	**वित्तीय वर्ष** 2021-22	1,32,08,139	**शून्य**	7,27,591	28,65,422	22/01/2024	**शून्य**	**लागू नहीं**
3	**वित्तीय वर्ष** 2020-21	66,57,007	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**लागू नहीं**	**शून्य**	**लागू नहीं**

8. क्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की राशि के उपयोग से पूंजी परिसम्पतियों का निर्माण अथवा अधिग्रहण किया है : नहीं

यदि हां, तो निर्मित / अधिग्रहित पूंजी परिसम्पतियों की संख्या बताएं :

वित्तीय वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की राशि के उपयोग से निर्मित अथवा अधिग्रहित परिसम्पति (परिसम्पतियों) से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें :

क्र. सं.	सम्पति अथवा परिसम्पति (परिसम्पतियों) का संक्षिप्त विवरण [पूरे पते एवं संपति के स्थल सहित]	परिसम्पति (परिसम्पतियों) का पिन कोड	सृजन की तिथि	व्यय की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत स्वामी की इकाई / प्राधिकरण / लाभग्राही का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो तो	नाम	पंजीकृत पता
लागू नहीं							

(नगर कार्यालय / नगर निगम / ग्राम के राजस्व रिकार्ड के अनुसार फ्लैट संख्या, मकान नम्बर की प्रत्येक सूचना दी जानी है तथा अचल परिसम्पति एवं उसकी सीमाओं के क्षेत्र का पूरा ब्यौरा दिया जाना है)

9. यदि अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत का व्यय नहीं कर पाई है तो उसका / उसके कारण बताएं ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने विभिन्न परियोजनाओं पर 1,94,16,593 रुपए का व्यय किया है। विभिन्न जारी परियोजनाओं के 6,83,64,407 रुपए के अव्ययित शेष का अंतरण अव्ययित सीएसआर खाते में किया गया है तथा इसका व्यय सीएसआर नियमावली के अनुसार किया जाएगा।

दिनांक : 16.07.2024
स्थान : बेंगलूरू

डॉ. एम सुब्रमण्यम
अध्यक्ष - सीएसआर समिति
डीआईएन: 09539830

डी राधाकृष्णन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08382973

कॉर्पोरेट शासन अनुपालन प्रमाण पत्र

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U74999KA2019GOI122175

प्राधिकृत पूंजी : 7500,00,00,000 रुपए

सेवा में,
सदस्य गण
न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड
बेंगलूरू

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के संबंध में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देश, 2010 के अनुसरण में कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के प्रमाणन के उद्देश्य से मैसर्स न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के प्रत्येक प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच की है। हमने प्रत्येक वह सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जिनकी आवश्यकता हमें हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणन के उद्देश्य से अपेक्षित थी।

कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा प्रयुक्त प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी।

हमारे द्वारा हमें प्रस्तुत रिकार्डों की जांच तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में, निम्नलिखित के अलावा, लोक उद्यम विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के संबंध में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देश, 2010 के यथा लागू कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया गया है :-

क. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई है।

कृते बीआरकेएस एंड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

हस्ताक्षर/-
(बी राजेश्वर राव)
साझेदार

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 08.07.2024

BRKS & Associates
Company Secretaries
 # First Floor, 76, Sri Sai Krupa, Phase - 2, Cascading Meadows,
Maragondanahalli, T C Palya, K R Puram, Bangalore - 560036

Chartered Accountants
430, "Sai Pushpanjali",
6th Main, Amarjyothi Layout
(West wing), Domlur,
Bengaluru - 560 071. India

Tel : +91 - 80 - 41133801
Mob. : +91 9964175204
E-mail: brskumar15@gmail.com
Web: www.caskav.in

Shanth Kumar & Venkatesh
Chartered Accountants

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (संशोधित)

सेवा में,
न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के सदस्यगण,

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट:

मत

यह रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत किए गए प्रेक्षण के अनुसरण में हमारी दिनांक 16 जुलाई, 2024 की मूल रिपोर्ट, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए प्रेक्षणों का समावेश किए जाने के लिए परिवर्तित की गई है, का अधिक्रमण करती है तथा इसका विवरण हमारी रिपोर्ट के अनुलग्नक घ में दिया गया है। निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 2024 को अनुमोदित कंपनी के लेखों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इस संशोधन से कंपनी के वित्तीय विवरण प्रभावित नहीं हुए हैं तथा, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक घ में किए गए वर्णन के अलावा, संशोधित रिपोर्ट में अन्य कोई परिवर्तन नहीं किए गए हैं।

हमने न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न स्टैंडएलोन इंड ए.एस. वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, अन्य व्यापक आय, इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण सहित, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण तथा वित्तीय विवरणों के नोट सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जिसे यहाँ एतद्पश्चात स्टैंडएलोन इंड एएस विवरण कहा गया है) का संक्षेप सार शामिल है।

हमारे मत और हमें प्रदान की गई जानकारी तथा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऊपर उल्लिखित स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 ("इंड एएस") के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित, भारतीय लेखांकन मानकों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त स्थिति को कंपनी के स्टैंडएलोन क्रियाकलापों एवं वर्ष में उक्त तिथि को समाप्त स्टैंडएलोन लाभ एवं हानि (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह एवं इक्विटी परिवर्तन की उस सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं, जिसकी अपेक्षा कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") में की गई है।

मत का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसरण में गई है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट में स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षकों के दायित्व में किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार, हमारे द्वारा की गई स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता आवश्यकताओं के साथ साथ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत हम कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की आचार संहिता के उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण, हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त हैं एवं यथोचित हैं।

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों से भिन्न सूचना तथा उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट में दी गई सूचना शामिल होती है परन्तु इसमें स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण एवं इससे संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं होती है।

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारे मत में अन्य सूचना को शामिल नहीं किया गया है तथा इसके लिए हम आश्वासन रूपी किसी निष्कर्ष की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं।

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों अथवा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई जानकारी से संगत है अथवा नहीं है तथा इसमें किसी प्रकार भौतिक मिथ्या कथन प्रतीत हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है।

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य में, हमें इस अन्य सूचना में कोई भौतिक मिथ्या कथन प्रतीत होता है तो हमसे तथ्य की रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में हम कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं, जो चालू अवधि के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा से जुड़े हमारे व्यावसायिक निर्धारण के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में इन मामलों पर मत के निर्धारण के लिए हमने समग्र रूप से विचार किया है, तथा ऐसे मामलों के लिए हम अलग से अपनी कोई राय प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। यहां सूचित किए जाने के लिए कोई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले नहीं हैं।

इंड एएस स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन तथा शासी प्रबंधन के उत्तरदायी अधिकारियों के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह, इक्विटी प्रवाह परिवर्तन सहित सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने वाले इन स्टैडएलोन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, यथासंशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप करने के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करना; औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करना एवं अनुमान लगाना; तथा सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार भौतिक मिथ्या विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त इंड एएस स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अभिकल्प करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णत के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे है, का कार्यान्वयन एवं सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है।

यदि इंड एएस वित्तीय विवरणों के निर्माण के समय कंपनी के प्रबंधन की मंशा प्रचालनों को बन्द करने अथवा ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न होने के कारण कंपनी का ऋणशोधन करने की नहीं है तो प्रबंधन कंपनी के इन वित्तीय विवरणों के निर्माण के दौरान गोइंग कंसर्न के आधार पर कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के प्रति उत्तरदायी है।

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

क. हमारा उद्देश्य, स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों को पूर्ण रूप से भौतिक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके, अपने मत के समावेश के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें की गई लेखापरीक्षा के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि स्टैंडएलोन प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाले लेखापरीक्षा से भौतिक दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति निश्चित तौर पर

हो सकेगी। भौतिक दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकती है अथवा इसे भौतिक तभी माना जा सकता है, जब इनसे अलग-अलग अथवा समस्त रूप से इन स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो। स्टैंडएलोन के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान, हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं

स्टैंडएलोन के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान, हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं :-

- वित्तीय विवरणों में भौतिक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना है, जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के कारण भौतिक दुर्विवरण का संज्ञान न होने के जोखिम के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां किसी साठ गांठ, धोखाधड़ी, साभिप्राय अकरण, मिथ्याकथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए, परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत, हम इस मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे कंपनी की गोइंग कंसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का संदेह होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कंपनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या इंड एएस वित्तीय विवरणों में लेन-देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है।

वस्तुतः स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में अलग-अलग अथवा सामुच्य स्वरूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरणों की वस्तुपरकता की जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इनमें स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों का औचित्यपरक ज्ञान रखने वाले प्रयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन, एवं (ii) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए गए दुर्विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक प्रमात्रा के गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ-साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार संहिता आवश्यकताओं तथा उन्हें हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों की सम्बद्धता सूचित करने के लिए, हमने स्वयं द्वारा समेकित विवरण भी दिया है। शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण भी किया है, जो चालू अवधि के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा

के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं तथा जिनसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले प्रभावित हो सकते थे। अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है, जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप से प्रभाव पड़ सकता है।

ख. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा मैसर्स पाल एंड शानभोग द्वारा की गई थी, जिनकी दिनांक 25 जून, 2023 की रिपोर्ट उक्त वित्तीय विवरणों के संबंध में असंशोधित मत की अभिव्यक्ति की गई है।

अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143 (3) में की गई अपेक्षा अनुसार, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

क हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे। तदनुसार, हमने प्रबंधन द्वारा प्रमाणित व्यय विवरण पर विश्वास किया है

ख हमारे मतानुसार, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया गया है, जैसा कि इन बहियों के परीक्षण से प्रतीत होता है।

ग इस रिपोर्ट में संदर्भित तुलन - पत्र, लाभ व हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

घ हमारे मतानुसार, उक्त स्टैंडएलोन इंड ए.एस. वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखा मानक के अनुसरण में है।

ङ 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त रिकार्ड में ली गई लिखित प्रस्तुतियों के आधार पर कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम की धारा 164(2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार निदेशक के पद पर नियुक्ति की अनर्हता नहीं है।

च. कंपनी के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के विवरण 'अनुलग्नक क' में प्रस्तुत हमारी अलग रिपोर्ट में दिए गए हैं।

छ. कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मत तथा सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :-

i. कंपनी के प्रति ऐसे कोई न्यायिक मामले लंबित नहीं है जिनसे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ सके।

ii. कंपनी द्वारा लागू कानून की आवश्यकताओं अथवा लेखांकन मानकों के अनुसार दीर्घकालिक अनुबंधों, डेरियेटिव अनुबंधों सहित, से हो सकने वाली किसी प्रकार की भौतिक हानियों, के प्रति प्रावधान किए गए हैं।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित की जाने वाली राशि को अंतरित करने में कोई देरी नहीं की है।

iv. (क) प्रबंधन ने यह प्रस्तुति दी है कि उनकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा विदेशी इकाईयों, "मध्यस्थों" सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाईयों (मध्यस्थों) को किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया गया है अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य स्रोतों से अथवा अन्य प्रकार की निधियों में किसी में से) इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, कंपनी अथवा कंपनी की ओर से ("अंतिम लाभग्राहियों") अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;

(ख) प्रबंधन ने यह प्रस्तुति दी है कि उनकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार कंपनी ने विदेशी इकाई ("निधि पोषण पार्टी") सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाईयों से किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण की प्राप्ति इस सहमति, लिखित

अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं की है कि कंपनी द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, निधि पोषण पार्टी ("अंतिम लाभग्राहियों") की ओर से अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;

(ग) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, जिनका उपयोग परिस्थितियों के अनुसार औचित्यपरक एवं यथोचित समझा गया है, के आधार हमारी जानकारी में ऐसा कुछ प्रकाश में नहीं आया है जिसके प्रभाव से ऐसा माना जा सके कि उपर्युक्त (क) एवं (ख) में नियम 11(ङ) के नियम (i) एवं (ii) के अंतर्गत की गई प्रस्तुति में किसी प्रकार का कोई मिथ्याकथन है।

v. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में न तो कोई लाभांश घोषित किया गया है और न ही प्रदत्त किया गया है।

vi. हमारे द्वारा की गई जांच के आधार, जिनमें औचक परीक्षण शामिल हैं, के आधार पर कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए ऐसे लेखांकन साफ्टवेयरों का उपयोग किया गया है जिनमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) की रिकार्डिंग की सुविधा है तथा ये साफ्टवेयर में रिकार्ड किए गए प्रत्येक संबंधित संव्यवहारों के लिए पूर्ण वर्ष के दौरान कार्यशील थे। इसके अलावा, हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के क्रम में हमारे सम्मुख ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए जाने की कोई स्थिति प्रस्तुत नहीं हुई है।

2. भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अंतर्गत जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के उपबंधों के अनुसरण में हम आदेश के पैरा 3 तथा 4 में निर्दिष्ट मामलों का विवरण "अनुलग्नक ख" में प्रस्तुत कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(5) की आवश्यकताओं के अनुसार हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट मामलों का विवरण "अनुलग्नक ग" में प्रस्तुत कर रहे हैं।

4. हमारे द्वारा किए गए प्रेक्षण के आधार पर इस रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा आवर्धन किए गए हैं। ऐसे आवर्धनों का ब्यौरा हमने "अनुलग्नक घ" में प्रस्तुत किया है।

कृते शांत कुमार एंड वेंकटेश
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 006821एस

बी आर शांत कुमार
साझेदार
सदस्यता संख्या 007191
यूडीआईएन: 24007191BKIPVV5491

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक: 20.8.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

(न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को संबोधित हमारी रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट" के पैराग्राफ 1(च) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 के उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने **न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड** ("कंपनी") के संबंध में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, वर्ष में समाप्त उक्त तिथि के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संयोजन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखापरीक्षा के दिशनिर्देश टिप्पणी के अनुसार इसमें उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदयित्वों में सम्बद्ध कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी और चूकों को संज्ञान में लेने, लेखांकन रिकार्डो की सटीकता एवं पूर्णता के साथ साथ कंपनी आधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई आवश्यकताओं के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर निर्माण करने सहित अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल रूप में संचलन करने के सुनिश्चय के लिए प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से युक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का निर्माण करने, कार्यान्वयन करने एवं अनुरक्षण करने के दायित्व शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अपने मत को अभिव्यक्ति करना है। हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शी नोट ('मार्गदर्शी नोट') तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित माने गए आईसीएआई द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के संबंध में यथा लागू लेखापरीक्षा के मानकों, दोनों, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लागू हैं तथा इन दोनों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है, के अनुसरण में की गई है। इन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट में हमसे नैतिक आवश्यकताओं का अनुसरण करते हुए, इस युक्तिसंगत आश्वासन की प्राप्ति के उद्देश्य से यह ज्ञात करने के लिए लेखापरीक्षा की जानी अनिवार्य की गई है कि क्या वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा क्या इनका अनुरक्षण किया जा रहा है तथा क्या प्रत्येक वस्तुगत विषयों के लिए ऐसे नियंत्रण कारगर रूप से प्रचालन कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की सटीकता एवं उनकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शमिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा, भौतिक दोष के रूप में विद्यमान जोखिम का मूल्यांकन करना तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालनात्मक प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। वित्तीय विवरणो के लिए प्रक्रियाओं, भौतिक मिथ्याकथन,जालसाजी अथवा त्रुटि के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, का चयन लेखापरीक्षकों के विवेक पर निर्भर है।

हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत की प्रस्तुति के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों से वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने की अभिकल्पित प्रकिया है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मे वे नीतियां और प्रक्रियाएं शमिल है, (1) जिससे रिकार्डों के अनुरक्षण,

युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान प्रदर्शित होता हो; (2) जिससे यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कंपनी की आय और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया गया हैं; (3) जिससे कंपनी की परिसंपत्ति के अनाधिकृत आधिग्रहण, प्रकुल अथवा निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध प्राप्त होते हों तथा जिनसे वित्तीय विवरण वास्तविक रुप से प्रभावित हो सकते हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की अंतर्निहित परिसीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की दुरभिसंधि अथवा अनुचित प्रबंधन करते हुए नियंत्रणों के अधिरोहण, चूक और जालसाजी के कारण वस्तुगत मिथ्याकथन की संभावनाएं शामिल हैं, जिनका संज्ञान नहीं भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर है कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों मे परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, कंपनी में प्रत्येक भौतिक दृष्टिकोण से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है तथा ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के संबंध में जारी दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित अनिवार्य घटको पर विचार करके कंपनी की वित्तीय रिर्पोटिंग के संबंध में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से क्रियाशील थे।

कृते **शांत कुमार एंड वेंकटेश**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 006821एस

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक: 20.8.2024

बी आर शांत कुमार
साझेदार
सदस्यता संख्या 007191
यूडीआईएन: 24007191BKIPVV5491

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक ख

(न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को संबोधित हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ "अन्य विधिक व नियामक आवश्यकताएं" के अंतर्गत संदर्भित)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा सामान्य क्रम में की गई लेखा बहियों एवं रिकार्डों की जांच के आधार पर पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

i. कंपनी की सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण के संबंध में :

क. कंपनी ने संपति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पतियों के सम्बद्ध विवरणों के परिमाणात्मक विवरण एवं स्थिति सहित पूर्ण विवरण का रिकार्ड का यथोचित स्वरूप में अनुरक्षण किया है।

ख. जब कभी व्यवहार्य हुआ है तब प्रबंधन द्वारा औचित्यपरक अंतराल में संपति, संयंत्र तथा उपकरण के भौतिक सत्यापन किए गए हैं। हमें दी गई सूचना के अनुसार ऐसे सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की भौतिक विसंगति प्रकाश में नहीं आई है।

ग. कंपनी के पास कोई अचल सम्पतियां नहीं है, अत: हक विलेख कंपनी के नाम से धारित होना लागू नहीं है।

घ. कंपनी ने अपनी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण (उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों सहित) का वर्ष के दौरान पुन: मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ. हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च, 2024 की यथास्थिति को, कंपनी के खिलाफ बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 (2016 में यथासंशोधित) एवं उसके अधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वर्ष के दौरान किसी बेनामी सम्पति के धारण के लिए कोई कार्रवाई न तो प्रारंभ हुई है और न ही लंबित है।

ii. (क) कंपनी के पास कोई मालसूची नहीं है तथा तदनुसार आदेश के खंड 3(ii)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी को किसी भी समय बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से चालू परिसम्पतियों की सुरक्षा के आधार पर 5 करोड़ रुपए के कुल कुल से अधिक जमा के प्रति कार्यशील पूंजी सीमा की सुविधा प्राप्त नहीं हुई है तथा तदनुसार आदेश के खंड 3(ii)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

iii. कंपनी द्वारा कोई निवेश नहीं किए गए है, किन्हीं कम्पनियों/फर्मों/सीमित दायित्व साझेदारियों/अन्य पक्षकारों को ऋण, प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत, के रूप में किसी प्रकार की जमानत अथवा प्रतिभूति अथवा ऋण अथवा अग्रिम प्रदान नहीं किए गए हैं। इस प्रकार, 3(iii) के पैराग्राफ (क) से (च) कंपनी के संबंध में लागू नहीं है।

iv. हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्ड की संवीक्षा के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा धारा 185 तथा 186 में निर्दिष्ट कोई ऋण, गारंटियां, प्रतिभूतियां अथवा निवेश नहीं किए गए हैं। इस प्रकार आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड 3(iv) के प्रावधान कंपनी के संबंध में लागू नहीं है।

v. हमें प्रदान की गई जानकारी तथा दिए गए स्पष्टीकरणों और हमारे द्वारा की गई लेखा बहियों एवं रिकार्ड की जांच के अनुसार कंपनी द्वारा जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किए गए हैं तथा तदनुसार जनता से जमा प्राप्ति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश तथा कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान एवं कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियमावली, 2015 के प्रावधान लागू नहीं हैं तथा आदेश के पैराग्राफ 3(v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

vi. हमें दी गई सूचना के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित उपबंधों के अनुसार लागत रिकार्डों के अनुरक्षण की अपेक्षा नहीं की गई है तथा आदेश के पैराग्राफ 3(vi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

vii. क. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कंपनी की लेखा बहियों एवं रिकार्डों के संबंध में की गई जांच के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा सामान्यतः वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा

कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर तथा भौतिक सांविधिक देयताओं का अविवादित भुगतान संबंधित प्राधिकरणों को किया गया है। हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कोई भी ऐसी अविवादित राशि भुगतान के लिए शेष नहीं है जिसका भुगतान देय तिथि से छह माह की अवधि में न किया गया हो। तदनुसार आदेश के खंड 3(vii)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की जानी लागू नहीं है।

ख. हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, किसी विवाद के कारण बकाया से संबंधित कोई भी राशि देय नहीं है। तदनुसार आदेश के खंड 3(vii)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

viii. रिकार्ड न की गई ऐसी किसी पूर्व आय के ऐसे संव्यवहार नहीं है जिसका आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण के वर्ष में परित्याग किया गया हो अथवा आय के रूप में अनावरण किया गया हो।

ix. क. कंपनी द्वारा किसी ऋणदाता से कोई ऋण अथवा उधार प्राप्त नहीं किए गए हैं। इस प्रकार आदेश का खंड 3(ix)(क) कंपनी के संबंध में रिपोर्टिंग के लिए लागू नहीं है।

ख. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्थान अथवा अन्य ऋणदाता द्वारा कंपनी को सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है। इस प्रकार आदेश का खंड 3(ix)(ख) कंपनी के संबंध में रिपोर्टिंग के लिए लागू नहीं है।

ग. वर्ष के दौरान कंपनी ने आवधिक ऋण प्राप्त नहीं किए हैं तथा वर्ष के प्रारंभ में न ही कोई आवधिक ऋण बकाया हैं, अत: आदेश के खंड 3(xi)(ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

घ. कंपनी के वित्तीय विवरणों की जांच के अनुसार वर्ष के दौरान अल्पकालिक निधियों की उत्पत्ति के माध्यम से निधियों की उत्पत्ति नहीं की गई है। इस प्रकार आदेश का खंड 3(xi)(घ) रिर्पोटिंग के लिए लागू नहीं है।

ङ. कंपनी की कोई सहायक कम्पनियां, सम्बद्ध कम्पनियां अथवा संयुक्त उद्यम नहीं हैं इस प्रकार आदेश के खंड 3(xi)(ङ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

च. कंपनी की न तो कोई सहायक कम्पनियां, सम्बद्ध कम्पनियां अथवा संयुक्त उद्यम हैं तथा न ही ऋणों की प्राप्ति की गई है। इस प्रकार आदेश के खंड 3(xi)(च) के अंतर्गत रिपोर्टिंग किया जाना लागू नहीं है।

x. (क) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) अग्रेतर सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) के माध्यम से किसी धन की उत्पत्ति नहीं की गई है तथा तदनुसार आदेश के खंड 3(x) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों अथवा कंवर्टिबल डिबेंचरों (पूर्ण, आंशिक अथवा वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आबंटन अथवा निजी स्थापन नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (x) (ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

xi. (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई जालसाजी नहीं की गई है अथवा कंपनी के प्रति की गई कोई जालसाजी प्रकाश में आई है तथा तदनुसार आदेश के खंड 3(xi)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 उपधारा (12) के अंतर्गत केन्द्र सरकार के सम्मुख कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 13 में निदिष्ट फार्म एडीटी-4 में लेखापरीक्षकों द्वारा कोई रिपोर्ट वर्ष के दौरान फाइल नहीं की गई है। तदनुसार आदेश के खंड (xi)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग किया जाना लागू नहीं है।

(ग) वर्ष के दौरान (तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक) कंपनी कोई व्हीसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(ग) रिर्पोटिंग लागू नहीं है।

xii. हमारे मतानुसार, तथा हमारी जानकारी एवं प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xii) (क) से (ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xiii. हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्ड के संबंध में की गई जांच के अनुसार

सम्बद्ध पार्टियों के साथ संव्यवहार के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 177 एवं 188 का अनुपालन किया जा रहा है तथा सम्बद्ध पार्टियों के साथ कंपनी के सभी यथा लागू लेन-देन के प्रकटीकरण स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार किए गए हैं।

xiv. (क) हमारे मतानुसार, कंपनी के आकार एवं व्यवसाय के स्वरूप के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित है।

(ख) हमने लेखापरीक्षा के अंतर्गत अपनी लेखापरीक्षा की प्रकृति, समय एवं विस्तार के निर्धारण के लिए कंपनी को अब तक जारी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों को विचार में लिया है।

xv. हमारे मतानुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों अथवा निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है तथा इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान तथा आदेश के खंड 3(xv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xvi. कंपनी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45-Iए के अंतर्गत पंजीकरण अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार आदेश के खंड 3(xvi) (क), (ख), (ग) तथा (घ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xvii. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई रिकार्डों की जांच के अनुसार कंपनी को तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष एवं हमारी लेखापरीक्षा में विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान नकदी घाटे नहीं हुए हैं। इस प्रकार आदेश के खंड 3(xvii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की जानी लागू नहीं है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया है। इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 2013 का खंड 3(viii) कंपनी के संबंध में लागू नहीं है।

xix. वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसम्पतियों के उपयोगिता काल तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान की संभावित तिथियों, वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य सूचना तथा निदेशक मंडल एवं प्रबंधन योजनाओं की हमारी जानकारी के आधार पर हमारा ऐसा मानना है कि लेखापरीक्षा की रिपोर्टिंग की तिथि को ऐसी कोई भौतिक अनिश्चितता व्याप्त नहीं है कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि को विद्यमान देयताओं की पूर्ति, तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि में, जब कभी वे देय हों, न कर सके। हम, तथापि, यहां यह उल्लेख करना चाहते हैं कि यह कंपनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी उल्लेख करना चाहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा तिथि के तथ्यों पर आधारित है तथा हम ऐसी कोई गारंटी अथवा आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि कंपनी द्वारा तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि अपनी सभी देयताओं, जब कभी वे देय हों, का निवर्हन कर लिया जाएगा।

xx. क. कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता दायित्व, जारी सीएसआर एवं एसडी परियोजनाओं के अलावा, के संबंध में निर्धारित अव्ययित राशि का अंतरण, कंपनी अधिनियम की धारा 135 के दूसरे परंतुक के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह माह की अवधि में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में किया है।

ख. कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता दायित्व से संबंधित जारी सीएसआर एवं एसडी परियोजनाओं की अव्ययित राशि का अंतरण, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के अनुपालन में एक विशेष खाते में कर दिया है।

xxi. यह रिपोर्ट कंपनी के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रस्तुत की गई है अत: खंड (xxi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते **शांत कुमार एंड वेंकटेश**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 006821एस

बी आर शांत कुमार
साझेदार
सदस्यता संख्या 007191
यूडीआईएन: 24007191BKIPVV5491

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक: 20.8.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ग'

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के संबंध में न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों को संबोधित हमारी समतिथि की 'अन्य विधिक व नियामक आवश्यकताओं' की रिपोर्ट के पैराग्राफ में संदर्भित।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत जारी निर्देशों के अंतर्गत

क्र.सं.	निर्देश	लेखापरीक्षक की टिप्पणियां
1	क्या कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था के माध्यम से सभी लेन-देन व्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था से अलग किए जाने वाले लेखांकन व्यवहारों से लेखों की सत्यता पर होने वाले उलझाव तथा वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें। कंपनी द्वारा अपने वित्तीय एवं लेखांकन संव्यवहारों को रिकार्ड करने के लिए टैली साफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है।	टैली में निम्नलिखित बाह्य प्रविष्टियां प्रवाहित होती हैं : : 1. विदेश से प्राप्य एवं देय संव्यवहार: 2. कर्मचारी हितलाभ व्ययों का आकलन; तथा 3. वार्षिक लेखों का निर्माण हमारे मतानुसार तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी तथा कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी में ऐसे संव्यवहारों की निगरानी तथा नियंत्रण के लिए प्रणाली स्थापित है।
2	क्या कंपनी ने ऋण की अदायगी न किए जाने की असमर्थता के कारण के कंपनी के किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को किसी विद्यमान ऋण अथवा मामले में किसी कर्ज/ऋण/ब्याज इत्यादि के लिए छूट / बट्टा किए जाने का कोई मामला है? यदि हां, तो उससे हुए वित्तीय प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करें। क्या ऐसे मामलों का उचित रूप से लेखांकन किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है?	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा कोई ऋण प्राप्त नहीं किए गए हैं तथा तदनुसार यह खंड लागू नहीं है। इस प्रकार इनसे किसी प्रकार का वित्तीय प्रभाव नहीं है।
3	क्या केन्द्र/राज्य सरकार अथवा उनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त/प्राप्य (अनुदान / राजसहायता इत्यादि) निधियों का उचित लेखांकन/उपयोग उससे सम्बद्ध नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है। व्युतक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	कंपनी को केन्द्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए न तो कोई प्राप्तियां हुई हैं तथा न ही किसी प्रकार के प्राप्य हैं।

कृते **शांत कुमार एंड वेंकटेश**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 006821एस

बी आर शांत कुमार
साझेदार
सदस्यता संख्या 007191
यूडीआईएन: 24007191BKIPVV5491

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक: 20.8.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'घ'

सेवा में,

सदस्यगण, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड

31.3.2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(सदस्यों को संबोधित समतिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पैराग्राफ 7.4 में संदर्भित)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए प्रेक्षण के आधार पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित आवर्धन किए गए हैं।

क. स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

(क) पैरा 6(ख) का आवर्धन निम्नानुसार किया गया है

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के कंपनी वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा मैसर्स पाल एंड शानभोग द्वारा की गई थी जिनकी दिनांक 25 जून, 2023 की रिपोर्ट में उक्त वित्तीय विवरणों के संबंध में गैर-संशोधित मत की अभिव्यक्ति की गई है।

क. अनुलग्नक ग पैरा 2

(क) ऋणों की पुनर्संरचना अथवा ऋणों आदि के लिए छूट / बट्टे से संबंधित टिप्पणियों को संशोधित नहीं किया गया है तथा इसे निम्नानुसार पढ़ा जाना है :

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी ऋण की प्राप्ति नहीं की है तथा तदनुसार यह खंड लागू नहीं है। इस प्रकार, वित्तीय विवरणों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

कृते **शांत कुमार एंड वेंकटेश**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 006821एस

बी आर शांत कुमार
साझेदार
सदस्यता संख्या 007191
यूडीआईएन: 24007191BKIPVV5491

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक: 20.8.2024

सत्यमेव जयते

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, ए.जी.सी.आर. भवन,
आई पी एस्टेट, नई दिल्ली–110002
Office of the Director General of Audit, Central Expenditure
Environment & Scientific Departments
AGCR Building, IP Estate, New Delhi-110002

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

DGAESD/EA/AA/PR-126567/NSIL/2024-25/ 174 दिनांक 06/09/2024

सेवा में,

Chairman and Managing Director,
NewSpace India Limited (NSIL),
Room No. F01, HSFC Building,
ISRO HQ, New BEL Road,
Bengaluru-560 094

विषयः भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6)(व) के अंतर्गत NewSpace India Limited (NSIL) के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6)(व) के अंतर्गत NewSpace India Limited (NSIL) के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर **Nil Comment Certificate** भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीया,

संलग्नः यथोपरि

गुरवीन

महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय
(पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग)

दूरभाष/Phone : 011-23403650
फैक्स/Fax : 011-23702353
E-mail ID : pdaesd@cag.gov.in

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत की गई टिप्पणियां

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय विवरणों का कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग की रूपरेखा के अनुसार निर्माण करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत अपने मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति उत्तरदायी हैं। यह सूचित किया जाता है कि उनकी दिनांक 16.07.2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अधिक्रमण में उनके द्वारा प्रस्तुत दिनांक 20.8.2024 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से यह कर लिया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा का निर्वाह सांविधिक लेखापरीक्षकों के किसी कार्यशील प्रपत्र तक पहुंच स्थापित किए बिना स्वतंत्र किया गया है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी कार्मिकों से की गई पूछताछ एवं कुछ चयनित लेखांकन रिकार्डों की जांच तक सीमित है।

हमारी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण हमारी जानकारी में नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत किसी प्रकार की टिप्पणी किए जाने अथवा सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कुछ संवर्धन किए जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई हो।

कृते **एवं की ओर से**
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

हस्ताक्षर/-
(गुरवीन सिद्धु)
महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय
(पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग)

स्थल: नई दिल्ली
तिथि: 06.09.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र

सीआईएन: U74999KA2019GOI122175

(राशि लाख रुपए में)

	विवरण	नोट संख्या	31.03.2024 को स्थिति	31.03.2023 को स्थिति
	परिसम्पतियां:			
(1)	**गैर चालू परिसम्पतियां**			
	(क) सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण	1	3,79,532.64	4,38,482.08
	(ख) उपयोग अधिकार परिसम्पतियां	2	294.99	-
	(ग) पूंजी कार्य प्रगति पर	3	84,031.81	0.00
	(घ) अन्य अमूर्त परिसम्पतियां	4	19.93	29.65
	(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	5	20.62	7.55
	(च) वित्तीय परिसम्पतियां			
	(i) निवेश		-	-
	(ii) व्यापार प्राप्य		-	-
	(iii) ऋण		-	-
	(iv) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	6	45,256.69	11,973.25
	(छ) आस्थगित कर परिसम्पतियां (निवल)		-	-
	(ज) अन्य गैर-चालू परिसम्पतियां	7	24.33	20.09
	योग गैर-चालू परिसम्पतियां		**5,09,181.03**	**4,50,512.62**
(2)	**चालू परिसम्पतियां**			
	(क) मालसूचियां		-	-
	(ख) वित्तीय परिसम्पतियां			
	(i) निवेश		-	-
	(ii) व्यापार प्राप्य	8	70,161.98	76,382.44
	(iii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	9	1,12,397.98	45,254.34
	(iv) अन्य बैंक शेष	10	2,23,384.93	2,91,243.43
	(v) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	11	19,913.26	30,604.74
	(ग) अन्य चालू परिसम्पतियां	12	16,080.64	20,809.79
	योग चालू परिसम्पतियां		**4,41,938.79**	**4,64,294.73**
	योग परिसम्पतयां		**9,51,119.82**	**9,14,807.35**
	इक्विटी एवं देयताएं :			
(1)	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	5,60,760.00	5,60,760.00
	(ख) अन्य इक्विटी	14	1,59,087.17	99,175.63
	योग इक्विटी		**7,19,847.17**	**6,59,935.63**

(2)	**देयताएं**			
(क)	**कुल चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं		-	-
	(i) ऋणं			
	(iक)पट्टा देयताएं	15	185.48	-
	(ii) व्यापार देय		-	-
	(iii) अन्य गैर चालू देयताएं	16	1,26,309.91	1,26,291.81
	(ख) प्रावधान	17	41.75	15.33
	(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	18	5,579.75	4,804.46
	(घ) अन्य गैर चालू देयताएं		-	-
	कुल गैर चालू देयताएं		**1,32,116.89**	**1,31,111.60**
(ख)	**चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) ऋण		-	-
	(iक) पट्टा देयताएं	19	126.10	-
	(i) व्यापार प्राप्य			
	(क) सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की बकाया देयताएं		2.84	1.35
	(ख) सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की बकाया देयताएं	20	50,746.33	76,365.63
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	21	26,036.67	29,122.88
	(ख) कुल चालू देयताएं	22	2,384.84	4,343.89
	(ग) प्रावधान	23	19,858.98	13,926.38
	कुल चालू देयताएं		**99,155.76**	**1,23,760.13**
	कुल इक्विटी एवं देयता		**9,51,119.82**	**9,14,807.35**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा संलग्न नोट 1 से 46 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुन:व्यवस्थित/पुन:समूहन किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

कृते मैसर्स शांत कुमार एंड वेंकटेश
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 006821एस

बी.आर. शांत कुमार
साझेदार
आईसीएआई सदस्यता सं. 007191
आईसीएआई यूडीआईएन : 24007191BKIPVT4197

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव
एफसीएस : 9535

राधा कृष्णा ए
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 10604322

राधाकृष्णन दुरैराज
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08382973

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 16.7.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण

सीआईएन: U74999KA2019GOI122175

(राशि रुपए लाख में)

	विवरण	नोट संख्या	31.03.2024 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार आंकड़े	31.03.2023 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार आंकड़े
I	प्रचालनों से राजस्व	24	2,11,612.95	2,84,226.43
II	अन्य आय	25	27,908.26	9,816.04
III	**कुल आय (I +II)**		**2,39,521.21**	2,94,042.47
IV	व्यय:			
	(i) प्रचालनों से राजस्व की लागत	26	96,808.18	1,70,936.13
	(ii) व्यापार स्टॉक का क्रय		-	-
	(iii) तैयार माल की मालसूचियों में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर तथा व्यापार स्टॉक		-	-
	(iv) कर्मचारी हितलाभ व्यय	27	617.64	280.00
	(v) वित्त लागत	28	179.96	22.24
	(vi) मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	29	59,862.87	59,584.13
	(vii) अन्य व्यय	30	1,692.87	1,585.14
	कुल व्यय (IV)		**1,59,161.51**	2,32,407.65
V	**अपरिहार्य मदों पूर्व लाभ एवं कर (III- IV)**		80,359.70	61,634.82
VI	अपरिहार्य मदें		-	-
VII	कर पूर्व लाभ (V - VI)		80,359.70	61,634.82
VIII	**कर व्यय:**			
	(i) चालू कर:			
	क) चालू वर्ष	31	19,434.52	14,157.56
	ख) पूर्व वर्ष		236.99	(236.99)
			19,671.51	13,920.57
	(ii) आस्थगित कर	32	775.30	1,716.21
			20,446.81	**15,636.78**
IX	**जारी प्रचालनों की अवधि में लाभ (VII-VIII)**		**59,912.90**	**45,998.04**
X	**अन्य व्यापक आय**			
	क (i) मदें जिनका वर्गीकरण लाभ अथवा हानि में नहीं किया जाना है		-	-
	क (ii) परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन		(1.36)	0.12
	क (iii) संबंधित मदें जिनका वर्गीकरण लाभ अथवा हानि में नहीं किया जाना है		-	-
XI	ख (i) मदें जिनका वर्गीकरण लाभ अथवा हानि में किया जाना है		-	-
	ख (ii) आयकर से संबंधित मदें जिनका वर्गीकरण लाभ अथवा हानि में किया जाना है		-	-
	कुल अन्य व्यापक आय/(हानियां)		(1.36)	0.12
XII	**अवधि में कुल व्यापक आय (X+XI) (अवधि में लाभ (हानि) तथा अन्य व्यापक आय युक्त)**		**59,911.54**	**45,998.16**
XIII	प्रति इक्विटी शेयर आय (जारी प्रचालनों के लिए) :			
	(1) मूल / समायोजित (रुपए)	33	1.07	1.79
	(2) डायल्युटिड (रुपए)		1.07	1.79

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा संलग्न नोट 1 से 46 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।
पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुन:व्यवस्थित/पुन:समूहन किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स शांत कुमार एंड वेंकटेश
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 006821एस

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

बी.आर. शांत कुमार
साझेदार
आईसीएआई सदस्यता सं. 007191
आईसीएआई यूडीआईएन : 24007191BKIPVT4197

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव
एफसीएस : 9535

राधा कृष्णा ए
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 10604322

राधाकृष्णन दुरैराज
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08382973

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 16.7.2024

इक्विटी परिवर्तन विवरण

सीआईएन: U74999KA2019GOI122175

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(1) चालू रिपोर्टिंग अवधि

(राशि रुपए लाख में)

चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष 01.04.2023	पूर्वाअवधि चूकों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुन:वर्णित शेष	चालू अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष 31.03.2024
5,60,760.00	-	5,60,760.00	-	5,60,760.00

(2) पिछली रिपोर्टिंग अवधि

रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष 01.04.2022	पूर्वाअवधि चूकों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुन:वर्णित शेष	चालू अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष 31.03.2023
91,000.00	-	91,000.00	4,69,760.00	5,60,760.00

ख. अन्य इक्विटी

(1) चालू रिपोर्टिंग अवधि

(राशि रुपए लाख में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष							कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों से सम्बद्ध कुल इक्विटी
	पूंजी रिजर्व	सिक्योरिटी प्रीमियम	सामान्य रिजर्व	धारित आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	नकदी प्रवाह हेज का प्रभावी भाग	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	
1 अप्रैल, 2023 को शेष				99,175.63				99,175.63
लेखांकन नीति अथवा पूर्वावधि चूकों में परिवर्तन				-				-
रिर्पोटिंग अवधि के प्रारंभ में पुन:वर्णित शेष				99,175.63				99,175.63
चालू वर्ष में कुल व्यापक आय				(1.36)				(1.36)
लाभांश								-
धारित आय में अंतरण				59,912.90				59,912.90
अन्य कोई परिवर्तन								-
31 मार्च, 2024 को शेष				1,59,087.17	-		-	1,59,087.17

(2) पिछली रिपोर्टिंग अवधि

(राशि रुपए लाख में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष							
	पूंजी रिजर्व	सिक्योरिटी प्रीमियम	सामान्य रिजर्व	धारित आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	नकदी प्रवाह हेज का प्रभावी भाग	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों से सम्बद्ध कुल इक्विटी
1 अप्रैल, 2022 को शेष				53,177.47				53,177.47
लेखांकन नीति अथवा पूर्वावधि चूकों में परिवर्तन				-				-
रिर्पोटिंग अवधि के प्रारंभ में पुन:वर्णित शेष				53,177.47				53,177.47
चालू वर्ष में कुल व्यापक आय				0.12				0.12
लाभांश				-				-
धारित आय में अंतरण				45,998.04				45,998.04
अन्य कोई परिवर्तन								
31 मार्च, 2023 को शेष				99,175.63				99,175.64

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स शांत कुमार एंड वेंकटेश
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 006821एस

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

बी.आर. शांत कुमार
साझेदार
आईसीएआई सदस्यता सं. 007191
आईसीएआई यूडीआईएन : 24007191BKIPVT4197

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव
एफसीएस : 9535

राधा कृष्णा ए
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 10604322

राधाकृष्णन दुरैराज
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08382973

स्थान: बेंगलुरू
दिनांक: 16.7.2024

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण

सीआईएन: U74999KA2019GOI122175

(राशि रुपए लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व लाभ		**80,359.70**	**61,634.82**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:			
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय		59,839.37	59,584.13
उपयोग अधिकार परिसम्पतियों का मूल्यह्रास		23.50	-
स्थिर परिसम्पतियों की बिक्री से (लाभ) / हानि		0.37	(0.03)
वित्त लागत		179.96	22.24
बैंक जमा से ब्याज आय		(27,436.06)	(9,551.06)
उपयोग अधिकार पर ब्याज - प्रतिभूति जमा		(0.13)	-
संदेहास्पद नामे के लिए प्रावधान		85.01	10.80
अन्य व्यापक आय		(1.36)	0.12
अतृप्त विदेशी विनिमय (वाईईसीटी)		(39.26)	(74.32)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पूर्व प्रचालन लाभ		**1,13,011.09**	**1,11,626.70**
परिसम्पतियों एवं देयताओं में परिवर्तन			
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसम्पतियों में (बढ़त)/घटत		(33,283.44)	3,952.43
अन्य गैर चालू परिसम्पतियों में (बढ़त)/घटत		(4.25)	17.88
मालसूचियों में (बढ़त)/घटत		-	-
व्यापार प्राप्यों में (बढ़त)/घटत		6,135.45	6,171.83
अन्य चालू वित्तीय परिसम्पतियों में (बढ़त)/घटत		10,691.48	26,219.98
अन्य चालू परिसम्पतियों में (बढ़त)/घटत		4,729.15	(7,472.40)
गैर चालू प्रावधानों में (बढ़त)/घटत		26.42	7.13
गैर चालू देयताओं में (बढ़त)/घटत		24.66	2,633.19
गैर चालू देयताओं में (बढ़त)/घटत		18.10	1,23,658.63
व्यापार देयताओं में (बढ़त)/घटत		(25,617.81)	(76,810.50)
अन्य चालू वित्तीय देयताओं में (बढ़त)/घटत		(3,086.21)	23,985.36
अन्य चालू देयताओं में (बढ़त)/घटत		(1,959.05)	(1,425.70)
चालू प्रावधानों में (बढ़त)/घटत		5,932.60	4,347.53
कार्यशील पूंजी में निवल परिवर्तन		**(36,417.55)**	**1,02,652.17**
परिचालनों से उत्पन्न नकदी		76,593.54	2,14,278.87
घटाएं: चुकता आयकर (निवल)		(19,671.50)	(13,920.57)
परिचालन क्रियाकलापों से (में प्रयुक्त) निवल नकदी		**56,922.04**	**2,00,358.30**

ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह			
स्थिर परिसम्पतियों की बिक्री/(क्रय)		(84,925.10)	(52,349.07)
स्थिर परिसम्पतियों की बिक्री से लाभ/(हानि)		(0.37)	0.03
अन्य बैंक शेष की परिपक्वता / जमा से प्राप्तियां		67,858.50	(1,15,304.85)
बैंकों में जमा से प्राप्त ब्याज		27,436.06	9,551.06
आरओयू पर ब्याज - प्रतिभूति जमा		0.13	-
उपयोग अधिकार परिसम्पतियां - प्रतिभूति जमा		(1.47)	-
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी		**10,367.75**	**(1,58,102.83)**
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह			
प्रदत्त लाभांश		-	-
वित्त लागत		(179.96)	(22.24)
पट्टा देयताओं का पुनर्भुगतान		(5.43)	-
शेयरों का निर्गम		-	-
वित्तीय क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी		**(185.39)**	**(22.24)**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों पर विनिमय दर परिवर्तनों का प्रभाव (वाईईसीटी)		39.26	74.32
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि		67,143.66	42,307.55
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य (संदर्भ नोट 9)		45,254.34	2,946.78
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य (संदर्भ नोट 9)		**1,12,397.97**	**45,254.34**

उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का निर्माण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत जारी नकदी प्रवाह विवरण से संबंधित इंड एएस-7 में निर्धारित 'अप्रत्यक्ष विधि' के अंतर्गत किया गया है।

पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुन:व्यवस्थित/पुन:समूहन किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मैसर्स शांत कुमार एंड वेंकटेश
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 006821एस

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

बी.आर. शांत कुमार
साझेदार
आईसीएआई सदस्यता सं. 007191
आईसीएआई यूडीआईएन : 24007191BKIPVT4197

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव
एफसीएस : 9535

राधा कृष्णा ए
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 10604322

राधाकृष्णन दुरैराज
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08382973

स्थान : बेंगलूरू

दिनांक : 16.7.2024

वित्तीय विवरणों के नोटं

1. कंपनी का संक्षिप्त परिचय

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड ("एनसिल" अथवा "कम्पनी") अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व की एक कंपनी है। एनसिल द्वारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से उत्पन्न होने वाले उत्पादों तथा सेवाओं का वाणिज्यिक दोहन किया जाता है तथा भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी अंतरण तंत्रव्यवस्था के माध्यम से अंतरिक्ष कार्यक्रम आधारित उच्च प्रौद्योगिकी के निर्माण आधार के अनुरूप सक्षम बनाया जाता है। एनएससीएल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) की वाणिज्यिक शाखा के दायित्व निभा रही है।

एनसिल की व्यावसायिक गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल है :

- अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए उपग्रहों का स्वामित्व
- उपग्रहों का निर्माण तथा मांग के अनुसार उनका प्रक्षेपण
- ग्राहकों को उपग्रहों के लिए प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करना
- भारतीय उद्योग के माध्यम से प्रक्षेपण यानों का निर्माण तथा ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार प्रक्षेपण
- वाणिज्यिक आधार पर अंतरिक्ष आधारित सेवाएं
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को मिशन सहायता सेवाएं, तथा
- भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी का अंतरण

कंपनी का कॉर्पोरेट कार्यालय इसरो मुख्यालय कैम्पस, नई बीईएल रोड, बेंगलूरू - 560094 में स्थित है।

2. निर्माण का आधार

क. अनुपालन विवरण

इन वित्तीय विवरणों का निर्माण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) के प्रावधानों तथा अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधानों के अनुसार तथा स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में यथा लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की डिवीजन II (इंड एएस अनुपालन अनुसूची III) की प्रस्तुति आवश्यकताओं, उचित मूल्यों पर मापन किए गए वित्तीय साधनों के अलावा, ऐतिहासिक लागत पर प्रोद्भूत आधार पर किया गया है ।

ये वित्तीय विवरण इंड एएस1 में उल्लिखित 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के वर्गीकृत प्रावधानों के अनुरूप हैं। स्पष्टता के लिए लाभ एवं हानि विवरण तथा तुलन पत्र में विभिन्न मदों का समूहन किया गया है। वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में इन मदों का, जहां लागू है, अलग अलग समूहन समाप्त किया गया है।

जहां कहीं नए जारी लेखांकन मानक प्रारंभ में स्वीकार किए जा चुके हैं अथवा किसी विद्यमान लेखांकन मानक के अनुसार अब तक उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीति में परिवर्तन अपेक्षित है, के अलावा लेखांकन नीतियों का उपयोग नियमित रूप से किया जा रहा है।

ख. प्रकार्यात्मक एवं प्रस्तुति की मुद्रा

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति लाख भारतीय रुपए (रुपए लाख में) में की गई है जो कंपनी द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली मुद्रा है। सभी राशियों को निकटतम लाख रुपए में राउंड ऑफ किया गया है।

ग. चालू / गैर-चालू वर्गीकरण

किसी परिसम्पति अथवा देयता का चालू के रूप में वर्गीकरण तब किया गया है जब यह निम्नलिखित स्थितियों के अनुरूप होती है:

i. जब परिसम्पति / देयता से कंपनी के सामान्य प्रचालन क्रम में प्रतिफल / निपटान अपेक्षित हों अथवा जो बिक्री अथवा उपयोग के लिए आशित हो;

ii. जब परिसम्पति/देयता का धारण बिक्री अथवा खपत के लिए किया गया हो;

iii. जब परिसम्पति/देयता का धारण मुख्यत: व्यापार के लिए किया गया हो;

iv. जब रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर परिसम्पति/देयता से प्रतिफल अपेक्षित हो / उसका निपटान किया जाना हो;

v. जब परिसम्पति विनियम के लिए प्रतिबंधित न होने अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात किसी देयता के समाधान के लिए कम से कम बारह माह के लिए उपयोग की जा रही होने के अलावा रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य हो।

vi. जब इसके साथ, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के कम से से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए अप्रतिबंधित अधिकार न जुड़े हुए हों। जब देयताओं के उपबंधों से, प्रतिपक्षकार द्वारा विकल्प का उपयोग किए जाने पर, इसका निपटान करने से इक्विटी साधनों के निर्गम का वर्गीकरण प्रभावित न होता हो।

अन्य सभी परिसम्पतियों तथा देयताओं का वर्गीकरण गैर-चालू के रूप में किया गया है।

परिसम्पतियों तथा देयताओं का वर्गीकरण चालू/गैर-चालू के रूप में करने के उद्‌देश्य से कंपनी ने इनके सामान्य प्रचालन क्रम को बारह माह के रूप में लिया है। यह सेवाओं की प्रकृति तथा संसाधन के लिए परिसम्पतियों अथवा मालसूचियों के अधिग्रहण के मध्य समय तथा नकदी एवं नकदी समतुल्य के रूप में उनसे प्रतिफल प्राप्ति के आधार पर है।

घ. अनुमानों एवं पूर्वानुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों का निर्माण स्वीकृति एवं इंड एएस के सिद्धांतों के अनुरूप करने के लिए प्रबंधन को अनुमानों, निर्धारणों तथा पूर्वानुमानाओं का उपयोग करना पड़ता है। ऐसे अनुमान, निर्धारण तथा पूर्वानुमान लेखांकन नीतियों के अनुप्रकुल तथा परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा, वित्तीय विवरणों की तिथि को प्रकटीकरण की गई आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं तथा अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई राजस्व एवं व्यय की राशियों की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन की स्वीकृति उस अवधि में और भविष्य में प्रभावित होने वाली किसी भी अवधि के लिए दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं । विशेष रूप से, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, का प्रकटीकरण निम्नलिखित नोटों में किया गया है:

(i) **राजस्व स्वीकृति**:

कंपनी द्वारा निश्चित मूल्य अनुबंधों के संबंध में अनुबंध में की गई सहमति के अनुसार पूर्णता की दिशा में प्रगति के मापन के लिए लक्ष्य / चरण के उपयोग से कार्य पूर्णता के प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। पूर्णता के प्रतिशत की विधि से किया जाने वाला लेखांकन कुल संभावित अनुबंध राजस्व एवं लागतों के अनुमानों पर निर्भर करता है। इस विधि का अनुसरण तब किया जाता है जब अनुबंध से संबंधित विभिन्न तत्वों के राजस्व एवं लागतों के अनुमान विश्वसनीयता से किए जाने का औचित्यपरक आश्वासन होता है। इन अनुबंधों की वित्तीय रिपोर्टिंग चूंकि ऐसे अनुमानों पर निर्भर करती है जिनका इन अनुबंधों की अवधि के दौरान लगातार मूल्यांकन किया जाता है, अत: जैसे-जैसे अनुबंध पूर्णता की ओर अग्रसर होता है, स्वीकृति प्राप्त राजस्व तथा लाभ में संशोधन करने पड़ते हैं।

(ii) **आयकर**:

आयकर के प्रावधान के संबंध में निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण पूर्वानुमान आंकने पड़ते हैं जिनमें ऐसे पूर्वानुमान भी आंके जाते हैं कि क्या कर निर्धारणों में ऐसी विश्वसनीयता व्याप्त है कि कर स्थितियों को बनाए रखा जा सकेगा अथवा नहीं रखा जा सकेगा। कर निर्धारण में अनेकों जटिलताएं होती हैं जिनका समाधान केवल विस्तारित समय अवधियों में ही किया जा सकता है।

(iii) **आस्थगित कर**:

आस्थगित कर की स्वीकृति, परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा उनकी वहन राशियों के मध्य कटौती योग्य एवं करयोग्य अस्थाई भिन्नताओं के लिए उन दरों पर की जाती है जो प्रयुक्त की गई हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को जिनका पूर्ण उपयोग हुआ है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अंतिम प्राप्ति उन अवधियों के दौरान भविष्य के कर योग्य लाभ की उत्पत्ति

पर निर्भर करती है जिनमें अस्थायी भिन्नताएं तथा कर हानि के अग्रेषण से कटौती योग्य हुई हैं। इस प्रकार के आकलन करते समय कंपनी द्वारा आस्थगित कर देयताओं तथा संभावित भावी कर योग्य आय के संभावित को विचार में लेती है। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि को प्राप्तियोग्य माना जाता है, तथापि, अग्रेषण अवधि के दौरान भावी करयोग्य आय के अनुमान अगर काम होते हैं तो निकट भविष्य में ये न्यून हो सकती हैं।

(iv) परिभाषित लाभ योजनाएं तथा प्रतिपूरक अनुपस्थिति

परिभाषित लाभ योजनाओं की लागत, प्रतिपूरक अनुपस्थिति एवं परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से किए गए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित हैं। बीमांकिक मूल्यांकन के लिए विभिन्न अनुमान लगाए जाते हैं जो भविष्य में होने वाले वास्तविक के कारण भिन्न हो सकते हैं। इसके अंतर्गत छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि तथा मृत्यु दर का निर्धारण किया जाना शामिल है। मूल्यांकन की जटिलताओं तथा इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, परिभाषित लाभ दायित्व के अनुमानों में बदलाव होने की विश्वसनीयता काफी अधिक होती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को सभी स्वीकृतियों की समीक्षा की जाती है।

(v) वित्तीय परिसंपत्तियों पर संभावित क्रेडिट हानियां

वित्तीय संपत्तियों के लिए परिशोधन के प्रावधान चूक जोखिम तथा संग्रह की संभावित समय सीमा से संबंधित अनुमानों पर आधारित हैं। कंपनी ऐसे अनुमानों के लिए पूर्वानुमानों का उपयोग करती है तथा यह कंपनी के पूर्व इतिहास के आधार पर परिशोधन के आकलन की चयनित इनपुट पर आधारित होता है, जिसके लिए ग्राहक की साख, विद्यमान बाजार स्थितियों तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्योन्मुखी अनुमानों का उपयोग किया जाता है।

ङ. उचित मूल्यों का मापन

कंपनी की कुछ लेखांकन नीतियों तथा प्रकटीकरणों के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देनदारियों, दोनों, के लिए उचित मूल्यों के मापन की आवश्यकता होती है।

उचित मूल्यों का वर्गीकरण उचित मूल्य तारतम्यता के विभिन्न स्तरों के लिए किया जाता है जो निम्नानुसार मूल्यांकन तकनीकों के लिए प्रयुक्त इनपुटों पर आधारित होती हैं:

स्तर 1: समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों से उद्धृत मूल्य (गैर समायोजित)

स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्तियों अथवा देयता के लिए प्रत्यक्ष (यथा मूल्य के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष (अर्थात मूल्यों से प्राप्त) रूप में विचार योग्य हैं।

स्तर 3: परिसंपत्ति अथवा देयता से संबंधित इनपुट जो प्रत्यक्ष बाजार डेटा (अगोचर इनपुट) इनपुट पर आधारित नहीं हैं।

किसी परिसंपत्ति अथवा देयता के उचित मूल्य मापन के समय, कंपनी द्वारा यथासंभव अवलोकन योग्य बाजार डेटा का उपयोग किया जाता है। यदि किसी परिसंपत्ति अथवा देयता के उचित मूल्य के मापन के लिए प्रयुक्त इनपुट उचित मूल्य की तारतम्यता के विभिन्न स्तरों में आती है, तो उचित मूल्य मापन को उचित मूल्य की तारतम्यता के समान स्तर में निम्नतम स्तर के इनपुट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो कि संपूर्ण मापन के लिए महत्वपूर्ण है।

च. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह की रिपोर्टिंग अप्रत्यक्ष विधि के उपयोग से की जाती है, जबकि वर्ष से संबंधित लाभ का समायोजन गैर-नकदी प्रकार के संव्यवहारों, पूर्व अथवा भावी स्थगन अथवा भावी प्रचालनात्मक नकद प्राप्तियों अथवा भुगतानों तथा निवेश अथवा वित्तीय नकदी प्रवाह से संबंधित आय अथवा व्यय की मदों के प्रभाव के समायोजन के लिए किया जाता है। कंपनी द्वारा अपने सभी अत्यधिक उच्च नकदी निवेश, जो नकदी अथवा नकदी समतुल्यों की ज्ञात नकद राशियों में तत्काल परिवर्तनयोग्य हैं, को विचार में लिया जाता है।

3 **सामग्रीगत लेखांकन नीति**

क. सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

(i) **स्वीकृति तथा मापन**

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की प्रस्तुति संचित मूल्यह्रास तथा संचित क्षमता हानियों को घटाकर, यदि कोई हों, लागत पर की गई है।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद की लागत में उसका क्रय मूल्य, व्यापार छूट, रियायतों को घटाने के पश्चात उससे संबंधित आयात शुल्कों तथा गैर-धनवापसी योग्य क्रय करों सहित मद को आशित उद्देश्य के लिए कार्यक्षम बनाने के लिए प्रयुक्त प्रत्यक्ष लागतें शामिल हैं।

अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) द्वारा अंतरित किए गए उपग्रहों की लागत का लेखांकन अंतरण के प्राधिकार के साथ उपलब्ध करवाए गए विवरण के अनुसार किया गया है।

यदि संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद के महत्वपूर्ण भागों का उपयोगिता काल भिन्न है, तो उनका लेखांकन संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की भिन्न मदों (प्रमुख घटकों) के रूप में किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद के निपटान से किसी लाभ अथवा हानि की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है।

(ii) **इंड एएस में पारगमन**

इंड एएस में पारगमन के पश्चात कंपनी ने अपनी प्रत्येक सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति, पूर्व सामान्य स्वीकृत लेखांकन व्यवहारों के अनुसार के किए मापन के रूप में, 1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार के वहन मूल्य को जारी रखने का चयन किया गया था तथा इस वहन मूल्य को ऐसी सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की मानित लागत माना गया है (सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण नोट संख्या 1 तथा 2 देखें)।

(iii) **अनुवर्ती व्यय**

अनुवर्ती व्यय के पूंजीयन तभी किए गए हैं जब ऐसी विश्वसनीयता होती है कि व्यय से संबंधित भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे।

(iv) **मूल्यह्रास**

मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा विधि के उपयोग से परिसम्पति के अनुमानित उपयोगिता काल अथवा प्रबंधन द्वारा परिसम्पति के अनुमानित उपयोगिता काल के लिए निर्धारित दरों के अनुसार, जो भी उच्चतर हो, प्रभारित किया गया है।

ऐसी परिसम्पतियों, जिनका अलग अलग लागत मूल्य 0.05 लाख से कम है, का पूर्ण मूल्यह्र ास क्रय के वर्ष में किया जाता है। 0.05 लाख रुपए अथवा अधिक मूल्य की परिसम्पति लागतों का अवशिष्ट मूल्य, ऐसी परिसम्पतियों की मूल लागत का 1% माना जाता है। 1% के अवशिष्ट मूल्य को संपति का अधिकतम सीमा तक मूल्यह्रास माना जाता है। कंपनी द्वारा निर्धारित परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

परिसम्पति की प्रकृति	उपयोज्यता काल
भवन (इलेक्ट्रिकल प्रणालियां)	10 वर्ष
भवन (अस्थाई संरचनाएं)	3 वर्ष
भवन (आंतरिक साजसज्जा)	3 वर्ष
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	10 वर्ष
कम्प्यूटर तथा पेरिफिलर्स	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
संचार प्रणाली	3 वर्ष
मोटर यान	8 वर्ष

अंतरिक्ष विभाग द्वारा कंपनी को अंतरित उपग्रहों के उपयोगिता काल का निर्धारण अंतरिक्ष विभाग द्वारा किया जाता है तथा कंपनी को इसकी सूचना उपग्रह का अंतरण किए जाने के समय दी जाती है। उपग्रहों का कोई अवशिष्ट मूल्य नहीं है।

ख. अमूर्त स्थिर परिपरिसम्पतियां

अमूर्त परिसम्पतियों की प्रस्तुति लागत में से संचित परिशोधन एवं क्षमता हानि को घटाकर की गई है। अमूर्त परिसम्पतियों का परिशोधन सीधी रेखा आधार पर उनके वैयक्तिक अनुमानित उपयोगिता काल पर उस तिथि से किया गया है जिस तिथि को वे उपयोग के लिए उपलब्ध हुई थीं।

पहचान योग्य अमूर्त परिसम्पति का अनुमानित उपयोगी उपयोगिता अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य आर्थिक कारकों (जैसे उद्योग स्थिरता, ज्ञात प्रौद्योगिकी प्रगति) के प्रभाव तथा परिसम्पतियों से अपेक्षित भावी नकदी प्रवाह प्राप्त की प्राप्ति के लिए आवश्यक अनुरक्षण व्यय स्तर सहित अनेक कारकों पर निर्भर है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन विधियों तथा उपयोगिता काल की आवधिक समीक्षा की जाती है।

आंतरिक रूप से उत्पन्न / आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित साफ्टवेयरों, जो संबंधित हार्डवेयर का भाग नहीं है, की लागत की स्वीकृत अमूर्त परिसम्पति के रूप में की जाती है तथा इनका परिशोधन पांच वर्ष की अवधि में सीधी रेखा आधार पर किया जाता है। परिशोधन तब प्रारम्भ होता है जब परिसम्पति उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। जब कभी अमूर्त परिसम्पतियों (जो महत्वपूर्ण हों अथवा न हों) के उपयोगिता काल का मूल्यांकन संभव नहीं होता है तो प्रापण के वर्ष में लागत का बट्टा किया जाता है। अमूर्त परिसम्पतियों की क्षमता हानि की समीक्षा वार्षिक रूप में की जाती है तथा परिशोधन के संकेत मिलने पर परिसम्पति का परिशोधन किया जाता है।

ग. मालसूचियां

मालसूचियां व्यापार भंडार, कच्चे माल, कार्य-प्रगति के स्वरूप में होती हैं तथा तैयार माल का मूल्य लागत से कम मूल्य पर एवं अनुमानित प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है। सामग्रियों की लागत का निर्धारण प्रथम आवक प्रथम जावक आधार पर किया जाता है और इनमें उनके अधिग्रहण तथा उन्हें उनकी वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्ययकी गई लागतें शामिल होती हैं।

घ. राजस्व

(i) **बिक्री**

राजस्व, सभी अप्रत्यक्ष करों के निवल की स्वीकृति उस समय की जाती है जब ग्राहक को की जाने वाली आपूर्तियों अथवा उनके लिए निर्धारित / अनुबंधित परियोजना की आपूर्ति हो जाती है। तथापि, यदि ग्राहक के अनुरोध पर आपूर्ति विलंबित की जाती है तथा ग्राहक इनका एवं बिलों की स्वीकृति कर लेता है तो राजस्व की स्वीकृति की जाती है तथा इसे इस कारण से रोका नहीं जाता है कि भौतिक आपूर्ति पूरी नहीं हुई है तथा इसमें आपूर्ति किए जाने की प्रत्येक विश्वसनीयता व्याप्त है एवं आपूर्तियां उपलब्ध, निर्धारित एवं आपूर्ति के लिए तैयार हैं तथा यदि आपूर्ति संस्थापन / जांच जैसी किसी शर्त के अधीन होती है तो राजस्व की स्वीकृति, ग्राहक द्वारा आपूर्ति स्वीकार किए जाने तथा संस्थापन / जांच पूरी होने तक, नहीं की जाती है।

(ii) **सेवाएँ**

क) प्रक्षेपण, संस्थापन, कमीशनिंग एवं परीक्षण:

राजस्व, सभी अप्रत्यक्ष करों के निवल की स्वीकति ग्राहक के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार लक्ष्य पूर्ति / कार्य पूर्णता के चरण के अनुसरण में की जाती है।

ख) एक्सेस शुल्क, अंतरिक्ष खंड, मिशन सहायता, आदि

राजस्व, सभी अप्रत्यक्ष करों के निवल, की स्वीकृति सेवा अनुबंध की प्रकृति, जो एकमुश्त सेवा अथवा आवृत्ति सेवा के रूप में होते हैं, के अनुसार सेवाएं प्रदान करते समय अथवा आवधिक रूप में की जाती है।

ग) परामर्शी सेवाएं

राजस्व की स्वीकृति सेवा अनुबंध की प्रकृति, जो एकमुश्त सेवा अथवा आवृत्ति सेवा के रूप में होते हैं, के अनुसार सेवाएं प्रदान करते समय अथवा आवधिक रूप में की जाती है।

(iii) **मिश्रित अनुबंध**

मिश्रित अनुबंध की प्रत्येक मद के लिए राजस्व की स्वीकृति ऊपर (i) तथा (ii) में किए गए मदों से संबंधित उल्लेख के अनुसार जाती है

(iv) **अन्य आय**

क) ब्याज

ब्याज आय की स्वीकृति प्रोद्भवन आधार पर की जाती है। तथापि, व्यापार प्राप्यों से ब्याज की स्वीकृति प्राप्ति के आधार पर होती है।

ख) रॉयल्टी

रॉयल्टी का लेखांकन प्रोद्भवन आधार पर ग्राहकों से स्वीकृति प्राप्त होने पर किया जाता है।

ग) निवेश पर लाभांश

निवेश पर लाभांश की स्वीकृति तब की जाती है जब कंपनी का भुगतान प्राप्ति का अधिकारी स्थापित हो जाता है।

घ) विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव

विचाराधीन अवधि के लिए विदेशी मुद्रा शुद्ध लाभ/(हानि) निवल है।

ङ. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

(i) **प्रारंभिक स्वीकृति**

विदेशी मुद्रा संव्यवहार, संव्यवहार की तिथि की विनिमय दरों के उपयोग से, प्रकार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किए जाते हैं।

(ii) **अनुवर्ती मापन**

विदेशी मुद्राओं की मौद्रिक परिपरिसम्पतियों तथा देयताओं का अंतरण रिपोर्टिंग तिथि की विनिमय दर पर प्रकार्यात्मक मुद्रा में किया जाता है। गैर मौद्रिक परिसम्पतियों एवं देयताओं का मापन, विदेशी मुद्रा की ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है तथा इनका अंतरण नहीं किया जाता। विनिमय भिन्नताओं की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

च. वित्तीय लिखत

(i) **स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन**

व्यापार प्राप्यों की प्रारंभिक स्वीकृति तब की जाती है जब वे उत्पन्न होते हैं। अन्य वित्तीय परिसम्पतियों तथा वित्तीय देयताओं की स्वीकृति तब की जाती है जब कंपनी साधन के संविदागत प्रावधानों की पक्षकार बन जाती है।

किसी वित्तीय परिपरिसम्पति अथवा वित्तीय देयता का प्रारंभिक मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। इनके अधिग्रहण अथवा निर्गम से संबंधित प्रत्यक्ष संव्यवहार लागतों का उनके उचित मूल्य पर लेखांकन लाभ एवं हानि लेखा विवरण के माध्यम से किया जाता है।

(ii) **वर्गीकरण एवं अनुवर्ती मापन**

क) वित्तीय परिसम्पतियां :

किसी वित्तीय परिसम्पति का प्रारंभिक मापन का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाता है :

- परिशोधन लागत पर

- एफवीटीपीएल (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर)
- एफवीओसीआई (अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर)

वित्तीय परिसम्पतियों का पुन:वर्गीकरण उनकी प्रारंभिक स्वीकृति के अनुसरण में नहीं किया जाता है, जो कि उन स्थितियों की अवधि में किया जाता है जब कंपनी ने अपनी वित्तीय परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय माडल में परिवर्तन किए हों।

किसी वित्तीय परिसम्पति का मापन परिशोधन लागत पर तब किया जाता है जब यह निम्नलिखित दोनों स्थितियों की पूर्ति करती है तथा यह एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं है:

- परिसम्पति का धारण एक ऐसे व्यवसाय माडल में किया गया है जिसके धारण का उद्देश्य परिसम्पति से नकदी प्रवाह की प्राप्ति करना है; तथा

- वित्तीय परिसम्पति से संबंधित संविदागत उपबंधों से किसी निर्दिष्ट तिथि को नकदी प्रवाह की उत्पत्ति होगी जो केवल मूल एवं मूल राशि के बकाया ब्याज के भुगतान के लिए होगी।

ऋण निवेश का मापन एफवीओसीआई पर तब किया जाता है जब यह निम्नलिखित दोनों स्थितियों की पूर्ति करती है तथा यह एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं है:

- परिसम्पति का धारण एक ऐसे व्यवसाय माडल में किया गया है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाहों की प्राप्ति करना तथा वित्तीय परिसम्पतियों की बिक्री करना है; तथा

- वित्तीय परिसम्पति के संविदागत उपबंधों से किसी निर्दिष्ट तिथि को नकदी प्रवाह की उत्पत्ति होगी जो केवल मूल एवं मूल राशि के बकाया ब्याज के लिए होंगे।

इक्विटी निवेश, जो व्यापार के लिए धारित नहीं हैं, की प्रारंभिक स्वीकृति के समय कंपनी द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई - इक्विटी निवेश के रूप में निर्दिष्ट) में उचित मूल्य के निवेश के विद्यमान अनुवर्ती परिवर्तनों का चयन किया जा सकता है यह चयन निवेश आधार पर किसी निवेश के लिए किया जाता है।

परिशोधन लागत अथवा एफवीओसी पर मापन न की गई के रूप में वर्गीकृत सभी वित्तीय परिसम्पतियों का मापन एफवीटीपीएल पर किया गया है।

एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसम्पतियां	इन परिसम्पियों का अनुवर्ती मापन उचित मूल्य पर किया गया है। ब्याज अथवा लाभांश आय सहित निवल लाभ एवं हानियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है।
एफवीओसीआई पर ऋण निवेश	इन परिसम्पियों का अनुवर्ती मापन उचित मूल्य पर किया गया है। प्रभावी ब्याज विधि के अंतर्गत ब्याज आय, विदेशी मुद्रा लाभ एवं हानियों तथा क्षमता हानि की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। अन्य निवल लाभ एवं हानियों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ तथा हानियों का संचयन अन्य व्यापक में वर्गीकृत करके इसे लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है।
एफवीओसीआई पर इक्विटी निवेश	इन परिसम्पियों का अनुवर्ती मापन उचित मूल्य पर किया गया है। यदि लाभांश से निवेश की लागत की स्पष्ट वसूली की प्रस्तुति नहीं होती है तो लाभांश की स्वीकृति आय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। अन्य निवल लाभ एवं हानियों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है तथा इन्हें लाभ एवं हानि में पुन:वर्गीकृत नहीं किया जाता है।
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसम्पतियां	इन परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। परिशोधन लागत को क्षमता हानियों से न्यून किया जाता है। ब्याज आय, विदेशी मुद्रा लाभ एवं हानियों तथा अक्षमता हानियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। किसी लाभ अथवा हानि की स्वीकृति समाप्त होने पर उसे लाभ एवं हानि में स्वीकृत किया जाता है।

ख) वित्तीय देयताएं :-

वित्तीय देयताओं का मापन परिशोधन लागत अथवा एफवीटीपीएल पर किया जाता है। यदि किसी वित्तीय देयता का वर्गीकरण व्यापार के लिए धारित के रूप में किया जाता है तो उसका वर्गीकरण एफवीटीपीएल के रूप में किया जाता है। एफवीटीपीएल में वित्तीय देयताओं का मापन उचित मूल्य पर तथा किसी ब्याज सहित लाभ एवं हानियों में किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। अन्य वित्तीय देयताओं का मापन, प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से, परिशोधन लागत पर किया जाता है। ब्याज व्यय एवं विदेशी मुद्रा लाभ तथा हानियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। स्वीकृति समाप्ति पर किसी लाभ अथवा हानि की स्वीकृति भी लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

(iii) **स्वीकृति समाप्ति**

(क) वित्तीय परिसम्पतियां :

कंपनी द्वारा वित्तीय तब समाप्त की जाती है जब वित्तीय परिसम्पति से संबंधित नकदी प्रवाह के संविदागत अधिकार कालातीत हो जाते हैं, अथवा इसके अधिकारों का अंतरण ऐसे संविदागत नकदी प्रवाहों की प्राप्ति ऐसे संव्यवहार में से किए जाने किया जाता है जिसमें वित्तीय सम्पति के स्वामित्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित किए जाते हैं अथवा जिनमें कंपनी न तो कोई अंतरण करती है और न ही सभी महत्वपूर्ण स्वामित्व के जोखिमों तथा प्रतिफलों का धारण करती है तथा वित्तीय परिसम्पतियों का नियंत्रण धारित नहीं करती है।

(ख) वित्तीय देयताएं:

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब उसके संविदागत दायित्व पूरे हो जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं।

कंपनी द्वारा भी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब इसके उपबंधों में संशोधन होता है तथा संशोधित उपबंधों के अनुसार नकदी प्रवाह अत्यधिक भिन्न होता है। ऐसे मामले में, संशोधित उपबंधों पर आधारित नई वित्तीय देयता की स्वीकृति उचित मूल्य पर की जाती है। वित्तीय देयताओं की वहन राशि के मध्य भिन्नता समाप्त हो जाती है तथा लाभ एवं हानि में नए उपबंधों के साथ वित्तीय देयता की स्वीकृति की जाती है।

छ. **परिशोधन**

(i) **वित्तीय लिखतों का परिशोधन**

कंपनी द्वारा संभावित क्रेडिट हानियों के के लिए हानि भत्तों की स्वीकृति निम्नानुसार की जाती है:

- वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन परिशोधन लागत पर किया जाता है

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कंपनी यह आकलन करती है कि क्या परिशोधन लागत पर वहन की गई वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन हुआ है अथवा नहीं हुआ है। किसी वित्तीय परिसम्पति को 'क्रेडिट परिशोधन' तब माना माना जाता है जब वित्तीय परिसम्पतियों से अनुमानित भावी नकदी प्रवाहों पर एक अथवा अधिक घटनाओं से उसके हानिकारक प्रभाव होते हैं।

किसी वित्तीय परिसम्पति क्रेडिट परिशोधन के प्रमाणों में निम्नलिखित स्पष्ट प्रेक्षण आंकड़ा शामिल होता है।

- उधारकर्ता अथवा जारीकर्ता की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई;
- अनुबंध का उल्लंघन जैसे चूक होना अथवा 365 दिन अथवा अधिक समय से पिछले देय प्रदत्त न करना;
- कंपनी द्वारा किसी ऋण या अग्रिम की शर्तों की पुनर्संरचना, जिन पर कंपनी अन्यथा विचार नहीं किया जाता है
- यह संभव हो सकता है कि उधारकर्ता दिवालिया होगा अथवा अन्य वित्तीय पुनर्गठन करेगा: अथवा
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रतिभूति के लिए कोई सक्रिय बाजार व्याप्त न होना।

व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ते का मापन उपयोगिता काल संभावित क्रेडिट की समान राशि पर किया जाता है।

केंद्र/राज्य सरकारों, केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, केंद्र/राज्य के स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से बकाया जिसके लिए प्रावधान/हानि भत्ते का मापन मामला आधार के अनुसार किया जाता है तथा इसके लिए अपेक्षित क्रेडिट हानियों को विचार में नहीं लिया जाता है।

(ii) **गैर-वित्तीय संपत्तियों की क्षमता हानि**

अन्य कर परिसंपत्तियों के अलावा कंपनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा इस निर्धारित के लिए की जाती है कि उसमें क्षमता हानि के कोई लक्षण व्याप्त हैं अथवा नहीं हैं। यदि ऐसे कोई लक्षण होते हैं तो परिसम्पति की वसूली योग्य राशि के अनुमान आंके जाते हैं।

क्षमता हानि परीक्षण के लिए, स्वतंत्र नकदी प्रवाह की उत्पत्ति न करने वाली परिसम्पतियों का समूहन नकदी की उत्पत्ति करने वाली यूनिटों (सीजीयू) के साथ किया जाता है। प्रत्येक सीजीयू परिसम्पतियों के उस छोटे समूह का प्रतिनिधित्व करती है जो नकदी प्रवाह करती हैं तथा मुख्यत: अन्य परिसम्पतियों अथवा सीजीयू के नकदी प्रवाहों से स्वतंत्र हैं।

क्षमता हानि की स्वीकृति तब की जाती है जब परिसम्पति अथवा सीजीयू की वहन राशि वसूलीयोग्य अनुमानित राशि से अधिक होती है। क्षमता हानियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

ज. सेवानिवृत्ति एवं अन्य कर्मचारी हितलाभ

(i) **उपदान**

कंपनी द्वारा एनसिल के सभी कर्मचारियों को शामिल करके उपदान के लिए एक परिभाषित लाभ योजना प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति अथवा रोजगार समाप्ति के समय, संबंधित कर्मचारी के वेतन तथा कंपनी में रोजगार के वर्षों के आधार पर एकमुश्त भुगतान किया जाता है।

प्रावधान की राशि वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है। निवल परिभाषित हितलाभ देयता का पुन: मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि शामिल हैं, की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवल ब्याज व्यय तथा परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य व्यय लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

(ii) **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (कॉर्पोरेट मॉडल योजना)**

एनसिल के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (कॉर्पोरेट मॉडल योजना) में नामांकित किया गया है। कंपनी पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (कॉर्पोरेट मॉडल योजना) में परिभाषित कुलदान योजना के अनुसार मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के 14% का कुलदान करती है। कुलदान का लेखांकन प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है तथा लाभ और हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

(iii) **प्रतिपूरक अनुपस्थिति**

एनसिल की वेतनसूची में दर्ज सभी कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक प्रतिपूरक अनुपस्थिति, एक और रोजगार लाभ योजना है, जिसका लेखांकन तुलन पत्र तिथि को स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि की तत्काल स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है तथा इसे आस्थगित नहीं किया जाता है।

ज. आयकर

आयकर में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं। इसकी स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है जो कि तब नहीं की जाती है जब किसी मद की स्वीकृति सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय में की जाती है।

(i) **वर्तमान कर**

वर्तमान कर में वर्ष कर योग्य आय अथवा हानि पर देय अथवा प्राप्य संभावित कर तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय अथवा प्राप्य कर के कोई समायोजन शामिल है। चालू कर की राशि आयकर से संबंधित अनिश्चितता, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद भुगतान अथवा प्राप्त होने वाली संभावित कर राशि के सर्वोत्तम अनुमान दर्शाती है। इसका मापन रिपोर्टिंग तिथि द्वारा अधिनियमित अथवा मूल रूप से अधिनियमित कर दरों (और कर कानूनों) के उपयोग से किया जाता है।

चालू कर परिसंपत्तियों तथा चालू कर देयता को तभी सेट-ऑफ किया जाता है जब स्वीकृति प्राप्त राशियों को निर्धारित करने का विधिक प्रवर्तन योग्य अधिकार हो, तथा जो परिसम्पति की प्राप्ति के लिए तथा देयता का निवल आधार पर अथवा एक साथ निपटान के लिए आशित हो।

(ii) **आस्थगित कर**

वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्यों से तथा कराधान उद्देश्यों से प्रयुक्त अनुवर्ती राशि के लिए परिसम्पतियों तथा देयताओं के मध्य अस्थाई भिन्नता के संबंध में आस्थगित कर की स्वीकृति की जाती है। आस्थगित कर की स्वीकृति अग्रेषित कर हानियों के संबंध में भी की जाती है।

आस्थगित कर की स्वीकृति निम्नलिखित के संबंध में नहीं की जाती है:

- आस्थिगत कर परिसम्पतियों की स्वीकृति उस विस्तार के लिए की जाती है जिसमें भावी करयोग्य लाभ उपलब्ध होने तथा उनके प्रति उपयोग किए जाने विश्वसनीयताव्याप्त होती है। अस्वीकृत अथवा स्वीकृत आस्थगित कर परिसम्पतियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है / उन्हें उस विस्तार तक घटाया जाता है / कि इनसे क्रमश: संबंधित कर लाभों की प्राप्त की संभाव्यता है / संभाव्यता नहीं है;

- आस्थगित कर का मापन उन कर दरों पर किया जाता है जो उस अवधि में उपयोग के लिए संभावित होंगे जब, प्रवर्तित कानून अथवा रिपोर्ट तिथि को मूलभूत रूप से प्रवर्तित के आधार पर, प्रतिफल की प्राप्ति होगी अथवा देयता का निपटान होगा।

आस्थगित कर के मापन से उन करों के परिणामों की प्रस्तुति होती है जो रिपोर्टिंग तिथि को कंपनी की प्रत्याशाओं के अनुसार जिनका अनुसरण इसकी परिसम्पतियों तथा देयताओं की वहन राशि की वसूली तथा निपटान के लिए किया जा सकेगा।

चालू कर परिसम्पतियों तथा देयताओं का समंजन तब किया जाता जब चालू कर देयताओं एवं परिसम्पतियों के सेट-ऑफ के लिए विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त तथा यह समान कर प्राधिकरण द्वारा एक ही कर योग्य इकाई पर अथवा विभिन्न कर संस्थाओं पर लगाए गए आयकर से संबंधित हो, परन्तु उनका उद्देश्य चालू कर देयताओं एवं परिसम्पतियों का निवल आधार पर अथवा उनकी कर परिसम्पतियों एवं देयताओं की एक साथ बिक्री के माध्यम से करने की हो।

झ. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय का आकलन वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरधारकों से सम्बद्ध निवल लाभ अथवा हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है। वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस जारी करने की स्थितियों (यदि कोई हो) के लिए समायोजित किया जाता है।

प्रति शेयर डायल्युटिड आय के आकलन के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों से सम्बद्ध वर्ष के निवल लाभ अथवा हानि तथा वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी डायल्युटिड संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

ञ. प्रावधान तथा आकस्मिकताएं:

किसी प्रावधान की स्वीकृति तब की जाती है जब उद्यम के पास पूर्व घटना के परिणामस्वरूप चालू दायित्व हो; इसमें यह विश्वसनीयता व्याप्त हो कि ऐसे दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होगा जिसके विश्वसनीय अनुमान के साथ लगाए जा सकेंगे। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा इनका समायोजन चालू उत्तम अनुमानों के लिए समायोजित किया जाता है।

कठिन अनुबंधों से संबंधित प्रावधान अर्थात ऐसे अनुबंधों जिनमें अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों की पूर्ति के लिए अपेक्षित अपरिहार्य लागतें इनके अंतर्गत प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक हो जाते हैं, की स्वीकृति तब की जाती है जब यह संभाव्य हो कि सम्मिलित आर्थिक लाभों की आवश्यकता, किसी दायित्व की पूर्ति के परिणामस्वरूप, वर्तमान दायित्व, ऐसे दायित्व के उत्तम अनुमानों के आधार पर, की पूर्ति के लिए अपेक्षित होगी।

जब विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाए जा सकते हैं तो आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटीकरण किया जाता है। देयता के लिए प्रकटीकरण तब भी किया जाता है जब किसी संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्व से संसाधनों का बर्हिप्रवाह,जो नहीं भी हो सकता, अपेक्षित है।

ट. नकदी तथा नकदी समतुल्य

नकदी तथा नकदी समतुल्य में उपलब्ध नकदी, बैंक जमा तथा ऐसे अल्पावधि जमा निवेश शामिल हैं जिनकी मूल परिपक्वता तीन माह अथवा कम है तथा जो मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन के जोखिम के साथ नकदी में तत्काल परिवर्तित किए जा सकते हैं।

ठ. पूर्व वर्षो से संबंधित समायोजन

पूर्व वर्षों से संबंधित आय / व्यय, जो 300 लाख रुपए अथवा टर्नओवर के 0.5% से अधिक नहीं हैं, जो भी अधिक हों, को चालू वर्ष की आय / व्यय माना जाता है।

ड. सरकारी भवन

अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्रदान किए गए भवन के किराए का लेखांकन, अंतरिक्ष विभाग से वास्तविक किराया मांग की प्राप्ति होने तक स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा किए जाने वाले बाजार किराया मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ढ. पट्टे

इंड एएस-116 के अनुसरण में, निम्नलिखित के अलावा, सभी पट्टों का लेखांकन उपयोग अधिकार परिसम्पतियों तथा पट्टा देयता के रूप में किया जाता है:

- कम मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टे; तथा

- 12 माह अथवा कम अवधि के पट्टे

प्रारंभिक उपयोगिता की तिथि, 1 अप्रैल, 2021, के पश्चात से निम्नलिखित नीतियां लागू होंगी :

पट्टा देयताओं का मापन पट्टादाता को पट्टा अवधि के लिए देय अनुबंध भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर, यदि ये तत्काल निर्धारण योग्य नहीं है (विशिष्ट मामला होने के कारण) तो पट्टे में अंतर्निहित दर के संदर्भ में छूट दर के साथ, किया जाता है तथा ऐसे मामले में कंपनी पट्टे के प्रारंभ की ऋण दर की आवृति ऋण दर का उपयोग करती है। परिवर्तनीय पट्टा भुगतान, यदि वे किसी इंडेक्स अथवा दर पर निर्भर है, केवल पट्टा देयता के मापन में शामिल किए जाते हैं। ऐसे मामलों में, पट्टा देयता का प्रारंभिक मापन विश्वसनीय तत्व माना जाता है तथा यह सम्पूर्ण पट्टा अवधि के लिए लागू होता है। अन्य पट्टा भुगतानों का व्यय उनकी संबंधित अवधि में किया जाता है।

प्रारंभिक स्वीकृति के समय पट्टा देयता के वहन मूल्य में निम्नलिखित भी शामिल होता है:

- यदि विकल्प के मूल्यांकन की औचित्यपरक निश्चितता है तो कंपनी के पक्ष में प्रदत्त किसी क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य;

- यदि प्रकुल किए जा रहे समाप्ति विकल्प के आधार पर पट्टे के काल आंका गया है तो पट्टा समाप्ति के लिए देय कोई दंड;

उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियों का प्रारंभिक मापन, प्राप्त किसी पट्टा प्रोत्साहन को घटा करके, पट्टा देयता की राशि पर एवं निम्नलिखित वृद्धि के साथ किया जाता है :

- पट्टा के प्रारंभ के समय अथवा पूर्व किए गए पट्टा भुगतान;

- व्ययित प्रत्यक्ष लागतें; तथा

- किसी प्रावधान की स्वीकृत राशि जिसमें कंपनी से पट्टा परिसम्पति को विघटित करने, हटाने अथवा पुनर्स्थापित किए जाने की संविदागत अपेक्षा है।

प्रारंभिक मापन के पश्चात, शेष बकाया के प्रति स्थिर पर प्रभारित ब्याज के परिणामस्वरूप पट्टा देयताएं बढ़ जाती हैं तथा प्रदत्त किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की शेष अवधि के दौरान अथवा परिसंपत्ति के शेष आर्थिक उपयोग काल, जो कि कभी कभार पट्टा काल से कम अवधि पर आंका जाता है, पर सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।

जब कंपनी किसी पट्टे की अवधि के अपने अनुमान में संशोधन करती है, तो संशोधित अवधि के दौरान किए जाने वाले भुगतानों की प्रस्तुति के लिए पट्टा देयता की वहन राशि, जिसे संशोधित दर के उपयोग से घटाया जाता है, को समायोजित किया जाता है। पट्टा देयताओं का वहन मूल्य भी इसी प्रकार तब संशोधित किया जाता है जब किसी दर या सूचकांक पर निर्भर भविष्य के पट्टा भुगतान के परिवर्तनीय तत्व को संशोधित किया जाता है, जो कि छूट दर में कोई परिवर्तन न होने की स्थिति में नहीं किया जाता है। दोनों मामलों में उपयोग अधिकारी वाली परिसम्पतियों के वहन में समान समायोजन, शेष (संशोधित) पट्टा अवधि परिशोधन की जा रही संशोधित वहन राशि के साथ, किए जाते हैं। यदि उपयोग अधिकारी वाली परिसम्पतियों की वहन राशि शून्य पर समायोजित की गई है तो आगे की जाने वाली कमी की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

ऐसे अनुबंधों के लिए जिनमें कंपनी को किसी पहचान में ली गई परिसम्पति के उपयोग के दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं तथा पट्टेदार से कंपनी को सेवाएं प्रदान की जानी अपेक्षित होती है तो कंपनी द्वारा समग्र अनुबंध को पट्टे के रूप स्वीकार करने का चयन करती है अर्थात कंपनी द्वारा संविदागत भुगतान की कोई राशि अनुबंध के भाग के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए निर्धारित की जाती है तथा इनका लेखांकन अलग किया जाता है।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के अभिन्न भाग नोट

(राशि रुपए लाख में)

नोट संख्या	विवरण		चालू रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के अनुसार आंकड़े 31.3.2024	पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के अनुसार आंकड़े 31.03.2023
1	**सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण :**			
	(क) भवन		19.04	1.99
	(ख) फर्नीचर एवं फिक्सचर्स		49.94	18.83
	(ग) कम्प्यूटर तथा संबंधित सामग्री		97.11	91.59
	(घ) कार्यालय उपकरण		11.27	7.99
	(ङ) संचार प्रणाली		2.16	0.86
	(च) मोटर कार		38.89	18.22
	(छ) उपग्रह कक्षा-अंतरिक्ष विभाग से अंतरित		2,99,835.68	3,53,797.74
	(ज) उपग्रह कक्षा-एनसिल		79,478.55	84,544.86
			3,79,532.64	**4,38,482.08**
2	**उपयोग अधिकार परिसम्पतियां**			
	भवनों के उपयोग का अधिकार		294.99	
			294.99	
	रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ तथा अंत में परिसम्पति के प्रत्येक वर्ग की सकल एवं निवल वहन राशियों में व्यवसाय समुच्चय के माध्यम से प्रस्तुत आवर्धन, निपटान, अधिग्रहण एवं अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यह्रास एवं अक्षमता हानियों तथा व्युत्क्रमण के समाधान के प्रकटीकरण अलग से किए गए हैं।		**संदर्भ इस नोट का अनुलग्नक 1**	
3	**पूंजी कार्य प्रगति पर**			
	(क) जीसैट एन2 उपग्रह		80,091.81	-
	(ख) रिसैट 1 बी		3,940.00	-
			84,031.81	**0.00**
	पूंजी कार्य प्रगति पर कालक्रम अनुसूची - अनुलग्नक 2 के अनुसार			
4	**अन्य अमूर्त परिसम्पतियां :**			
	क) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर		**19.93**	**29.65**
	रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ तथा अंत में परिसम्पति के प्रत्येक वर्ग की सकल एवं निवल वहन राशियों में व्यवसाय समुच्चय के माध्यम से प्रस्तुत आवर्धन, निपटान, अधिग्रहण एवं अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यह्रास एवं अक्षमता हानियों तथा व्युत्क्रमण के समाधान के प्रकटीकरण अलग से किए गए हैं।		**संदर्भ इस नोट का अनुलग्नक 1**	

5	**विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां**		**संदर्भ इस नोट का अनुलग्नक 1**	
	(क) साफ्टवेयर		**20.62**	**7.55**
	विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां - कालक्रम अनुसूची - अनुलग्नक 3 के अनुसार			
6	**अन्य वित्तीय परिसम्पतियां**			
	(i) जारी गारंटी के प्रति मार्जिन धन के रूप में धारित जमा		-	9,854.65
	(ii) 12 माह से अधिक शेष परिपक्वता वाले बैंक जमा		7,600.00	-
	(iii) माल / सेवाओं के लिए अग्रिम		37,656.69	2,118.60
			45,256.69	**11,973.25**
7	**अन्य गैर-चालू परिसम्पतियां**			
	(i) पूर्व चुकता व्यय		18.91	20.09
	(ii) प्रतिभूति जमा		5.42	-
			24.33	**20.09**
8	**व्यापार प्राप्य**			
	(i) व्यापार प्राप्य - अच्छे माने गए - प्रतिभूत		959.01	1,964.50
	घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता		-	-
			959.01	1,964.50
	(ii) व्यापार प्राप्य - अच्छे माने गए - अप्रतिभ		69,202.97	74,417.94
	घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता		-	-
			69,202.97	74,417.94
	(iii) व्यापार प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम में अधिक वृद्धि है		300.07	215.06
	घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता		300.07	215.06
			-	-
	(iv) व्यापार प्राप्य - क्रेडिट हानि		-	-
	घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता		-	-
			-	-
	व्यापार प्राप्य कालक्रम अनुसूची - अनुलग्नक 4 के अनुसार		**70,161.98**	**76,382.44**
9	**नकदी एवं नकदी समतुल्य**			
	(i) बैंकों में शेष			
	(क) एमओडी शेष सहित चालू खाते में		17,769.00	11,241.19
	(ख) 3 माह से कम अथवा समान परिपक्वता वाले बैंक शेष		94,628.95	34,013.06
	(ग) कर्मचारियों के पास अग्रदाय नकदी		0.03	0.09
			1,12,397.98	**45,254.34**
10	**अन्य बैंक शेष**			
	(i) 12 माह से कम अथवा समान शेष परिपक्वता वाले बैंक जमा		2,16,024.98	2,91,202.46
	(ii) सीएसआर गतिविधियों के लिए चिह्नित बैंक शेष		80.32	40.97
	(iii) मत्स्य विभाग के लिए चिन्हित बैंक शेष		5,702.77	-
	(iv) केन्द्रीय नोडल एजेंसी के लिए बैंक शेष		1,576.86	-
			2,23,384.93	**2,91,243.43**
	बैंकों चिन्हित शेष मुख्यत: ऐसी विशिष्ट गतिविधि के लिए अलग से रखी गई निधि है जिसकी आवश्यकता संबंधित प्राधिकरण / कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुसार है।			

11	**अन्य वित्तीय परिसम्पतियां - चालू**			
	(i) जारी गारंटी के प्रति मार्जिन धन के रूप में धारित जमा		26.66	9,921.52
	(ii) बैंकों में जमा से उपार्जित ब्याज		7,039.93	4,247.66
	(iii) उपार्जित आय		3,455.18	-
	(iv) माल अथवा सेवा के लिए अग्रिम		9,391.49	16,435.56
			19,913.26	**30,604.74**
12	**अन्य चालू परिसम्पतियां**			
	(i) अग्रिम आयकर तथा टीडीएस		16,059.58	17,127.88
	(ii) आयकर धनवापसी वित्तीय वर्ष 2020-21		3.62	826.02
	(iii) आयकर धनवापसी वित्तीय वर्ष 2021-22		-	2,812.97
	(iv) पूर्व प्रदत्त व्यय		13.22	42.69
	(v) अन्य परिसम्पतियां		4.22	0.23
			16,080.64	**20,809.79**
13	**इक्विटी शेयर पूंजी** :			
	(क) प्राधिकृत :			
	(i) शेयरों की संख्या	सं	7,50,00,00,000.00	7,50,00,00,000.00
	(ii) 10 रुपए मूल्य प्रत्येक के शेयरों की राशि		7,50,000.00	7,50,000.00
	(ख) जारी, अभिदत्ता एवं पूर्णत प्रदत्त (नकद तथा नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए)			
	(i) शेयरों की संख्या	सं	5,60,76,00,000.00	5,60,76,00,000.00
	(ii) 10 रुपए मूल्य प्रत्येक के शेयरों की राशि		5,60,760.00	5,60,760.00
	(ग) प्रति शेयर अंकित मूल्य		10.00	10.00
	(घ) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान			
	(i) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में बकाया शेयरों की संख्या	सं	5,60,76,00,000.00	91,00,00,000.00
	(ii) घटाएं: वर्ष के दौरान वापस क्रय किए गए शेयरों की संख्या		-	-
	(iii) जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी शेयरों की संख्या	सं	-	4,69,76,00,000.00
	(iv) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान	सं	5,60,76,00,000.00	5,60,76,00,000.00
(ङ)	लाभांश एवं पूंजी के पुनर्भुगतान के प्रतिबंधों सहित शेयरों के प्रत्येक वर्ग के साथ सम्बद्ध अधिकार, वरीयता एवं प्रतिबंध: कंपनी के असोसिएशन अनुच्छेद की शर्त पर सभी अधिकार (धारित प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए एक वोट के अधिकार सहित), सभी वरियताओं तथा प्रतिबंध (इक्विटी शेयरों के अंतरण के प्रतिबंध सहित) निदेशक मंडल को प्राप्त है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम सभा में की जाने वाली घोषणा की शर्त पर है। यदि, निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोई अन्यथा छूट अथवा कोई संशोधन नहीं किए जाते हैं, तो कर लाभ के पश्चात न्यूनतम 30% अथवा निवल सम्पति के 5%, जो भी उच्चतर हो, का वितरण, निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार को लाभांश के रूप में तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पूंजी के पुनर्भुगतान के रूप में किया जाना है। इसके अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक के लिए लाभांश के भुगतान हेतु प्रस्ताव भेजा है।			
(च)	कंपनी के धारित शेयरों की संख्या के उल्लेख सहित प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित कंपनी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर:			

	कंपनी के 10 रुपए मूल्य के समग्र 100% प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या 560,76,00,000 (पिछले वर्ष 560,76,00,000) है तथा इनका धारण भारत के राष्ट्रपति तथा उनके नामिति के माध्यम से केन्द्र सरकार (भारत सरकार) द्वारा किया गया है।
(छ)	विकल्प के अंतर्गत कोई शेयर आरक्षित नहीं हैं।
(ज)	तुलन पत्र की तिथि के अनुसार इक्विटी शेयरों में परिवर्तन योग्य कोई प्रतिभूतियां नहीं हैं।
(झ)	तुलन पत्र तैयार किए जाने की तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि से संबंधित सूचना अनुलग्नक 5 के अनुसार

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार प्रोमोटरों द्वारा धारित शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	प्रोमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	शेयरों का कुल %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
1	भारत के राष्ट्रपति तथा नामिति	5,60,76,00,000	100%	Nil

14	**अन्य इक्विटी**		
	इक्विटी में संलग्न परिवर्तन विवरण के अनुसार	1,59,087.17	99,175.63
	लाभ तथा हानि विवरण में अधिशेष / (घाटा)		
	रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष	99,175.63	53,177.47
	जोड़ें : वर्ष के दौरान लाभ का अंतरण	59,912.90	45,998.04
	जोड़ें : वर्ष में कुल अन्य व्यापक आय	(1.36)	0.12
	(इक्विटी में संलग्न परिवर्तन विवरण के अनुसार)	-	-
	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	**1,59,087.17**	**99,175.63**
15	**वित्तीय देयताएं - गैर चालू**		
	पट्टा देयताएं	185.48	-
		185.48	**-**
	कंपनी द्वारा किए गए पट्टा अनुबंध मुख्यत: व्यवसाय व्यवहार के सामान्य क्रम में पट्टे पर प्राप्त भवन से संबंधित हैं।		
16	**अन्य वित्तीय देयताएं - गैर चालू**		
	ग्राहकों से अग्रिम		
	प्रोभा	2,675.95	2,657.85
	समूह	40,288.48	40,288.48
	जीसैट 7बी	83,345.48	83,345.48
		1,26,309.91	**1,26,291.81**
17	**प्रावधान**		
	(क) कर्मचारी हितलाभ प्रावधान		
	छुट्टी नकदीकरण के लिए	26.67	10.86
	उपदान के लिए	15.08	4.47
		41.75	**15.33**
18	**आस्थगित कर देयताएं (निवल)**		
	आस्थगित कर देयता	**5,579.75**	**4,804.46**

19	**वित्तीय देयताएं - चालू**		
	पट्टा देयताएं	126.10	-
		126.10	**-**
20	**व्यापार देय**		
	(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय (एमएसएमई)	2.84	1.35
	(ii) एमएसएमई के अलावा अन्यों को देय ***	50,746.34	76,365.63
		50,749.18	**76,366.98**
	व्यापार देय कालक्रम अनुसूची - अनुलग्नक 6 के अनुसार		
	अतिरिक्त सूचना: कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की बकाया राशियों का विवरण निम्नानुसार है:		
	विवरण		
	(i) देय मूल राशि तथा अप्रदत्त बकाया	2.84	1.35
	(ii) उपर्युक्त (1) पर देय ब्याज तथा अप्रदत्त ब्याज	-	-
	(iii) एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत सभी विलंबित भुगतानों पर प्रदत्त ब्याज	-	-
	(iv) वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात किया गया भुगतान	-	-
	(v) देय ब्याज तथा उपर्युक्त (3) के अलावा विलंबित अवधि के लिए देय ब्याज	-	-
	(vi) ब्याज उपचय तथा अप्रदत्त बकाया	-	-
	(vii)आगे भुगतान के लिए देय ब्याज तथा आगामी वर्षों में भी देय ब्याज, जो कि लघु उद्यम को वास्तविक भुगतान किए जाने की तिथि तक, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौतीयोग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य से प्रदत्त किया जाना है	-	-
21	**अन्य वित्तीय देयताएं-चालू**		
	(i) व्ययों के प्रति लेनदारों को	307.93	1,006.07
	(ii) एसएससी के अलावा अन्यों से अग्रिम	13,023.35	14,590.00
	(iii) अग्रिम - मत्स्य विभाग	5,734.13	5,460.00
	(iv) अवधान जमा	1,426.52	1,419.79
	(v) आईसीआरडी [इंसेट कैपेसिटी रिजर्वेशन डिपाजिट]	715.88	1,250.90
	(vi) एसएससी के लिए अग्रिम	120.04	449.68
	(vii) आस्थगित जुर्माना ब्याज	207.61	889.06
	(viii) अन्य देयताएं	1,204.61	21.24
	(ix) अग्रिम राजस्व	3,296.60	4,036.14
		26,036.67	**29,122.88**
22	**अन्य चालू देयताएं**		
	(i) सांविधिक देयताएं	4.73	3,931.13
	(ii) अन्य देयताएं	1,576.86	0.00
	(iii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को देय राशि	803.25	412.76
		2,384.84	**4,343.89**
23	**अल्पकालिक प्रावधान**		
	(क) कर्मचारी हितलाभ के प्रावधान		
	छुट्टी नकदीकरण के लिए	3.61	1.73
	उपदान के लिए	0.02	0.01
	(ख) अन्य		
	आयकर के लिए प्रावधान	19,855.35	13,924.65
		19,858.98	**13,926.38**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण के अभिन्न भाग नोट

(राशि लाख रुपए में)

नोट संख्या	विवरण	31.03.2024 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत के अनुसार आंकड़े	31.03.2023 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत के अनुसार आंकड़े
24	**परिचालनों से राजस्व :**		
	(क) उत्पादों की बिक्री		
	(i) निर्यात	56.92	23.70
	(ii) घरेलू	6,210.52	113.80
	योग (क)	**6,267.44**	**137.50**
	(ख) सेवाओं की बिक्री :		
	(i) **निर्यात**		
	प्रक्षेपण सेवा	21,714.42	1,16,240.23
	मिशन सहायता सेवा	168.35	155.16
	प्रेक्षण सेवा के लिए वैकल्पिक सेवा	-	108.38
	(ii) **घरेलू**		
	संविदा अनुबंध एसएससी	26,910.89	26,398.74
	घटाएं: अंतरिक्ष विभाग का राजस्व अंशभाग	(24,219.80)	(23,758.86)
		2,691.09	2,639.87
	एनसिल उपग्रह	1,05,874.62	91,069.12
	बैक टू बैक एसएससी	73,095.32	73,377.56
	प्रक्षेपण सेवा आईआर	106.68	372.93
	गेटवे अवसंरचना तथा प्रचालन प्रभार	-	(0.48)
	घटाएं : अंतरिक्ष विभाग राजस्व अंशभाग	-	0.43
		-	(0.05)
	प्रौद्योगिकी अंतरण - घरेलू	269.00	125.72
	मिशन सहायता सेवा - घरेलू	1,426.02	-
	योग (ख)	**2,05,345.50**	**2,84,088.93**
	कुल (क) + (ख)	**2,11,612.95**	**2,84,226.43**
25	**अन्य आय :**		
	(क) ब्याज आय		
	(i) बैंक में जमा पर	27,436.06	9,551.06
	(ii) एएससी एवं बी2बी पर	81.45	91.55
	(iii) ब्याज अन्य	389.67	171.93
	(iv) ब्याज - आरओयू	0.13	-
	(ख) विविध आय	0.95	1.50
		27,908.26	**9,816.04**

(राशि लाख रुपए में)

26	**परिचालन से राजस्व की लागत**		
	(क) उत्पादों की लागत		
	(i) निर्यात	-	-
	(ii) घरेलू	5,767.77	96.74
	योग (क)	**5,767.77**	**96.74**
	(ख) सेवाओं की लागत		
	(i) **निर्यात**		
	प्रक्षेपण सेवाएं	15,872.73	98,139.76
	प्रक्षेपण सहायता के लिए वैकल्पिक सेवाएं	-	95.87
	मिशन सहायता सेवाएं	79.09	64.08
	(ii) **घरेलू**		
	बैक टू बैक एसएससी	69,152.01	67,337.08
	मिशन सहायता सेवाएं	1,332.73	-
	प्रौद्योगिकी अंतरण की लागत	259.74	104.64
	प्रेक्षण सेवाएं	(88.32)	298.35
	डब्ल्यूपीसी लाइसेंस प्रभार	0.57	1.61
	उपग्रह परिचालन की लागत	4,431.86	4,798.00
	कुल (ख)	**91,040.41**	**1,70,839.39**
	योग (क) + (ख)	**96,808.18**	**1,70,936.13**
27	**कर्मचारी हितलाभ व्यय**		
	कर्मचारी हितलाभ व्यय - इसरो	145.03	153.63
	कर्मचारी हितलाभ व्यय - प्रतिनियुक्ति	161.23	-
	कर्मचारी हितलाभ व्यय - एनसिल		
	वेतन एवं भत्ते	260.79	102.99
	चिकित्सा	2.58	3.74
	कर्मचारी कल्याण एवं सुविधाएं	2.12	1.56
	प्रदत्त छुट्टी नकदीकरण	1.17	0.12
	छुट्टी नकदीकरण प्रावधान	13.99	5.85
	उपदान प्रावधान	6.66	2.27
	एनपीएस में अंशदान	24.08	9.84
		617.64	**280.00**
28	**वित्त लागत**		
	स्रोत पर कर कटौति पर आयकर ब्याज	2.18	-
	एनपीएस भुगतान में देरी पर ब्याज	0.00	0.61
	नियोक्ता द्वारा प्रदत्त टीडीएस	1.56	-
	पट्टे पर वित्त लागत	24.96	-
	जीएसटी पर ब्याज	151.26	21.64
		179.96	**22.24**
29	**मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय**		
	सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	59,852.54	59,577.89
	अमूर्त परिसम्पतियों का परिशोधन	10.33	6.24
		59,862.87	**59,584.13**

(राशि लाख रुपए में)

30	**अन्य व्यय**		
	प्रशासनिक व्यय		
	बैंक गारंटी तथा एलसी प्रभार	28.58	110.16
	बैंक प्रभार	12.75	12.02
	संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	85.01	10.80
	संचार व्यय	27.81	19.85
	परामर्शी एवं व्यावसायिक शुल्क	139.44	172.47
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियां व्यय (विवरण अनुलग्नक के अनुसार)	877.81	494.20
	लेखापरीक्षकों को भुगतान		
	सांविधिक लेखापरीक्षा के प्रति	2.50	1.65
	आयकर लेखापरीक्षा के प्रति	0.50	0.30
	प्रमाणपत्र प्रभार के प्रति	-	0.05
	स्थापना व्यय	50.22	36.97
	बीमा प्रीमियम	3.18	5.45
	स्थिर परिसम्पतियों की बिक्री से हानि	0.37	(0.03)
	विदेशी मुद्रा संव्यवहार एवं विनिमय से निवल हानि	257.09	250.86
	कार्यालय व्यय	50.88	19.16
	कार्यालय अनुरक्षण व्यय	10.52	16.98
	सुरक्षा सेवा व्यय	21.13	15.62
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	12.48	9.29
	बोली प्रबंधन व्यय	-	2.50
	यान अनुरक्षण प्रभार	1.49	1.40
	दरें एवं कर	4.65	77.85
	किराया एवं भवन अनुरक्षण	(120.95)	49.20
	बिजली	14.79	-
	भर्ती प्रभार	3.22	9.90
	सेमिनार, बैठक एवं कार्यक्रम व्यय	79.64	139.62
	प्रशिक्षण शुल्क	0.94	0.46
	यात्रा व्यय		
	घरेलू	69.89	71.82
	विदेश	38.09	19.10
	वेबसाइट अनुरक्षण	7.41	9.33
	विविध व्यय	0.00	0.18
	बिक्री व्यय		
	विज्ञापन एवं प्रचार	8.71	8.07
	व्यवसाय प्रोत्साहन	4.71	19.92
		1,692.87	**1,585.14**
31	**आय कर - चालू कर**		
	चालू वर्ष	19,434.52	14,157.56
	पूर्व वर्ष	236.99	(236.99)
		19,671.50	**13,920.57**
32	**आस्थगित कर**		
	वर्ष के दौरान उत्पन्न आस्थगित कर (बचत)	775.30	1,716.21
		775.30	**1,716.21**

वित्तीय विवरणों के नोट

31. कर व्यय

(राशि रुपए लाख में)

क) लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू कर व्यय	19,671.50	13,920.57
आस्थगित कर व्यय (आय)	775.30	1,716.21
निवल कर व्यय	**20,446.80**	**15,636.78**

ख) अन्य व्यापक आय विवरण में स्वीकृत राशि

(राशि रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
रोजगार पश्चात परिभाषित हितलाभ योजनाओं पर (हानियों)/लाभ का पुनर्मापन	(1.36)	0.12
उपर्युक्त मद पर कर प्रभाव	-	-
व्यय (आयकर का निवल)	(1.36)	0.12

ग) आयकर प्रावधान का पुन:समाधान

(राशि रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
	राशि	दर	राशि	दर
जारी परिचान से पूर्व लाभ/(हानि)	80,359.70	25.168%	61,634.82	25.168%
संभावित आयकर व्यय		20,224.93		15,512.25
संभावित आयकर व्यय का रिपोर्टिड आयकर व्यय के लिए पुन:समाधान करके कर प्रभाव का समायोजन				
गैर कटौतीयोग्य व्यय				
सीएसआर व्यय	877.81	220.93	494.20	124.38
नियोक्ता द्वारा प्रदत्त टीडीएस पर ब्याज	3.75	0.94	0.61	0.15
समायोजन का प्रभाव (निवल)	881.56	221.87	494.81	124.53
वर्ष का कुल आयकर व्यय		**20,446.80**		**15,636.78**
प्रभावी कर दर		**25.44%**		**25.37%**

घ) स्वीकृत आस्थगित कर परिसम्पतियां एवं देयताएं

(राशि रुपए लाख में)

विवरण	आस्थगित कर (परिसम्पतियां)	आस्थगित कर देयताएं	निवल आस्थगित कर (परिसम्पतियां) देयताएं
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2024	31 मार्च 2024
सम्पति संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त परिसम्पतियों सहित)	-	806.40	806.40
संदेहास्पद नामे के लिए प्रावधान	(21.39)	-	(21.39)
प्रावधान - कर्मचारी हितलाभ	(5.20)	-	(5.20)
आरओयू एवं पट्टा देयताओं के समय भिन्नता	(4.51)	-	(4.51)
निवल आस्थगित कर (परिसम्पतियां) देयताएं	**(31.10)**	**806.40**	**775.30**

(राशि रुपए लाख में)

विवरण	आस्थगित कर (परिसम्पतियां)	आस्थगित कर देयताएं	निवल आस्थगित कर (परिसम्पतियां) देयताएं
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2023	31 मार्च 2023
सम्पति संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त परिसम्पतियों सहित)	-	1,720.97	1,720.97
संदेहास्पद नामे के लिए प्रावधान	(2.72)	-	(2.72)
प्रावधान - कर्मचारी हितलाभ	(2.04)	-	(2.04)
निवल आस्थगित कर (परिसम्पतियां) देयताएं	**(4.76)**	**1,720.97**	**1,716.21**

ङ) अस्थाई भिन्नताओं में मूवमेंट

(राशि रुपए लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2023 को शेष	2023-24 में लाभ एवं हानि में स्वीकृत	2023-24 में अन्य व्यापक आय में स्वीकृत	31 मार्च, 2024 को शेष
सम्पति संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त परिसम्पतियों सहित)	4,862.91	806.40	-	5,669.31
प्रावधान - कर्मचारी हितलाभ	(4.32)	(5.20)	-	(9.52)
संदेहास्पद नामे के लिए प्रावधान	(54.13)	(21.39)	-	(75.52)
आरओयू एवं पट्टा देयताओं के समय भिन्नता	-	(4.51)	-	(4.51)
योग	**4,804.46**	**775.30**	**-**	**5,579.75**

(राशि रुपए लाख में)

विवरण	1 अप्रैल, 2022 को शेष	2022-23 में लाभ एवं हानि में स्वीकृत	2022-23 में अन्य व्यापक आय में स्वीकृत	31 मार्च, 2023 को शेष
सम्पति संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त परिसम्पतियों सहित)	3,141.94	1,720.97	-	4,862.91
प्रावधान - कर्मचारी हितलाभ	(2.28)	(2.04)	-	(4.32)
संदेहास्पद नामे के लिए प्रावधान	(51.41)	(2.72)	-	(54.13)
योग	**3,088.25**	**1,716.21**	**-**	**4,804.46**

प्रत्यक्ष कर आकस्मिकताएं

कम्पनी का आय एवं व्यय के कर उपचार के संबंध में आयकर प्राधिकरण के साथ कोई वर्तमान विवाद नहीं है।

18 & 32. आस्थगित कर (निवल)

(राशि रुपए लाख में)

विवरण	31.3.2024 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	31.3.2023 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े
आस्थगित कर परिसम्पतियों की मदों का कर प्रभाव		
सम्पति संयंत्र एवं उपकरण के बही शेष तथा कर शेष में भिन्नता से	-	-
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अस्थाई अस्वीकृति	9.71	2.04
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	21.39	2.72
आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार अग्रेषित अनावशोषित हानियां	-	-
	31.10	**4.76**
आस्थगित कर देयता की मदों का कर प्रभाव		
सम्पति संयंत्र एवं उपकरण के बही शेष तथा कर शेष में भिन्नता से	806.40	1,720.97
	806.40	**1,720.97**
लाभ एवं हानि खाते में स्वीकृति के लिए राशि	**(775.30)**	**(1,716.21)**
आस्थगित कर परिसम्पति (देयता) का प्रारंभ शेष	(4,804.46)	(3,088.25)
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार आस्थगित कर परिसम्पति (देयता)	**(5,579.75)**	**(4,804.46)**

33. **प्रति शेयर आय (ईपीएस)**

मूल ईपीएस राशियों का आकलन वर्ष के दौरान के इक्विटी धारकों से संबंधित लाभ को इक्विटी शेयरों की बकाया भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

डाय्ल्युटिड ईपीएस राशियों का आकलन कम्पनी के इक्विटी धारकों से संबंधित लाभ तथा प्रत्येक डाय्ल्युटिव संभावी इक्विट शेयरों के प्रभाव के समायोजन के पश्चात इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को विभाजित करके किया जाता है।

i. **मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों से संबंधित लाभ** (राशि रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
कर पश्चात लाभ	59,911.54	45,998.16
मूल आय के लिए कम्पनी के इक्विटी धारकों से संबंधित लाभ	**59,911.54**	**45,998.16**
अन्य	-	-
डाय्ल्युशन प्रभाव के लिए समायोजित कम्पनी इक्विटी धारकों से संबंधित लाभ	**59,911.54**	**45,998.16**
प्रति शेयर मूल / समायोजित आय (रुपए)	**1.07**	**1.79**
प्रति शेयर डाय्ल्युटिड आय (रुपए)	**1.07**	**1.79**

ii. इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या

31-03-2024

विवरण	तिथि	शेयरों की संख्या	शेयरों का शेष	भारित आबंटन (दिनों में)	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या
प्रारंभ शेष	01-04-2023	5,60,76,00,000	5,60,76,00,000	366	5,60,76,00,000
ईपीएस के लिए 31 मार्च 2024 को शेयरों की भारित औसत संख्या					**5,60,76,00,000**

31-03-2023

विवरण	तिथि	शेयरों की संख्या	शेयरों का शेष	भारित आबंटन (दिनों में)	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या
प्रारंभ शेष	01-04-2022	91,00,00,000	91,00,00,000	365	91,00,00,000
निर्गम	12-11-2022	4,69,76,00,000	5,60,76,00,000	129	1,66,02,47,671
ईपीएस के लिए 31 मार्च 2023 को शेयरों की भारित औसत संख्या					**2,57,02,47,671**

34. वित्तीय लिखत - उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन

क. लेखांकन वर्गीकर तथा उचित मूल्य

(राशि रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024				31 मार्च 2023								
	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधन लागत	योग	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधन लागत	योग		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उचित मूल्य पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
उचित मूल्य पर मापन न की गई वित्तीय परिसम्पतियां													
गैर-चालू वित्तीय परिसम्पतियां													
अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	-	-	45,256.69	45,256.69	-	-	11,973.25	11,973.25		-	-	-	-
पूर्व चुकता व्यय			24.33	24.33			20.09	20.09		-	-	-	-
	-	-	**45,281.02**	**45,281.02**	-	-	**11,993.34**	**11,993.34**		-	-	-	-
उचित मूल्य पर मापन न की गई वित्तीय परिसम्पतियां													
चालू वित्तीय परिसम्पतियां													
व्यापार प्राप्य	-	-	70,161.98	70,161.98	-	-	76,382.44	76,382.44		-	-	-	-
नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	-	1,12,397.98	1,12,397.98	-	-	45,254.34	45,254.34		-	-	-	-
अन्य बैंक शेष	-	-	2,23,384.93	2,23,384.93	-	-	2,91,243.43	2,91,243.43		-	-	-	-
जारी गारंटी के प्रति धारित मार्जिन धन	-	-	26.66	26.66	-	-	9,921.52	9,921.52		-	-	-	-
बैंकों में जमा से उपार्जित ब्याज	-	-	7,039.93	7,039.93	-	-	4,247.66	4,247.66		-	-	-	-
उपार्जित आय	-	-	3,455.18	3,455.18	-	-	-	-		-	-	-	-
वस्तु एवं सेवाओं के लिए अग्रिम	-	-	9,391.49	9,391.49	-	-	16,435.56	16,435.56		-	-	-	-
	-	-	**4,25,858.15**	**4,25,858.15**	-	-	**4,43,484.94**	**4,43,484.94**		-	-	-	-
उचित मूल्य पर मापन की गई वित्तीय देयताएं	-	-	-	-	-	-	-	-					
उचित मूल्य पर मापन न की गई वित्तीय देयताएं													
गैर-चालू वित्तीय देयताएं													
पट्टा देयताएं			185.48	185.48						-	-	-	-
उचित मूल्य पर मापन न की गई वित्तीय देयताएं													
गैर चालू वित्तीय देयताएं													
	-	-	1,26,309.91	1,26,309.91	-	-	1,26,291.81	1,26,291.81					
	-	-	**1,26,495.39**	**1,26,495.39**	-	-	**1,26,291.81**	**1,26,291.81**		-	-	-	-

उचित मूल्य पर मापन न की गई वित्तीय देयताएं													
चालू वित्तीय देयताएं													
पट्टा देयताएं			126.10	126.10						-	-	-	-
उचित मूल्य पर मापन न की गई वित्तीय देयताएं										-	-	-	-
चालू वित्तीय देयताएं										-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	-	-	50,749.18	50,749.18	-	-	76,366.98	76,366.98		-	-	-	-
क्रेडिटरों के लिए व्यय	-	-	307.93	307.93	-	-	1,006.07	1,006.07		-	-	-	-
एसएससी के अलावा अन्य के लिए अग्रिम	-	-	13,023.35	13,023.35	-	-	14,590.00	14,590.00		-	-	-	-
अवधान जमा	-	-	1,426.52	1,426.52	-	-	1,419.79	1,419.79		-	-	-	-
आईसीआरडी [आईएनएसएटी क्षमता आरक्षण जमा]	-	-	715.88	715.88	-	-	1,250.90	1,250.90		-	-	-	-
एसएससी के लिए अग्रिम	-	-	120.04	120.04	-	-	449.68	449.68					
आस्थगित आय के प्रति देयता	-	-	207.61	207.61	-	-	889.06	889.06					
अन्य देयताएं	-	-	1,204.61	1,204.61	-	-	21.24	21.24					
राजस्व अग्रिम			3,296.60	3,296.60			4,036.14	4,036.14					
	-	-	**71,177.82**	**71,177.82**	-	-	**1,00,029.87**	**1,00,029.87**		-	-	-	-

उचित मूल्य तारतम्यता

स्तर 1 - समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों से उद्धृत मूल्य (गैर-समायोजित)

स्तर 2 - स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए प्रत्यक्ष (यथा मूल्यों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष (यथा मूल्यों से प्राप्त) रूप में स्पष्ट हैं।

स्तर 3 - परिसम्पतियों अथवा देयताओं की इनपुट जो प्रत्यक्ष बाजार डेटा (अस्पष्ट इनपुट) हैं।

स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 के अनुसार वर्ष के दौरान कोई अंतरण नहीं किए गए हैं।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी के सम्मुख वित्तीय साधनों से निम्नलिखित जोखिम व्याप्त हैं :-

- क्रेडिट जोखिम;
- नकदी जोखिम; तथा
- बाजार जोखिम

i. **जोखिम प्रबंधन रूपरेखा**

कंपनी की गतिविधियों के लिए विविध प्रकार के वित्तीय जोखिम, बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम एवं नकदी जोखिम हैं। कंपनी का प्रमुख ध्यान वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के अनुमान लगाना तथा अपने वित्तीय निष्पादन पर इनसे न्यूनतम प्रभाव होने की व्यवस्था करना है। कंपनी का प्रमुख बाजार जोखिम विदेशी मुद्रा जोखिम है। कंपनी के सम्मुख क्रेडिट जोखिम मुख्यत: वैयक्तिक ग्राहकों की विशिष्टता से प्रभावित होता है।

35 वित्तीय साधन - उचित मूल्यन एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

ii. क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम से वह जोखिम अभिप्रेत है जो प्रतिपक्षकार द्वारा अपने संविदागत दायित्वों को पूरा न करने के कारण होता है जिससे कंपनी को वित्तीय घाटा होता है। क्रेडिट जोखिम की उत्पत्ति ग्राहकों, बैंकों के साथ नकदी एवं नकदी समतुल्य, सुरक्षा एवं ऋण के संव्यवहारों से होती है।

कंपनी के क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए कंपनी ने अपने ग्राहकों तथा अन्यों से प्राप्यों के संबंध में क्रेडिट नीति मापदंड स्थापित किए हैं। व्यापार प्राप्यों की ऐसी प्रमुख राशियां, जो एक से अधिक वर्षों से प्राप्त नहीं हुई हैं, सरकार / सरकारी विभागों, सरकारी संगठनों से प्राप्य हैं जिनके संबंध में कंपनी के सम्मुख ऐसे प्राप्यों से संबंधित किसी प्रकार का क्रेडिट जोखिम नहीं है। गैर सरकारी व्यापार प्राप्यों अधिकांश रूप से अवधान जमा तथा बैंक गारंटी के माध्मय से प्रतिभूत हैं जिससे क्रेडिट जोखिम कम हुआ है।

कुछ मामलों में ग्राहकों को बाजार स्थितियों उनके पूर्व भुगतान इतिहास के आधार पर क्रेडिट दिया जाता है। संविदागत उपबंधों, आदि एवं अन्य सूचकों के गुणक खंडों के पश्चात वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता हानि के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।

अन्य वित्तीय परिसम्पतियों के संबंध में क्रेडिट जोखिम न्यूनतम है क्योंकि ये मुख्यत: सरकारी विभाग / पार्टियों द्वारा देय हैं।

36. वित्तीय साधन - उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

iii. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम एक ऐसा जोखिम है जो कंपनी के सम्मुख तब व्याप्त हो सकता है जब कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं से संबंधित दायित्वों की पूर्ति नकदी तथा अन्य वित्तीय परिसम्पतियों के उपयोग से करने में कठिनाई होती है अथवा यह एक ऐसा जोखिम जिसमें कंपनी के सम्मुख अपनी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधनों की उत्पत्ति में कठिनाई होती है। कंपनी की अभिमुखता अपनी नकदी क्षमता का यथासंभव बनाए रखने को सुनिश्चित करते रहने की है जिस कंपनी के पास, सामान्य तथा बाध्यकारी परिस्थितियों, दोनों में, जब कभी देय हो, अस्वीकार्य हानियों अथवा कंपनी की साख के वहन के बिना, अपनी देयताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध हो।

चलनिधि के लिए कंपनी के मूल स्रोत नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा प्रचालनों से उत्पन्न नकदी प्रवाह हैं। कंपनी के किसी प्रकार के बैंक ऋण नहीं हैं। कंपनी का ऐसा मानना है कि इसकी कार्यशील पूंजी कंपनी की चालू आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। तदनुसार, कंपनी के सम्मुख किसी प्रकार का नकदी जोखिम व्याप्त होने की संभावना नहीं है।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा अन्य बैंक शेष 3,35,782.90 लाख रुपए (31मार्च, 2023 को 3,36,497.77 लाख रुपए) है। यह बैंकों में चालू खाता शेष, कंपनी द्वारा अग्रिम एवं निष्पादन के प्रति ग्रहणाधिकार के रूप में प्राप्त बैंक गारंटी के प्रति रखे गए जमा के मामलों के अलावा 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाले सावधी जमा हैं। अधिकांश सावधी जमा राष्ट्रीयकृत बैंक में रखे गए हैं तथा शेष जमा ऐसे निजी अनुसूचित बैंकों में जिनकी क्रिसिल (सीआरआईएसआईएल) रेटिंग के आधार पर ए+1 रेटिंग आंकी गई है।

नकदी जोखिम के प्रति अरक्षितता

रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय देयताओं की शेष संविदात्मक परिपक्वता निम्नानुसार है। ये राशियां सकल एवं गैर छूट प्राप्त हैं तथा इनमें अनुमानित ब्याज भुगतान को शामिल किया है तथा निवल किए जाने के समझौते के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।

(राशि रुपए लाख में)

संविदागत नकदी प्रवाह

31 मार्च, 2024

	वहन राशि	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-4 वर्ष	4-7 वर्ष
गैर-डेरिवेटिव वित्तीय देयताएं					
गैर - चालू					
पट्टा देयताएं	185.48	-	185.48	-	-
अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएं	1,26,309.91		1,26,309.91		
चालू					
पट्टा देयताएं	126.10	126.10	-	-	-
व्यापार प्राप्य	50,749.18	50,749.18	-	-	-
व्ययों के लेनदार	307.93	307.93			
एसएससी के अलावा अन्यों से अग्रिम	13,023.35	13,023.35	-	-	-
अवधान जमा	1,426.52	1,426.52	-	-	-
आईसीआरडी [इनसेट कैपेसिटी रिजर्वेशन डिपोजिट]	715.88	715.88	-	-	-
एसएससी अग्रिम	120.04	120.04	-	-	-
आस्थगित आय देयता	207.61	207.61			
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	1,204.61	1,204.61	-	-	-
राजस्व अग्रिम	3,296.60	3,296.60	-	-	-
	1,97,673.21	**71,177.82**	**1,26,495.39**	**-**	**-**

संविदागत नकदी प्रवाह

31 मार्च 2023

(राशि रुपए लाख में)

	वहन राशि	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-4 वर्ष	4-7 वर्ष
गैर-डेरिवेटिव वित्तीय देयताएं					
गैर - चालू					
अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएं	1,26,291.81	-	1,26,291.81	-	-
चालू					
व्यापार प्राप्य	76,366.98	76,366.98	-	-	-
व्ययों के लेनदार	1,006.07	1,006.07	-	-	-
एसएससी के अलावा अन्यों से अग्रिम	14,590.00	14,590.00	-	-	-
अवधान जमा	1,419.79	1,419.79	-	-	-
आईसीआरडी [इनसेट कैपेसिटी रिजर्वेशन डिपोजिट]	1,250.90	1,250.90	-	-	-
एसएससी अग्रिम	449.68	449.68	-	-	-
आस्थगित आय देयता	889.06	889.06	-	-	-
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	21.24	21.24	-	-	-
राजस्व अग्रिम	4,036.14	4,036.14	-	-	-
	2,26,321.68	**1,00,029.87**	**1,26,291.81**	**-**	**-**

37. वित्तीय लिखत - उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिससे विदेशी मुद्रा विनिमय दर तथा ब्याज दर जैसे बाजार मूल्य परिवर्तित होते हैं तथा जिनसे कंपनी की आय अथवा वित्तीय साधनों के धारण का मूल्य प्रभावित होता है। कंपनी के सम्मुख बाजार जोखिम की व्यापकता मुख्यत: विदेशी मुद्रा दरों, ब्याज दरों एवं अंतर्निहित इक्विटी मूल्यों के प्रति है।

मुद्रा जोखिम

कंपनी के प्रति उत्पादों तथा सेवाओं का आयात एवं निर्यात विदेशी मुद्रा में किए जाने से संबंधित मुद्रा जोखिम है। कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपए है।

कंपनी के सम्मुख व्याप्त मुद्रा जोखिम के मात्रात्मक डेटा का सार संक्षेप निम्नानुसार है:

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार

मुद्रा	विदेशी मुद्रा में राशि				भारतीय रुपए में राशि लाख में			
	वित्तीय परिसम्पतियां	गैर चालू देयताएं	चालू देयताएं	निवल प्राप्य / (देय)	वित्तीय परिसम्पतियां	गैर चालू देयताएं	चालू देयताएं	निवल प्राप्य / (देय)
यूरो (ईयूआर)	61.72	29.66	0.23	31.83	5,568.42	2,675.95	20.53	2,871.94
यूएस डालर (यूएसडी)	33.71	-	116.08	(82.37)	2,810.44	-	9,677.77	(6,867.33)

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार

मुद्रा	विदेशी मुद्रा में राशि				भारतीय रुपए में राशि लाख में			
	वित्तीय परिसम्पतियां	गैर चालू देयताएं	चालू देयताएं	निवल प्राप्य / (देय)	वित्तीय परिसम्पतियां	गैर चालू देयताएं	चालू देयताएं	निवल प्राप्य / (देय)
यूरो (ईयूआर)	15.18	29.66	0.15	(14.63)	1,359.80	2,657.85	13.10	(1,311.15)
यूएस डालर (यूएसडी)	230.73	-	150.29	80.44	18,969.71	-	12,356.20	6,613.51

संवेदी विश्लेषण

भारतीय रुपए, यूएस डालर, यूरो तथा अन्य मुद्राओं के संबंध में वर्ष के अंत में औचित्यपरक संभावित सुदृढ़ता (दुर्बलता) विदेशी मुद्रा वर्ग के वित्तीय साधनों के मापन से प्रभावित हो सकती है तथा प्रभावित इक्विटी एवं लाभ अथवा हानि की राशियों को नीचे दर्शाया गया है। इस विश्लेषण में ऐसा माना गया है कि ब्याज दरों के अन्य सभी परिवर्ती कारक स्थिर हैं तथा उनके संभावित बिक्री एवं क्रय के प्रभाव को विचार में नहीं लिया गया है।

	लाभ अथवा हानि		इक्विटी, कर निवल	
	सुदृढ़ता	दुर्बलता	सुदृढ़ता	दुर्बलता
31 मार्च 2024				
यूएसडी (1% मूवमेंट)	(68.67)	68.67	(51.39)	51.39
यूरो (1% मूवमेंट)	28.72	(28.72)	21.49	(21.49)
31 मार्च 2023				
यूएसडी (1% मूवमेंट)	66.14	(66.14)	49.49	(49.49)
यूरो (1% मूवमेंट)	(13.11)	13.11	(9.81)	9.81

	वर्ष के अंत की दर	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
यूएस डालर	83.3739	82.2169
यूरो	90.2178	89.6076

38. पूंजी प्रबंधन

कंपनी द्वारा नीतिगत रूप से अपने निवेशकों, ऋणदाताओं तथा बाजार विश्वास को बनाए रखने तथा भावी व्यवसाय विकास के लिए सुदृढ़ पूंजी आधार का अनुरक्षण किया जाता है। प्रबंधन द्वारा पूंजी से प्राप्त प्रतिफल एवं सामान्य शेयरधारकों के लाभांश के स्तर की निगरानी की जाती है।

कंपनी द्वारा 'समायोजन निवल ऋण' के उपयोग से 'इक्विटी समायोजन' के लिए पूंजी की निगरानी की जाती है। इस उद्देश्य से समायोजित निवल ऋण को कुल देयताओं को घटाकर नकद एवं नकद समतुल्यों के रूप में परिभाषित किया गया है। समायोजित इक्विटी में हेज रिजर्व में संचित राशियों के अलावा इक्विटी के सभी घटक शामिल होते हैं...

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी के इक्विटी अनुपात में समायोजित निवल ऋण निम्नानुसार हैं:

(राशि रुपए लाख में)

	31 मार्च, 2024 की स्थिति	**31 मार्च, 2023 की स्थिति**
कुल देयताएं	2,31,272.65	2,54,871.72
घटाएं : नकद एवं नकदी समतुल्य तथा अन्य बैंक शेष :	3,35,782.91	3,36,497.76
समायोजित निवल ऋण	**(1,04,510.26)**	**(81,626.04)**
कुल इक्विटी	7,19,847.17	6,59,935.63
घटाएं : हेज रिजर्व	-	-
समायोजित इक्विटी	**7,19,847.17**	**6,59,935.63**
इक्विटी अनुपात में समायोजित निवल ऋण	(0.15)	(0.12)

39 कर्मचारी हितलाभ से संबंधित परिसम्पतियां एवं देयताएं - लेखांकन नीति के लिए नोट 3 देखें

i. उपदान

(राशि रुपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च, 2024**	**31 मार्च, 2023**
चालू सेवा लागत	6.32	2.09
लाभ एवं हानि में स्वीकृत निवल आवधिक लाभ लागत	6.66	2.27
अन्य व्यापक (आय)/हानि	1.36	(0.12)
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (डीबीओ)	12.50	4.48
योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य (एफवीए)	-	-
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल परिसम्पतियां / देयताएं	(12.50)	(4.48)
इंड एएस 19 के पैरा 83 के अनुसार छूट दर	7.22%	7.52%
(अन्य व्यापक आय में स्वीकृत (निवल परिसम्पतियां)/देयताएं		

क. अन्य व्यापक आय में स्वीकृति पुनर्मापन प्रभाव

विवरण	**31 मार्च, 2024**	**31 मार्च, 2023**
अन्य व्यापक आय में शामिल कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि (इंड एएस 19 पैरा 57(घ)	1.36	(0.12)
डीबीओ में वित्तीय अनुमानों में बदलाव से बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.59	0.04
डीबीओ के अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.77	(0.16)
ख. परिभाषित हितलाभ लागत पैरा 120ग		
लाभ एवं हानि में स्वीकृत लागत (इंड एएस 19 पैरा 57 सी)	6.66	2.27
अन्य व्यापक आय में स्वीकृति पुनर्मापन प्रभाव; पैरा 120 ग	1.36	(0.12)
कुल परिभाषित हितलाभ लागत (पैरा 120 क,ख तथा ग)	8.02	2.15
परिसम्पति के रूप में स्वीकृत न की गई राशि (सीमा पैरा 64(ख) में)		-
निवल व्यय	**8.02**	**2.15**
पैरा 144 (इंड एएस) -19 के अनुसार छूट दर	**7.22%**	**7.52%**

तुलन पत्र में स्वीकृत निवल परिसम्पतियां / (देयताएं)	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
गैर निधि पोषण दायित्व का वर्तमान मूल्य	12.50	4.48
निधि पोषण स्थिति [(न्यूनता)] {(पैरा 64(क)}	(12.50)	(4.48)
नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य		
उपयोग दायित्व का वर्तमान मूल्य	**(12.50)**	**(4.48)**
निधि पोषण अनुपात	-	-

पूर्वानुमान: इंड एएस19 के पैरा 83 के अनुसार छूट दर : 7.22% (पिछले वर्ष 7.52%)

क. चालू एवं गैर-चालू पर द्विभाजन	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
पीवीओ (गैर निधि पोषण योजना)	-	-
चालू	0.02	0.01
गैर-चालू	12.48	4.47

अवधि को समाप्त डीबीओ में परिवर्तन (पैरा 140(क)(ii) तथा 141)		
चालू सेवा लागत	6.32	2.09
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (बंद)	12.50	4.48

डीबीओ की अवधि की भारित औसत	**16.21**	**16.09**

देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल की सूचना नीचे प्रस्तुत है

संभावित हितलाभ दायित्व	12.50	4.48
संचयी हितलाभ दायित्व	5.27	1.78

पांच वर्षों के दौरान भुगतान	31 मार्च, 2024	
	छूट प्राप्त मूल्य / वर्तमान मूल्य	**गैर छूट प्राप्त मूल्य / वास्तविक मूल्य**
वर्ष (I)	0.020	0.021
वर्ष (II)	0.020	0.023
वर्ष (III)	0.020	0.024
वर्ष (IV)	0.021	0.027
वर्ष (V)	0.021	0.029
अगले 5 वर्ष में भुगतान (6-10 वर्ष)	0.499	0.909
दस से अधिक वर्षों में भुगतान	11.897	42.927
31/03/2024 की स्थिति के अनुसार निहित हितलाभ दायित्व		

निवल तुलन पत्र देयता का पुन: समाधान	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
पैरा 64(ख) के अलावा अवधि में निवल अवधि हितलाभ (लागत)/ आय	(6.66)	(2.27)
अवधि के अंत में (उपार्जित)/ पूर्व प्रदत्त हितलाभ लागत (समायोजन पूर्व)	(11.26)	(4.60)
वर्ष के अंत में स्वीकृत संचयी अन्य व्यापक आय	(1.24)	0.12
अवधि के अंत में स्वीकृत निवल तुलन पत्र परिसम्पतियां / देयताएं	(12.50)	(4.48)

नियोक्ता व्यय के घटक		
अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	12.50	4.48
मूल्यांकन अवधि देयताओं में निवल वृद्धि	8.02	2.15
लाभ/हानि विवरण में स्वीकृत व्यय	8.02	2.15
चालू वर्ष में लाभ एवं हानि	6.66	2.27
चालू वर्ष में अन्य व्यापक आय	1.36	(0.12)
धारा 64बी का प्रभाव	-	-
कुल	8.02	2.15
डीबीओ पर ब्याज व्यय		
कुल निवल ब्याज		
मूल्यांकन के अनुसार दबाव परीक्षण का प्रकटीकरण		
(देयता) तुलन पत्र में स्वीकृत	**(12.50)**	**(4.48)**

परिदृश्य	डीबीओ में % वृद्धि	देयता	डीबीओ में बढ़त अथवा घटत
छूट दर + 100 आधार प्वांइट	-13%	10.85	-1.65
छूट दर - 100 आधार प्वांइट	16%	14.51	2.01
वेतन वृद्धि + 100 आधार प्वांइट	15%	14.43	1.94
वेतन वृद्धि 100 आधार प्वांइट	-13%	10.88	-1.62
क्षयण दर + 100 आधार प्वांइट	-3%	12.12	-0.38
क्षयण दर - 100 आधार प्वांइट	3%	12.89	0.39
मृत्यु दर 10% अधिक	-1%	12.50	-0.00
कोई सीमा न होने का प्रभाव	0%	12.50	-

आधार दरों में परिवर्तन के अलावा उपर्युक्त विश्लेषणों के निर्माण के लिए पूर्व अवधि में प्रयुक्त विधियों एवं पूर्वानुमानों में कोई बदलाव नहीं है।

प्रमुख अनुमान	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
छूट दर (इंड एएस 19 धारा 83)	7.22%	7.52%
परिसम्पतियों पर संभावित लाभ	-	-
वेतन वृद्धि	7.00%	7.00%
क्षयण दर	5.00%	5.00%

आयु	मृत्यु दर
20	0.000924
30	0.000977
35	0.001202

जनसांख्यिकी अनुमान

मृत्यु	इंडियन एश्योर्ड लाइव्य मोर्टेलिटी (2012-14) अल्टीमेट
दिव्यांग	मृत्यु दरों का 5%
प्रत्याहरण	5.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60.00

i. छुट्टी नकदीकरण

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
चालू सेवा लागत	16.89	8.39
लाभ एवं हानि में स्वीकृत निवल आवधिक हितलाभ लागत	13.99	5.85
अन्य व्यापक आय/हानि	-	
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (डीबीओ)	26.57	12.58
योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य (एफवीए)	-	-
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल परिसम्पतियां / देयताएं	(26.57)	(12.58)
इंड एएस 19 के पैरा 83 के अनुसार छूट दर		
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत (निवल परिसम्पियां) / देयताएं		

क. अन्य व्यापक आय में स्वीकृत पुनर्मापन प्रभाव

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अन्य व्यापक में शामिल कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि (इंड एएस 19 पैरा 57(घ)	-	-
डीबीओ में वित्तीय अनुमानों के परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	1.01	0.12
डीबीओ में अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(4.87)	(3.17)
ख. परिभाषित हितलाभ लागत (पैरा 120)		
लाभ एवं हानि में स्वीकृत लागत (इंड एएस 19 पैरा 57 ग)	13.99	5.85
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत पुनर्मापन प्रभाव; पैरा 120ग		
कुल परिभाषित हितलाभ लागत (120 क,ख तथा ग)	13.99	5.85
परिसम्पति के रूप में स्वीकृत न की गई राशि (सीमा पैरा 64(ख))		
निवल व्यय		
(इंड एएस) के पैरा 144 के अनुसार छूट दर	**7.22%**	**7.52%**

तुलन पत्र में स्वीकृत निवल परिसम्पति/(देयता)	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
निधि पोषण न प्राप्त दायित्व का वर्तमान मूल्य	26.57	12.58
निधि पोषण स्थिति [(घाटे)] {(पैरा 64 (क)}	(26.57)	(12.58)
निवल देयता	26.57	12.58
तुलन पत्र में स्वीकृत	(26.57)	(12.58)
नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य	24.39	11.58
उपयोग दायित्व का वर्तमान मूल्य	2.18	1.00
निधि पोषण अनुपात		
पूर्वाअनुमान : इंड एएस 19 के पैरा 83 के अनुसार छूट दर : 7.22% **(पिछले वर्ष** 7.52%**)**		

क. चालू एवं गैर-चालू पर द्विभाजन	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
पीवीओ (गैर निधि पोषण योजना)		
चालू	3.47	1.59
गैर-चालू	23.10	11.00

अवधि को समाप्त डीबीओ में परिवर्तन (पैरा 140(क)(ii) तथा 141)	-	-
चालू सेवा लागत	16.89	8.39
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (प्रारम्भ)	12.58	6.73
ब्याज लागत	0.95	0.51
तत्काल स्वीकृति पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(3.86)	(3.05)
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (बंद)	26.57	12.58
डीबीओ की भारित औसत अवधि	**15.60**	**16.09**

देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल से संबंधित सूचना निम्नानुसार है

संभावित हितलाभ दायित्व ईएल	20.61	10.67
संभावित हितलाभ दायित्व एचपीएल	5.96	1.91
संचित हितलाभ दायित्व		

पांच वर्ष में भुगतान	**31 मार्च, 2024**		**31 मार्च, 2023**	
	अर्जित छुट्टी का छूट दर मूल्य / वर्तमान मूल्य	**अर्जित छुट्टी का छूट न प्राप्त मूल्य / वास्तविक मूल्य**	**अर्द्ध वेतन छुट्टी का छूट दर मूल्य / वर्तमान मूल्य**	**अर्द्ध वेतन छुट्टी का छूट न प्राप्त मूल्य / वास्तविक मूल्य**
वर्ष (I)	1.04	1.12	0.30	0.32
वर्ष (II)	0.99	1.14	0.29	0.33
वर्ष (III)	1.47	1.86	0.45	0.57
वर्ष (IV)	0.85	1.13	0.25	0.33
वर्ष (V)	0.81	1.15	0.23	0.33
अगले 5 वर्ष मं भुगतान (6-10 वर्ष)	3.86	6.92	1.18	2.14
10 से अधिक वर्षों में भुगतान	11.58	55.13	3.26	15.31

निवल तुलन पत्र देयता का पुन: समाधान	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
पैरा 64(ख) के अलावा अवधि के लिए निवल अवधि हितलाभ (लागत)/आय	(26.57)	(12.58)
अवधि के प्रारंभ में (उपार्जित)/पूर्व प्रदत्त हितलाभ लागत(समायोजन पूर्व)	(12.58)	(6.73)
अवधि में निवल आवधिक हितलाभ (लागत)	(13.99)	(5.85)
अवधि के अंत में (उपार्जित)/पूर्व प्रदत्त हितलाभ लागत(समायोजन पूर्व)	(26.57)	(12.58)
अवधि के अंत में स्वीकृत निवल तुलन पत्र परिसम्पति/देयताएं	(26.57)	(12.58)

नियोक्ता व्यय के घटक		
चालू सेवा लागत	16.89	8.39
कुल सेवा लागत	16.89	8.39
डीबीओ पर ब्याज व्यय	0.95	0.51
कुल निवल ब्याज	0.95	0.51
तत्काल स्वीकृत (लाभ)/हानियां - अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	(3.86)	(3.05)
लाभ एवं हानि में शामिल परिभाषित हितलाभ लागत	26.57	12.58

दबाव परीक्षण के मूल्यांकन के प्रकटीकरण

परिदृश्य	अर्जित छुट्टी के संबंध में डीबीओ में % वृद्धि	अर्जित छुट्टी से संबंधित देयता	अर्जित छुट्टी के डीबीओ में कमी अथवा वृद्धि
छूट दर + 100 आधार प्वांइट	-11.04%	18.33	(2.28)
छूट दर - 100 आधार प्वांइट	13.55%	23.40	2.79
वेतन वृद्धि + 100 आधार प्वांइट	12.73%	23.23	2.62
वेतन वृद्धि 100 आधार प्वांइट	-10.57%	18.43	(2.18)
क्षयण दर + 100 आधार प्वांइट	-0.06%	20.59	(0.01)
क्षयण दर - 100 आधार प्वांइट	0.11%	20.63	0.02
मृत्यु दर 10% अधिक	0.01%	20.61	0.00

दबाव परीक्षण के मूल्यांकन के प्रकटीकरण

परिदृश्य	अर्द्ध वेतन छुट्टी के लिए डीबीओ में % वृद्धि	अर्द्ध वेतन छुट्टी से संबंधित देयता	अर्द्ध वेतन छुट्टी के डीबीओ में कमी अथवा वृद्धि
छूट दर + 100 आधार प्वांइट	-10.82%	5.32	(0.65)
छूट दर - 100 आधार प्वांइट	13.24%	6.75	0.79
वेतन वृद्धि + 100 आधार प्वांइट	12.44%	6.70	0.74
वेतन वृद्धि 100 आधार प्वांइट	-10.35%	5.35	(0.62)
क्षयण दर + 100 आधार प्वांइट	-0.07%	5.97	(0.00)
क्षयण दर - 100 आधार प्वांइट	0.12%	5.97	0.01
मृत्यु दर 10% अधिक	0.01%	5.96	0.00

40. क. घटक सूचना

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना जीएसआर 463(ई) के माध्यम से मात्राओं एवं संबंधित मूल्यों सहित प्रत्येक वर्ग की वस्तुओं एवं से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत अपेक्षित सूचना का प्रकटीकरण किए जाने से छूट प्रदान की गई है तथा उत्पादों एवं इनके प्रचालन के क्षेत्र की संवेदी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखांकन मानक 108 - परिचालनात्मक खंड के अंतर्गत अपेक्षित सूचना की प्रस्तुति चालू एवं पूर्व वित्तीय वर्षों के संबंध में नहीं की गई है।

41. संबंधित पक्षकार - इंड एएस -24

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कंपनी है। यह कंपनी सरकार की एक इकाई है तथा इसे इंड एएस-24 के पैरा 18 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण की प्रस्तुति से छूट प्राप्त है। कंपनी द्वारा इंड एएस 24 के पैरा 26 के अंतर्गत अपेक्षित सूचना का प्रकटीकरण किया गया है। संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

नियंत्रण इकाई **अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार**

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

संबंधित पक्षकार का नाम	संबंधता (31.3.2024 को समाप्त वर्ष के लिए)	संबंधता (31.3.2023 को समाप्त वर्ष के लिए)
श्री राधाकृष्णन डी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री अरूणाचलम ए	निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)	निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)
श्रीमती षण्मुगा प्रिया	कंपनी सचिव	10.03.2023 से कंपनी सचिव
श्रीमती रेणु		31.08.2022 तक कंपनी सचिव

संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहारों की सूची (राशि रुपए लाख में)

विवरण	(31.3.2024 को समाप्त वर्ष के लिए)	(31.3.2023 को समाप्त वर्ष के लिए)
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन		
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को पारिश्रमिक	120.08	110.48
अन्यों को पारिश्रमिक	47.48	51.76
	167.55	**162.24**
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार		
वर्ष के दौरान बिक्री से राजस्व	9,312.31	-
वर्ष के दौरान उत्पाद/सेवाओं के लिए व्यय की लागत	46,107.64	1,27,164.18
वर्ष के दौरान अंतरिक्ष खंड के लिए अनुबंधित सेवाओं से राजस्व	26,910.89	26,398.74
कर्मचारियों को आबंटित क्वाटरों का मकान किराया भत्ता (एचआरए)	14.07	5.82
एनसिल भवन के लिए किराया एवं प्रतिभूति जमा	17.06	7.99

संबंधित पक्षकारों से बकाया शेष की सूची (राशि रुपए लाख में)

विवरण	(31.3.2024 को समाप्त वर्ष के लिए)	(31.3.2023 को समाप्त वर्ष के लिए)
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को देय	39,787.26	63,927.34
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अन्य केन्द्रों को देय	206.58	35.18
अग्रिम - अंतरिक्ष विभाग को प्रदत्त उपग्रह तथा प्रेक्षण लागत	30,345.23	2,118.60

42. कॉर्पोरेट एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का विवरण

(राशि रुपए लाख में)

विवरण	31.3.2024 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत के आंकड़े	31.3.2023 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत के आंकड़े
कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान व्यय के लिए आबंटित राशि	**877.81**	**494.20**
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	194.17	122.44
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 144.85 लाख रुपए का व्यय किया गया है तथा अव्ययित सीएसआर बैंक खाते में से अंतरण की देय तिथि 1 अप्रैल, 2024 तक 39.25 लाख रुपए का व्यय जारी परियोजनाओं पर किया गया है तथा सीएसआर प्रशासनिक ओवरहैड 10.06 लाख रुपए है।		
अलग बैंक खाते में रखी गई प्रतिबद्ध राशि	683.64	248.19
निर्दिष्ट निधि में अंतरित / अंतरण की जाने वाली राशि	-	123.57
सीएसआर गतिविधियों का विवरण	स्वास्थ्य एवं पोषण, स्वच्छता, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण, कौशल विकास, संवहनीय विकास, शिक्षा आदि	

I. सीएसआर निधि आबंटन प्रतिबद्धता एवं व्यय		2023-24	2022-23
क	वर्ष के दौरान कंपनी से व्यय के लिए अपेक्षित सकल राशि	**877.81**	**494.20**
ख	व्यय की गई राशि	194.17	122.44
ग	अलग बैंक खाते में रखी अव्ययित प्रतिबद्ध राशि	683.64	248.19
ख	अंतरण के लिए शेष राशि (2022-23)/ निर्दिष्ट निधि में अंतरित (2021-22 तथा 2020-21)	-	123.57
ङ	निर्दिष्ट निधि में अंतरण की तिथि	-	27-09-2023
च	कुल सीएसआर व्यय	**877.81**	**494.20**

II. अलग बैंक खाते में रखी गई अव्ययित प्रतिबद्ध राशि का विवरण			
1	अलग बैंक खाते में रखी गई राशि	683.64	248.19
2	उपर्युक्त में से 2023-24 में व्यय की गई राशि		171.58
3	उपर्युक्त में से निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि		
4	अलग बैंक खाते में बची निधि का शेष	**683.64**	**76.62**

(राशि रुपए लाख में)

	विवरण	31.3.2024 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत के आंकड़े	31.3.2023 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत के आंकड़े
43	**आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं**		
	(जिसके संबंध में प्रदत्त नहीं है)		
	i) **आकस्मिक देयता**		
	क) दावे जिन्हें कंपनी ने ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया	शून्य	शून्य
	ख) बैंक द्वारा सावधि जमा के प्रति प्रतिभूत बैंक गारंटी के लिए उत्पन्न दायित्व के परिणामस्वरूप	6.73	14,572.58
	ग) अन्य बकाया साख पत्र एवं गारंटिया	शून्य	शून्य
	घ) अन्य धन जिनके प्रति कंपनी की आकस्मिकता देय है		
	i) प्रतिबद्धताए		
	(क) पूंजी लेखा में से निष्पादन के लिए शेष अनुबंधों की प्रावधान न की गई अनुमानित राशि	शून्य	शून्य
	(ख) अन्य प्रतिबद्धताए	शून्य	शून्य
	कंपनी के मतानुसार आकस्मिकता के रूप में विचार में ली गई देयता से संबंधित संसाधनों का कोई बहिप्रर्वाह नहीं होगा।		
44	सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के अलावा परिसम्पतियों एवं गैर-चालू निवेशों से व्यवसाय के सामान्य क्रम के प्रतिफल का उल्लेख निदेशक के मतानुसार न्यूनतम समान राशि पर किया गया है।	निदेशक के मतानुसार ऐसी परिसम्पतियों का व्यवसाय के सामान्य क्रम में प्राप्ति का मूल्य कम से कम उस मूल्य पर होगा जिस राशि का उल्लेख लेखा बहियों में किया गया है।	निदेशक के मतानुसार ऐसी परिसम्पतियों का व्यवसाय के सामान्य क्रम में प्राप्ति का मूल्य कम से कम उस मूल्य पर होगा जिस राशि का उल्लेख लेखा बहियों में किया गया है

45 उपयोग अधिकार परिसम्पतियां एवं पट्टा देयताएं

कंपनी के पास अपने प्रचालनों के लिए प्रयुक्त पट्टाधारित भवनों के पट्टा अनुबंध हैं।

अंतरिक्ष विभाग से 1.9.2023 से प्रारम्भ 5 वर्ष की अनुबंध पट्टा अवधि के लिए पट्टे पर प्राप्त एनसिल भवन तथा एनसिल ब्रिगेड रूबिक्स भवन का पट्टा अनुबंध 15.1.2024 से 3 वर्ष के लिए किया गया है। इसका ब्याज दर 13.50% है।

अवधि के दौरान स्वीकृत उपयोग अधिकार परिसम्पतियों तथा उनकी मूवमेंट की वहन राशि

(राशि रुपए लाख में)

विवरण	31-03-2024	31-03-2023
लागत		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष		
आवर्धन	318.49	-
स्वीकृति समाप्ति	23.50	-
वर्ष के अंत में शेष	**294.99**	-
संचित मूल्यह्रास	-	-
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	-	-
आवर्धन	23.50	-
वर्ष के अंत में शेष	**23.50**	-

अवधि के दौरान पट्टा देयताओं एवं मूवमेंट की वहन राशि

(राशि रुपए लाख में)

विवरण	31-03-2024	31-03-2023
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	-	-
आवर्धन	317.02	-
ब्याज उपचय	24.96	-
पट्टा देयताओं का भुगतान	30.40	-
वर्ष के अंत में शेष	**311.58**	-
चाल	126.10	-
गैर - चालू	185.48	-
	311.58	-

46 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

46.1 संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण

क. न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष विभाग (डीओएस), भारत सरकार (जीओआई) के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।

ख. कंपनी के कार्यबल में कार्य व्यवस्था के अंतर्गत इसरो से तथा कंपनी की अपनी वेतन सूची में अधिकारी कार्यरत हैं। कंपनी में इसरो से तैनात कार्यबल के लिए इसरो की ओर से किए गए वेतन व्यय की प्रतिपूर्ति उन्हें वास्तविक आधार पर की जाती है। उनके संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान इसरो द्वारा वहन किया जाता है।

ग. लेखांकन मानक 24 "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" के अनुसार श्री राधाकृष्णन डी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री अरुणाचलम ए, निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति), श्रीमती एस. षण्मुगा प्रिया, कंपनी सचिव हैं। इस अवधि के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति), उनके समामेलन की तिथि तक के लिए, पारिश्रमिक एवं कर्मचारी हितलाभ की प्रतिपूर्ति तथा निदेशक (टीएस) एवं कंपनी सचिव के वेतन के अलावा इन पक्षकारों के साथ कोई संव्यवहार नहीं हुए हैं।

संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध
1) अंतरिक्ष विभाग	पूर्ण स्वामित्व कंपनी
2) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान	अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक विंग
3) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	
क) श्री राधाकृष्णन डी.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ख) श्री अरूणाचलम ए.	निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)
ग) श्रीमती एस. शनमुगा प्रिया	कंपनी सचिव, 10.3.2023 से

आईएनडी एएस-24 "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" के अनुसार संबंधित प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं।

संबंधित पक्षकार संव्यवहार: कृपया एक अलग नोट संख्या 41 में देखें।

46.2 कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों से 31 मार्च 2024 तक शेष राशि के संबंध में पुष्टि दिए जाने का अनुरोध किया गया है जो कि ऐसे ग्राहकों से नहीं किया गया है जिनके साथ अनुबंध समाप्त हो गए हैं अथवा तुलन पत्र के निर्माण से पूर्व बकाया की प्राप्ति हो गई है तथा कुछ ग्राहकों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। प्रबंधन के मतानुसार, शेष की पुष्टि न प्राप्त होने से लाभ एवं हानि विवरण पर किसी प्रकार का भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

46.3 कॉर्पोरेट एवं सामाजिक उत्तरदायित्व विवरण:

(क)वर्ष के दौरान कंपनी से 877.81 लाख रुपए (पिछले वर्ष 494.20 लाख रुपए) का सकल व्यय अपेक्षित था।

(ख) वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि: कृपया अलग से प्रस्तुत नोट संख्या 42 देखें।

46.4 वर्ष के दौरान लागत अनुमान तथा कंपनी सहयात्री के लिए की गई पूर्व बुकिंग में भिन्नता के प्रति 173.67 लाख रुपए रिवर्स किए गए हैं, यह रिवर्सल पीएसएलवी प्रक्षेपण यान से संबंधित है जिसका पूर्ण प्रापण एनसिल द्वारा किया गया है।

सैटकॉम पीओ के साथ 1.4.2020 से सरकारी ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार जीसैट 17 -3 ट्रांसपोडर्स एमएसएस कैरियर्स में प्रदान करने के लिए 3 एमओयू किए गए थे तथा इनका विस्तार वार्षिक आधार पर किया गया है एवं एमओयू के प्रशासन के लिए एनसिल अनुबंध प्रबंधक माना गया था। उक्त एमओयू को अंतिम बार 31.3.2023 तक के लिए विस्तारित किया गया था तथा अंतरिक्ष विभाग / इसरो द्वारा इसे विस्तारित न किए जाने के कारण एनसिल की ओर वित्तीय वर्ष 2023-24 की क्षमता से संबंधित इनवॉयस जारी नहीं किए जा सके थे। इसके संबंध में एनसिल के राजस्व पर निवल प्रभाव हुआ है तथा लाभ 42.33 लाख रुपए है जो कि एनसिल के एसएससी अंशभाग का 10% है।

वर्ष के दौरान कंपनी प्रक्षेपण सेवाओं के अंतर्गत 9,41.62 लॉख रुपए की राशि की बुकिंग की थी जो मैसर्स शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा मैसर्स बामर लॉरी के वनवैब मिशन हेतु चार्टर्ड सेवाओं की लागत से संबंधित थी। इसे पूर्वावधि व्यय माना गया है तथा तदनुसार, अनुलग्नक 7 के अनुसार पूर्व वर्ष के लेखों का पुनर्लेखन एवं समाधान तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण में किया गया है।

मत्स्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय रोलआउट योजना के अंतर्गत मेरिन फिशिंग के लिए वेसस्ल संचार एवं सहायता प्रणाली की संस्थापना से संबंधित निगरानी, नियंत्रण एवं चौकसी (एमसीएस) से संबंधित अनुमोदन प्रदान किया गया है, यह प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान गैर-लाभग्राही के रूप में की जाने वाली प्रक्रिया है। उक्त परियोजना के लिए मत्स्य विभाग द्वारा अंतरित की गई निधि को, स्वीकृति के उपबंधों के अनुसरण में इस उद्देश्य के लिए विशेष निर्धारित एक अलग बचत खाते में रखा गया है। उक्त परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी भुगतान मत्स्य विभाग से प्राप्त निधि में से किए जा रहे हैं।

एनसिल द्वारा प्रयोक्ता विभाग से प्रमाणपत्र प्राप्त न होने तथा विक्रेता इनवॉयस की प्राप्ति न होने के कारण आय के संबंध में तथा बैक टू बैक आधार पर प्रदान की जा रही मिशन सहायता सेवाओं की आवृत्ति लागत पर लागत के प्रावधान किए गए हैं।

46.5 एनसिल द्वारा न्यायनिर्णय प्राधिकरण के सम्मुख मैसर्स कस्थूरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रति ऋणशोधन क्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 9 के अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणशोधन समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ किए जाने का आवेदन प्रस्तुत करने की प्रस्तावना की गई है। तदनुसार, 31.3.2024 को बकाया 83.54 लाख रुपए के भत्ते के प्रावधान अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के प्रति किए गए हैं।

46.6 प्रस्तावित लाभांश:

विवरण	31.3.2024 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31.3.2023 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े
(क) अवधि के लिए इक्विटी शेयरधारकों को वितरण हेतु प्रस्तावित लाभांश की राशि	निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग से 2026-27 तक छूट प्राप्ति का प्रस्ताव अंतरिक्ष विभाग को प्रस्तुत किया गया है।*	निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग से 2026-27 तक छूट प्राप्ति का प्रस्ताव अंतरिक्ष विभाग को प्रस्तुत किया गया है।**
(ख) प्रति शेयर लाभांश	लागू नहीं **	लागू नहीं ***

** एनसिल के निदेशक मंडल द्वारा 16.7.2024 को आयोजित अपनी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई थी तथा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के प्रति वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए (i) लाभांश का भुगतान (ii) शेयरों का वापस क्रय (iii) बोनस शेयर जारी करना (iv) शेयरों का विखंडन करने से छूट प्राप्त करने का निवेदन किए जाने का अनुमोदन दिया गया था।

*** एनसिल के निदेशक मंडल द्वारा 25 जून, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से डीआईपीएएम दिशानिर्देशों के अनुसार (i) लाभांश का भुगतान (ii) शेयरों का वापस क्रय (iii) बोनस शेयर जारी करना (iv) शेयरों का विखंडन करने से संबंधित छूट प्राप्त का निवेदन वित्तीय वर्ष 2022-23 प्रस्तुत करने के अनुमोदन के आधार पर एनसिल ने अपेक्षित प्रस्ताव अपने प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया है।

46.7 कंपनी द्वारा पक्षकारों के साथ नोवेशन अनुबंध किए गए हैं तथा तदनुसार, अनुबंध के संबंध में पूर्व पक्षकार की ओर से किए आंशिक निष्पादन का निष्पादन पूरा करने के लिए कंपनी ने समर्पित प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान की हैं। उक्त अनुबंध के अनुसार, अनुबंध के अंतर्गत कंपनी को प्राप्त होने वाला राजस्व अकेले कंपनी का ही राजस्व होगा। तदनुसार, राजस्व की स्वीकृति की जा रही है।

46.8 प्रक्षेपण यानों के उपयोग से उपग्रह प्रक्षेपणों की समर्पित सेवाओं के लिए, मृत्यु तथा तृतीय पक्षकारों की सम्पति की हानि सहित शारीरिक चोट के प्रति विधिक देयता के लिए स्व-बीमा किए जाने के लिए उत्तरदायी है। इसरो द्वारा प्रत्येक प्रक्षेपणों के संबंध में स्व-बीमा की नीति का अनुसरण किया जाता है, इस प्रकार कंपनी से तृतीय पक्षकार देयता (टीपीएल) बीमा करवाए जाने की अपेक्षा नहीं है।

46.9 लाभ एवं हानि विवरण के निर्माण के सामान्य अनुदेशों से संबंधित अतिरिक्त सूचना

5 (ii) (क) (1) तथा (2) एवं 5(iii) - एनसिल एक विनिर्माण कंपनी नहीं है तथा तदनुसार यह लागू नहीं है।

5(viii)(क) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा (I) कच्चे माल; (II) कंपोनेंट्स एवं अतिरिक्त पूर्जो (III) पूंजी सामान; के संबंध में सीआईएफ आधार पर की गई गणना के अनुसार आयात मूल्य : शून्य

5(viii)(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान तकनीकी ज्ञान, व्यावसायिक, परामर्श शुल्क एवं ब्याज के प्रति विदेशी मुद्रा में व्यय की गई राशि - शून्य

5(viii)(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोग की गई सभी आयातित कच्चे माल, अतिरिक्त पूर्जों एवं कंपोनेंट्स का कुल मूल्य तथा समान रूप में उपभोग की गई स्वदेशी कच्चे माल, अतिरिक्त पूर्जों एवं कंपोनेंट्स का कुल मूल्य तथा कुल उपभोग में से प्रत्येक का प्रतिशत : शून्य

5(viii)(घ) अनिवासी शेयरधारकों की कुल संख्या, उनके द्वारा धारित शेयरों की कुल संख्या, जिनके लिए लाभांश देय था तथा लाभांश से संबंधित वर्ष के उल्लेख के साथ वर्ष के दौरान लाभांश के प्रति विदेशी मुद्रा में विप्रेषित राशि : शून्य

5(viii)(ङ) विदेशी मुद्रा में निम्नलिखित शीर्षकों, नामत: I. तकनीकी ज्ञान, II. व्यावसायिक एवं परामर्शी शुल्क तथा ब्याज एवं लाभांश, के अंतर्गत वर्गीकृत आय: शून्य

46.10 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 4 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या 2437(ई) के माध्यम से निम्नलिखित पैराग्राफों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण के निर्माण से संबंधित सामान्य अनुदेशों की अतिरिक्त सूचना का प्रकटीकरण किए जाने के प्रति छूट प्रदान की गई है:

5(viii) (ख) वित्तीय वर्ष के दौरान रायल्टी तथा अन्य मामलों के लिए व्यय की गई विदेशी मुद्रा;

5(viii)(ङ) संबंधित प्रकृति के उल्लेख के साथ निम्नलिखित शीर्षकों, नामत: I. एफओबी के आधार पर आकलित वस्तुओं का आयात II. रायल्टी, IV. अन्य आय, के रूप में वर्गीकृत विदेशी मुद्रा आय,

46.11 वर्ष के अंत में किए गए मुद्रा संव्यवहारों का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	वर्ष के अंत में किए गए मुद्रा संव्यवहार [रुपए लाख में]	ऋण / जमा	लाभ एवं हानि विवरण
बकाया देयताओं एवं परिसम्पतियों के संबंध में	39.26	ऋण	अन्य व्यय में ऋण
	(74.32)	जमा	अन्य व्यय में ऋण

पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दिखाए गए हैं, "सीआर" का अर्थ "जमा" है तथा "डीआर" का अर्थ "ऋण" है।

46.12 "अंतरिक्ष विभाग द्वारा अपने 10 इन-आर्बिट परिचालनात्मक संचार उपग्रह यथा जीसेट - 8, 10, 12आर,14, 15,16, 17, 18, 30 तथा 31 का अंतरण का अनुमोदन 1.4.2021 से प्रभावी किए जाने से संबंधित सूचना दिनांक 4 जुलाई, 2022 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से एनसिल को दी गई है। अंतरिक्ष विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अंतरण मूल्य (एतद्द्वारा मूल्य के रूप में भी संदर्भित) का निवर्हन वर्ष 2022-23 के दौरान इक्विटी शेयरों द्वारा किया गया था।

अंतरित किए उपग्रहों का अनुरक्षण मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी (एमसीएफ)/इसरो, हसन द्वारा ही जारी रखा गया है। कंपनी द्वारा अंतरिक्ष विभाग / इसरो के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के लिए 10 उपग्रह की अनुरक्षण लागत के प्रति समझौता ज्ञापन किया गया है पिछले वर्षों में किए गए अधिक प्रावधान रिवर्स कर दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10 उपग्रहों की अनुरक्षण लागत के प्रति दिनांक 31.3.2024 को किए गए समझौता ज्ञापन के आधार पर किए गए हैं तथा जीसैट-एन1 की अनुरक्षण लागत के प्रावधान अंतरिक्ष विभाग / इसरो से प्राप्त सूचना के अनुसार किए गए थे।

कंपनी ने एक से अधिक वर्ष से परिचालनात्मक उपग्रह का बीमा नहीं करवाया है।

46.13 कंपनी द्वारा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के पास यूरो शून्य (पिछले वर्ष भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी 16,350,000) तथा यूएस डालर 8075 (पिछले वर्ष आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जारी 12195) के प्रति जारी बैंक गारंटी के प्रति 26.66 लाख रुपए (पिछले वर्ष 19,776.16 लाख रुपए) की प्रतिभूति के रूप में सावधी जमा का अनुरक्षण किया जा रहा है तथा कंपनी ऐसे सावधी जमा से कार्ड दर पर ब्याज कमा रही है। वर्तमान में, लेखांकन मानकों में परिभाषित 'प्रावधान' की कोई स्थिति नहीं है तथा तदनुसार, प्रकटीकरण किए जाने की अपेक्षा नहीं है। बैंक गारंटी के मूल्य के लिए निर्धारण के लिए यूएस डालर के लिए प्रयुक्त दर 83.3739 (पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 89.6076 रुपए प्रति यूएस डालर) प्रति यूएस डालर तथा प्रति यूरो की विनिमय दर 90.2178 प्रति यूरो (पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 89.6076 रुपए प्रति यूरो) है।

46.14 निदेशक मंडल के मतानुसार स्थिर परिसम्पतियों के अलावा किसी भी परिसम्पति एवं गैर चालू निवशों का व्यवसाय के सामान्य क्रम में प्राप्य मूल्य:

निदेशक मंडल का यह मत है कि ऐसी परिसंपत्तियों का व्यवसाय के सामान्य क्रम में प्राप्य मूल्य कम से कम उस राशि के समान होगा जिसका उल्लेख लेखों में किया गया है।

46.15 भारतीय लेखा मानक इंड एएस 38 के अंतर्गत प्रकटीकरण: अमूर्त परिसम्पतियां

(क)	अमूर्त परिसम्पतियों का वर्ग	कम्प्यूटर साफ्टवेयर
(ख)	अमूर्त परिसम्पतियों की प्रकृति	कम्प्यूटर साफ्टवेयर का क्रय
(ग)	उपयोगिता काल के लिए प्रयुक्त परिशोधन दर	उपयोग के लिए साफ्टवेयर का क्रय किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तथा विकसित साफ्टवेयर के लिए स्वीकृति की तिथि से पांच वर्ष
(घ)	परिशोधन विधि प्रयुक्त	सीधी रेखा विधि
(ङ)	लाख रुपए में सकल वहन राशि	37.21
(च)	लाख रुपए में संचित परिशोधन	17.27
(छ)	परियोजना के प्रारंभ तथा अंत में संचित अक्षमता हानि	शून्य

(ज)	अवधि के प्रारंभ तथा अंत में वहन राशि का पुन:समाधान	नोट 4 के अनुलग्नक में की गई प्रस्तुति के अनुसार
(i)	आवर्धन, उनका अलग से उल्लेख जो आंतरिक रूप से विकसित हैं तथा समामेलन के माध्यम से हैं	0.61 लाख रुपए के साफ्टवेयर का क्रय
(ii)	उपयोग से हटाए जाने तथा निपटान	शून्य
(iii)	अवधि के दौरान लाभ एवं हानि में स्वीकृत अक्षमता हानियां, (यदि कोई हों)	शून्य
(iv)	अवधि के दौरान लाभ एवं हानि में रिवर्स की गई अक्षमता हानियां, (यदि कोई हों)	शून्य
(v)	अवधि के दौरान स्वीकृत परिशोधन लाख रुपए में	10.33
(vi)	वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत मुद्रा का विनिमय प्रस्तुति की मुद्रा में किए जाने तथा विदेशी प्रचालन का अंतरण कंपनी की प्रस्तुति में किए जाने पर निवल विनिमय भिन्नता	शून्य
(vii)	वर्ष के दौरान वहन राशियों में अन्य परिवर्तन	शून्य

46.16 एनसिल द्वारा अंतरिक्ष विभाग के स्वामित्व वाले 2 भवनों (मुख्य भवन तथा पार्श्वस्थ भवन) से अपने कार्य किए जा रहे हैं। एनसिल द्वारा मुख्य भवन का पट्टा अनुबंध अपनी स्थापना की तिथि से 31.8.2023 तक के लिए हस्ताक्षर किया गया था तथा दोनों भवनों के लिए पट्टा अनुबंध भी 1.9.2023 से 5 वर्ष की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर मुख्य भवन के किराए की देयता 23.5.2019 से निर्धारित की गई थी, तथापि वास्तविक देय किराया किए गए प्रावधानों से कम था, पहले किए गए प्रावधान किराया खाते में क्रेडिट कर दिए गए हैं।

कंपनी के पास ऊपर उल्लिखित अपने से संबंधित पट्टा अनुबंध हैं जिनकी उपयोग अधिकार परिसम्पतियों में स्वीकृत वहन राशि तथा पट्टा देयताओं की वहन एवं मूवमेंट नोट संख्या 45 के अनुसार है। पट्टा भुगतानों की दर का प्रकटीकरण कंपनी द्वारा निर्धारित क्रमिक ऋण दर के उपयोग से किया गया है।

46.17 वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त सूचना

46.17.1 अघोषित आय से संबंधित प्रकटीकरण

कंपनी द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए हैं जिनका उल्लेख लेखा बहियों में न किया गया हो तथा जिनका त्याग किया गया हो अथवा 31 मार्च, 2024 तथा 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारणों के लिए आय के रूप में प्रकटीकरण किया गया हो (जैसे अनुसंधान अथवा सर्वेक्षण अथवा आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अन्य प्रासंगिक प्रावधान)

46.17.2 धारित बेनामी संपत्ति का विवरण

कंपनी के पास ऐसी कोई भी बेनामी संपत्ति नहीं है, जिसके संबंध में 31 मार्च, 2024 तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है अथवा लंबित हो।

46.17.3 क्रिप्टो करेंसी अथवा वर्चुअल करेंसी का विवरण

कंपनी ने 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी अथवा वर्चुअल करेंसी में व्यापार अथवा निवेश नहीं किया है।

46.17.4 ऋण पर प्राप्त निधि तथा शेयर प्रीमियम का उपयोग

कंपनी ने विदेशी इकाई ("निधि पोषण पार्टी") सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) से किसी

निधि का अग्रिम अथवा ऋण की प्राप्ति इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं की है कि कंपनी द्वारा, (क) प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, निधि पोषण पार्टी ("अंतिम लाभग्राहियों") की ओर से अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा (ख) कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी।

46.17.5 कंपनी द्वारा विदेशी इकाईयों, "मध्यस्थों" सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) को किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया गया है अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य स्रोतों से अथवा अन्य प्रकार की निधियों में किसी में से) इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं किया गया है कि कंपनी द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, कंपनी ("अंतिम लाभग्राहियों") अथवा (ख) अंतिम लाभग्राहियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी।

46.17.6 चालू परिसम्पतियों के प्रति प्रतिभूत ऋण: शून्य

46.18 अनुसूची III की आवश्यकताओं से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण

46.18.1 निर्दिष्ट व्यक्तियों को (मांग पर प्रतिदेय अथवा पुनर्भुगतान के कोई उपबंध अथवा अवधि निर्दिष्ट किए बिना) ऋण अथवा अग्रिम:

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के ऋण अथवा अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं जिनके शेष (मांग पर प्रतिदेय अथवा पुनर्भुगतान के कोई उपबंध अथवा अवधि निर्दिष्ट किए बिना) बकाया हों (31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार शून्य

46.18.2 बंद कम्पनियां के साथ संबंध::

कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष, तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष की अवधि में भी, के दौरान बंद कम्पनियों के साथ कोई संव्यवहार नहीं किए गए हैं।

46.18.3 31.3.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कंपनी की आईसीआईसीआई बैंक से सावधि जमा के प्रति प्रतिभूत 8075 यूएस डालर की बकाया बैंक गारंटी है। कंपनी ने ऐसे कोई चार्ज अथवा संतुष्टियां नहीं की हैं जिन्हें आरओसी में रजिस्ट्रर किया जाना हो। उपर्युक्त चार्ज की उत्पत्ति के पश्चात इन्हें सांविधिक अवधि में आरओसी, बेंगलूरू में पंजीकृत करवा लिया जाएगा।

46.18.4 कंपनी ने कंपनी (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) नियमावली, 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) में निर्धारित स्तरों की संख्या का अनुपालन किया है।

46.19 आंकड़ों को निकटतम लाख रुपए में राउंड ऑफ किया गया है तथा चालू वर्ष की प्रस्तुति की पुष्टि के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुन:समूहन /पुन:व्यवस्थित किया गया है।

46.20 वित्तीय विवरणों के लिए अनुमोदन

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 16.7.2024 को ये वित्तीय विवरण जारी किए जाने के लिए अनुमोदित किए गए हैं।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स शांत कुमार एंड वेंकटेश

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 006821एस

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

बी.आर. शांत कुमार	**एस. शनमुगा प्रिया**	**राधा कृष्णा ए**	**राधाकृष्णन दुरैराज**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
आईसीएआई सदस्यता सं. 007191	एफसीएस : 9535	डीआईएन : 10604322	डीआईएन : 08382973
आईसीएआई यूडीआईएन : 24007191BKIPVT4197			

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 16.7.2024

अनुपात

31 मार्च, 2024 तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्षों से संबंधित अनुपात निम्नानुसार है:

विवरण	गणक	विभाजक	31 मार्च को स्थिति		भिन्नता वृद्धि/ (घटत)	राजस्व भिन्नता के कारण
			2024	2023	% में	
चालू अनुपात	चालू परिसम्पतियां	चालू देयताओं	4.46	3.75	19	चालू देयताएंओं में कमी होने से अनुपात में सुधार आया है।
ऋण-इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारक इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)	करों के पश्चात निवल लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	9%	11%	(24)	पिछले वर्ष 2022-23 में 3,303.21 करोड़ रुपए की औसत शेयर धारित पर प्रतिफल में कमी हुई थी जो कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 6901.25 करोड़ रुपए हो गई है। तथापि, पिछले वित्तीय 2022-23 की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवल लाभ में बढ़ोत्तरी हुई है।
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	2.89	3.58	(19)	
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	सेवाओं का क्रय एवं अन्य व्यय	औसत व्यापार देय	1.52	0.49	212	अनुपात में घटत पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के राजस्व में 25.55% कम होने के कारण है।
निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	राजस्व	कार्यशील पूंजी	0.62	0.83	(26)	
निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ	राजस्व	28%	16%	75	पिछले वित्तीय 2022-23 की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में सेगमेंट मिक्स परिवर्तन होने से उत्पादन लागत में कमी के कारण अनुपात में सुधार हुआ है।
नियोजित पूंजी पर लाभ	ब्याज एवं कर पूर्व आय	नियोजित पूंजी	11%	9%	20	सेगमेंट मिक्स परिवर्तन होने से उत्पादन लागत में कमी के कारण अनुपात में सुधार हुआ है।
निवेश पर लाभ	ब्याज एवं कर पूर्व आय	निवल परिसम्पतियां	11%	9%	20	ईबीआईटी में बढ़ोत्तरी के कारण चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में आरओआई में 11% की कमी आई है।

नोट संख्या 1 तथा 2 के अनुलग्नक

(राशि रुपए लाख में)

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

वित्तीय वर्ष 2023-24

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास						
	1.4.2023 को सकल राशि	आवर्धन	निपटान / हटाई गई / समायोजन	पुनर्मूल्यांकन के कारण राशि में बदलाव (यदि पूनर्मूल्यांकन निवल वहन राशि से लगभग 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2024	संचित मूल्यह्रास 01.04.2023	अवधि के दौरान	विलोपन	समायोजन	कुल 31.03.2024	31.03.2024 को निवल वहन मूल्य	31.03.2023 को निवल वहन मूल्य
भवन													
भवन अस्थाई संरचना	11.10	-	-	-	-	**11.10**	10.99	-	-	-	**10.99**	**0.11**	**0.11**
भवन इलेक्ट्रिकल प्रणाली	1.96	0.02	-	-	-	**1.98**	0.46	0.21	-	-	**0.67**	**1.31**	**1.50**
भवन आंतरिक सज्जा	1.29	18.00	-	-	-	**19.29**	0.92	0.75	-	-	**1.68**	**17.61**	**0.37**
फर्नीचर एवं जुड़नार	27.44	35.79	-	-	-	**63.22**	8.61	4.67	-	-	**13.28**	**49.94**	**18.83**
कम्प्यूटर तथा संबंधित सामग्री	141.76	56.46	-	-	-	**198.22**	50.16	50.94	-	-	**101.11**	**97.11**	**91.59**
कार्यालय उपकरण	17.18	6.89	-	-	0.08	**24.15**	9.18	3.61	-	0.08	**12.88**	**11.27**	**7.99**
संचार प्रणालीया	2.16	2.87	1.07	-	-	**3.96**	1.30	0.95	0.45	-	**1.80**	**2.16**	**0.86**
मोटर यान	22.12	23.99	-	-	-	**46.12**	3.90	3.33	-	-	**7.23**	**38.89**	**18.22**
उपग्रह कक्षा	4,69,760.00	-	-	-	-	**4,69,760.00**	1,15,962.26	53,962.05	-	-	**1,69,924.32**	**2,99,835.68**	**3,53,797.74**
उपग्रह कक्षा - एनसिल													
उप - कुल (क)	86,101.77	736.20	-	-	-	**86,837.97**	1,556.91	5,802.51	-	-	**7,359.42**	**79,478.55**	**84,544.86**
उपयोग अधिकार परिसम्पतियां - भवन	**5,56,086.78**	**880.22**	**1.07**	**-**	**0.08**	**5,56,966.00**	1,17,604.69	59,829.04	0.45	0.08	**1,77,433.36**	**3,79,532.64**	**4,38,482.08**
उप कुल (ख)	-	318.49	-	-	-	**318.49**	-	23.50	-	-	**23.50**	**294.99**	**-**
कुल	**-**	**318.49**	-	-	-	**318.49**	-	**23.50**	-	-	**23.50**	**294.99**	**-**

(राशि रुपए लाख में)

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

वित्तीय वर्ष 2022-23

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास						
	1.4.2023 को सकल राशि	आवर्धन	विलोपन	पुनर्मूल्यांकन के कारण राशि में परिवर्तन (यदि पुनर्मूल्यांकन कुल निवल वहन राशि के 10% से अधिक है)	समायोजन	योग 31.03.2023	संचित मूल्यह्रास 01.04.2022	अवधि के दौरान	विलोपन	समायोजन	योग 31.03.2023	31.03.2023 को निवल वहन मूल्य	31.03.2022 को निवल वहन मूल्य
भवन													
भवन अस्थाई संरचना	11.10	-	-	-	-	**11.10**	8.97	2.02	-	-	**10.99**	**0.11**	**2.13**
भवन इलेक्ट्रिकल प्रणाली	1.9	0.04	-	-	-	**1.96**	0.23	0.23	-	-	**0.46**	**1.50**	**1.69**
भवन आंतरिक सज्जा	0.93	0.36	-	-	-	**1.29**	0.81	0.11	-	-	**0.92**	**0.37**	**0.12**

फर्नीचर एवं जुड़नार	27.14	0.29	-	-	-	**27.44**	5.91	2.69	-	-	**8.61**	**18.83**	**21.23**
कम्प्यूटर एवं सम्बद्ध सामग्री	39.62	102.14	-	-	-	**141.76**	22.01	28.15	-	-	**50.16**	**91.59**	**17.61**
कार्यालय उपकरण	16.75	0.43	-	-	-	**17.18**	5.83	3.36	-	-	**9.18**	**7.99**	**10.92**
संचार प्रणालियां	2.37	-	0.21	-	-	**2.16**	0.81	0.56	0.07	-	**1.30**	**0.86**	**1.56**
मोटर यान	22.12	-	-	-	-	**22.12**	1.16	2.74	-	-	**3.90**	**18.22**	**20.96**
उपग्रह कक्षा	4,69,760.00	-	-	-	-	**4,69,760.00**	57,981.13	57,981.13	-	-	**1,15,962.26**	**3,53,797.74**	**4,11,778.87**
उपग्रह कक्षा - एनसिल	-	86,101.77	-	-	-	**86,101.77**	-	1,556.91	-	-	**1,556.91**	**84,544.86**	**-**
कुल	**4,69,881.97**	**86,205.02**	**0.21**	**-**	**-**	**5,56,086.78**	**58,026.87**	**59,577.89**	**0.07**	**-**	**1,17,604.69**	**4,38,482.08**	**4,11,855.09**

नोट:

1) व्यवसाय समुच्चयों तथा अक्षमता हानियों / रिवर्सलों के माध्यम से कोई अधिग्रहण नहीं किए गए हैं।

2) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में किए गए संशोधन, जो कि 1 अप्रैल, 2015 को अथवा उसके पश्चात के वित्तीय वर्षों के वित्तीय विवरणों के लिए अनिवार्य हैं, के अनुसार वर्ष के दौरान भवन के वृहद शीर्ष के अंतर्गत भवनों एवं ऐसे घटकों के संबंध में घटक लेखांकन का कार्यान्वयन किया गया है।

3) पट्टे पर प्राप्त भवन के संबंध में कंपनी ने पट्टा प्रारंभ तिथि से कंपनी ने अपनी अंतनिर्हित परिसम्पति के उपयोग का प्रतिनिधित्व करने वाली उपयोग अधिकार परिसम्पति की स्वीकृति की है। उपयोग अधिकार परिसम्पति का मूल्यह्रास उपयोग अधिकार परिसम्पति के उपयोगिता काल में प्रारंभ तिथि से सीधी रेखा विधि के उपयोग से किया गया है। परिसम्पति की अनुमानित उपयोगिता अवधि को पट्टा काल की अवधि के अनुसार है।

4) मोटर यानों के अलावा कंपनी की अचल परिसम्पतियां बीमाकृत नहीं है।

नोट संख्या 3

(राशि रुपए लाख में)

पूंजी कार्य प्रगति पर

वित्तीय वर्ष 2023-24

विवरण	सकल ब्लॉक						परिशोधन						
	1.4.2023 को सकल राशि	आवर्धन	वर्ष के दौरान पूंजीयन	पुनर्मूल्यांकन के कारण राशि में बदलाव (यदि पुनर्मूल्यांकन निवल वहन राशि से लगभग 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.3.2024	संचित परिशोधन 1.4.2022	संबंधित अवधि	विलोपन	समायोजन	कुल 31.03.2023	31.03.2024 को निवल वहन मूल्य	31.03.2023 को निवल वहन मूल्य
जीसैट एन2	-	80,091.81	-	-	-	80,091.81	-	-	-	-	-	80,091.81	-
आरआईएसएटी 1बी	-	3,940.00	-	-	-	**3,940.00**	-	-	-	-	-	**3,940.00**	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**0.00**	**84,031.81**	-	-	-	**84,031.81**	-	-	-	-	-	84,031.81	**0.00**

अमूर्त परिसम्पतियां

(राशि रुपए लाख में)

वित्तीय वर्ष 2022-23

विवरण	सकल ब्लॉक						परिशोधन						
	1.4.2022 को सकल राशि	आवर्धन	वर्ष के दौरान पूंजीयन	पुनर्मूल्यांकन के कारण राशि में बदलाव (यदि पुनर्मूल्यांकन निवल वहन राशि से लगभग 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.3.2023	संचित परिशोधन 1.4.2023	संबंधित अवधि	विलोपन	समायोजन	कुल 31.03.2023	31.03.2023 को निवल वहन मूल्य	31.03.2022 को निवल वहन मूल्य
कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरण	85.79	-	85.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.79
जीसैट एन1	**33,780.30**	52,321.48	86,101.77	-	-	**0.00**	-	-	-	-	-	**0.00**	33,780.30
कुल	**52,321.48**	**52,321.48**	**86,187.56**	-	-	**0.00**	-	-	-	-	-	**0.00**	**33,866.09**

नोट संख्या 4

अमूर्त परिसम्पतियां

(राशि रुपए लाख में)
वित्तीय वर्ष 2023-24

विवरण	सकल ब्लॉक						परिशोधन						
	1.4.2023 को सकल राशि	आवर्धन	विलोपन	पुनर्मूल्यांकन के कारण राशि में बदलाव (यदि पुनर्मूल्यांकन निवल वहन राशि से लगभग 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.3.2024	संचित परिशोधन 1.4.2023	संबंधित अवधि	विलोपन	समायोजन	कुल 31.03.2024	31.03.2024 को निवल वहन मूल्य	31.03.2023 को निवल वहन मूल्य
साफ्टवेयर	**36.60**	0.61	-	-	-	**37.21**	6.95	10.33	-	-	17.27	**19.93**	**29.65**
कुल	**36.60**	**0.61**	**-**	**-**	**-**	**37.21**	**6.95**	**10.33**	**-**	**-**	**17.27**	**19.93**	**29.65**

विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां

(राशि रुपए लाख में)
वित्तीय वर्ष 2022-23

विवरण	सकल ब्लॉक						परिशोधन						
	1.4.2022 को सकल राशि	आवर्धन	विलोपन	पुनर्मूल्यांकन के कारण राशि में बदलाव (यदि पुनर्मूल्यांकन निवल वहन राशि से लगभग 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.3.2023	संचित परिशोधन 1.4.2022	संबंधित अवधि	विलोपन	समायोजन	कुल 31.03.2023	31.03.2023 को निवल वहन मूल्य	31.03.2022 को निवल वहन मूल्य
साफ्टवेयर	**3.94**	32.66	-	**-**	-	**36.60**	0.70	6.24	-	-	6.95	**29.65**	**3.24**
कुल	**3.94**	**32.66**	**-**	**-**	**-**	**36.60**	**0.70**	**6.24**	**-**	**-**	**6.95**	**29.65**	**3.24**

नोट संख्या 5

विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां

(राशि रुपए लाख में)
वित्तीय वर्ष 2023-24

विवरण	सकल ब्लॉक						परिशोधन					31.03.2024 को निवल वहन मूल्य	31.03.2023 को निवल वहन मूल्य
	1.4.2023 को सकल राशि	आवर्धन	वर्ष के दौरान पूंजीयन	पुनर्मूल्यांकन के कारण राशि में बदलाव (यदि पुनर्मूल्यांकन निवल वहन राशि से लगभग 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.3.2024	संचित परिशोधन 1.4.2023	संबंधित अवधि	विलोपन	समायोजन	कुल 31.03.2024		
साफ्टवेयर	7.55	13.08	-	-	-	20.63	-	-	-	-	-	20.63	7.55
कुल	7.55	13.08	-	-	-	20.63	-	-	-	-	-	20.63	7.55

विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां

(राशि रुपए लाख में)
वित्तीय वर्ष 2022-23

विवरण	सकल ब्लॉक						परिशोधन					31.03.2023 को निवल वहन मूल्य	31.03.2022 को निवल वहन मूल्य
	1.4.2022 को सकल राशि	आवर्धन	वर्ष के दौरान पूंजीयन	पुनर्मूल्यांकन के कारण राशि में बदलाव (यदि पुनर्मूल्यांकन निवल वहन राशि से लगभग 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.3.2023	संचित परिशोधन 1.4.2022	संबंधित अवधि	विलोपन	समायोजन	कुल 31.03.2023		
साफ्टवेयर	29.93	-	22.38	-	-	7.55	-	-	-	-	-	7.55	29.93
कुल	29.93	-	22.38		-	7.55	-	-	-	-	-	7.55	29.93

अनुलग्नक 2

नोट 3 का अनुलग्नक

राशि रुपए लाख में

विवरण	निम्नलिखित अवधि के संबंध में पूंजी कार्य प्रगति पर की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कुल
परियोजना प्रगति पर					
-जीसैट 20	80,091.81	-	-	-	80,091.81
-आरआईएसएटी 20	3,940.00	-	-	-	3,940.00
अस्थाई रूप से बंद परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	84,031.81	-	-	-	84,031.81

विवरण	निम्नलिखित अवधि के संबंध में पूंजी कार्य प्रगति पर की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार कुल
परियोजना प्रगति पर	-	-	-	-	-
अस्थाई रूप से बंद परियोजनाएं	-	-	-	-	-

अनुलग्नक 3

नोट 5 का अनुलग्नक - विकासधीन अमूर्त परिसम्पतियों की कालक्रम अनुसूची

राशि रुपए लाख में

विकासधीन अमूर्त परिसम्पतियां	निम्नलिखित अवधि के संबंध में पूंजी कार्य प्रगति पर की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कुल
परियोजनाएं प्रगति पर - ओसीपी ट्रांसपोंडर	13.08			7.55	20.63
अस्थाई रूप से बंद परियोजनाएं	-				

विकासधीन अमूर्त परिसम्पतियां	निम्नलिखित अवधि के संबंध में पूंजी कार्य प्रगति पर की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार कुल
परियोजनाएं प्रगति पर - ओसीपी ट्रांसपोंडर			7.55		7.55
अस्थाई रूप से बंद परियोजनाएं	-	-	-	-	-

पूंजी कार्य प्रगति पर की वे परियोजनाएं जिनका समापन लंबित है अथवा जिनकी मूल लागत की तुलना लागत बढ़ गई है*
पूंजी कार्य प्रगति पर पूर्णता अनुसूची

परियोजना का नाम	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजनाएं प्रगति पर - ओसीपी ट्रांसपोंडर	20.63			
कुल	20.63			

अनुलग्नक 4

नोट 8 का अनुलग्नक - व्यापार प्राप्य कालक्रम अनुसूची

राशि रुपए लाख में

विवरण	भुगतान की तिथि से निम्नलिखित अवधियों में बकाया					
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.3.2024 की स्थिति
(i) **अविवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए**	26,569.82	30,782.18	11,857.77	111.10	841.11	70,161.98
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य- जिनमें क्रेडिट जोखिम में वृद्धि का महत्वपूर्ण जोखिम है	43.60	39.95	-	-	216.52	300.07
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षमता हानि युक्त	-	-	-	-	-	-
(iv) **विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए**	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में वृद्धि का महत्वपूर्ण जोखिम है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षमता हानि युक्त	-	-	-	-	-	-
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण	(43.60)	(39.95)	-	-	(216.52)	(300.07)
कुल	26,569.82	30,782.18	11,857.77	111.10	841.11	70,161.98

राशि रुपए लाख में

विवरण	भुगतान की तिथि से निम्नलिखित अवधियों में बकाया					
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.3.2023 की स्थिति
(i) **अविवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए**	28,598.44	46,812.91	129.99	841.11	-	76,382.44
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में वृद्धि का महत्वपूर्ण जोखिम है	-	-	-	-	215.06	215.06
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षमता हानि युक्त	-	-	-	-	-	-
(iv) **विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए**	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम में वृद्धि का महत्वपूर्ण जोखिम है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षमता हानि युक्त	-	-	-	-	-	-
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण	-	-	-	-	(215.06)	(215.06)
कुल	28,598.44	46,812.91	129.99	841.11	-	76,382.44

अनुलग्नक 5

नोट 13 का अनुलग्नक
तुलन पत्र के निर्माण की तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि की सूचना

	विवरण	31.03.2024 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत के आंकड़े	31.03.2023 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत के आंकड़े	31.03.2022 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत के आंकड़े	31.03.2021 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत के आंकड़े	31.03.2020 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत के आंकड़े
(i)	इक्विटी/नकद भुगतान प्राप्ति के बिना अनुबंध के अनुसरण में पूर्ण प्रदत्त के रूप में आबंटित शेयरों की संख्या तथा वर्ग	4697600000	4697600000	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बोनस शेयरों के माध्यम से पूर्ण प्रदत्त के रूप में आबंटित शेयरों की संख्या तथा वर्ग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वापस क्रय शेयरों की संख्या तथा वर्ग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

कंपनी का निगमन 6.3.2019 को हुआ था। शेयरों के प्रथम लॉट का आबंटन 2019-20 में जारी किया गया था। तदनुसार, नोट 15 का अनुलग्नक पिछले 5 वर्षों अर्थात 2019-20 के पश्चात से तैयार किया गया है।

अनुलग्नक 6

नोट 20 का अनुलग्नक - व्यापार देय कालक्रम अनुसूची

राशि रुपए लाख में

विवरण	भुगतान की तिथि से निम्नलिखित अवधियों के बकाया					
	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कुल
(i) एमएसएमई को देय कुल बकाया	2.74	-	-	0.07	0.03	2.84
(ii) अन्यों को देय कुल बकाया	23,347.04	27,141.29	107.34	2.18	148.49	50,746.34
(iii) विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
कुल	23,349.78	27,141.29	107.34	2.25	148.52	50,749.18

राशि रुपए लाख में

विवरण	भुगतान की तिथि से निम्नलिखित अवधियों के बकाया					
	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार कुल
(i) एमएसएमई को देय कुल बकाया	1.27	0.03	0.00	0.05	-	1.35
(ii) अन्यों को देय कुल बकाया	71,053.48	5,161.48	2.18	-	148.49	76,365.63
(iii) विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
कुल	71,054.75	5,161.51	2.18	0.05	148.49	76,366.98

अनुलग्नक 7

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में पुनर्लिखित मदों के समाधान

राशि रुपए लाख में

विवरण	मद सं.	पूर्व रिपोर्टिंग के अनुसार	समायोजन	पुनर्लिखित
अन्य इक्विटी	14	99,880.26	(704.63)	99,175.63
आयकर के प्रावधान	23(ख)	14,157.56	(236.99)	13,920.57
व्ययों के लिए ऋणदाता	21(i)	64.45	941.62	1,006.07
		1,14,102.27	**-**	**1,14,102.27**

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में पुनर्लिखित मदों के समाधान

विवरण	मद सं.	पूर्व रिपोर्टिंग के अनुसार	समायोजन	पुनर्लिखित
अन्य इक्विटी	26(ख)(i)	97,198.15	941.62	98,139.76
आयकर के प्रावधान	31	14,157.56	(236.99)	13,920.57
व्ययों के प्रति लेनदार		46,702.67	(704.63)	45,998.04
अन्य व्यापक आय		46,702.79	(704.63)	45,998.16
प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डायल्युटिड) रुपए में	33	1.82		1.79

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण में पुनर्लिखित मदों के समाधान

विवरण		पूर्व रिपोर्टिंग के अनुसार	समायोजन	पुनर्लिखित
कर पूर्व लाभ		62,339.45	(704.63)	61,634.82
अन्य गैर चालू वित्तीय देयताओं में (वृद्धि)/कमी		23,043.75	941.62	23,985.37
गैर चालू प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी		4,584.52	(236.99)	4,347.54
प्रदत्त आयकर (निवल)		(14,157.55)	236.99	(13,920.57)

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल)
(अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम)
पंजीकृत कार्यालय: इसरो मुख्यालय कैम्पस, न्यू बीईएल रोड, बेंगलूरु 560 094
कॉर्पोरेट कार्यालय: 11वां तल, ब्रिगेड रूबिक्स, 20, वॉच फैक्टरी रोड, फेस-1, यशवंतपुर, बेंगलूरू-560 013
फोन: +91 80 23 22 7777, ईमेल: contact@nsilindia.co.in वेबसाइट: www.nsilindia.co.in
सीआईएन: U74999KA2019GOI122175
जीएसटीआईएन: 29AAGCN4411P1Z1